"उच्च शिक्षा तथा निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभाव: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन"

(IMPACT OF MEDIUM OF INSTRUCTION ON THE STUDENTS AND HIGHER EDUCATION: A SOCIOLOGICAL STUDY OF BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW)

लघु शोध प्रबंध

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एम0 फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत मास्टर ऑफ फिलॉसफी

शोधार्थी

अल्का गौतम

नामांकन सं.-569/17

शोध निर्देशक

प्रो. बीरेन्द्र नारायण दुबे

अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय, लखनऊ

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार रायबरेली रोड, लखनऊ- 226 025

उत्तर प्रदेश, भारत

2020-22

घोषणा–पत्र

मैं अल्का गौतम यह घोषणा करती हूं कि मैंने ‘‘उच्च शिक्षा तथा निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभावः बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन’’ नामक शोध कार्य प्रो. बीरेन्द्र नारायण दुबे, समाजशास्त्र विभाग, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया गया है। एम0 फिल0 की उपाधि हेतु किया गया शोध प्रबंध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध प्रबंध इससे पहले इस विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं यह घोषणा करती हूं कि प्रस्तुत शोध प्रबंध पूर्णतः प्लेजियारिज्म मुक्त है।

दिनांक–

स्थान–

शोधार्थी

अल्का गौतम
समाजशास्त्र विभाग
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्यालय, लखनऊ

CERTIFICATE

This is certify that the dissertation titled ''उच्च शिक्षा तथा निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभावः बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (IMPACT OF MEDIUM OF INSTRUCTION ON THE STUDENTS AND HIGHER EDUCATION: A SOCIOLOGICAL STUDY OF BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW) submitted by Alka Gautam is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

This dissertation submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkat University, Lucknow satisfies all the requirement as stipulated in the master of philosophy (M. Phil.) regulations -2016 as amended in 2019 and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of master of philosophy of the university.

Date- Supervisor

Place-

Head of the Department

आभार

प्रस्तुत शोध प्रबंध पर मेरे द्वारा किये गये शोध कार्य को निर्देशित व मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय प्रो. बीरेन्द्र नारायण दुबे की सदैव आभारी रहूंगी जिन्होंने अपना मूल्यवान समय एवम् सहयोग प्रदान किया तथा जिनके निर्देशन में मैं अपने शोध कार्य को पूरा करने में सक्षम रही। साथ ही मैं अपनी विभागाध्यक्ष प्रो. जया श्रीवास्तव, प्रो. विभूति भूषण मालिक, प्रो. मनीष के0 वर्मा तथा प्रो. बृजेश कुमार का हृदय से आभार प्रकट करती हूं। एम0 फिल0 के दौरान छात्रवृति प्रदान करने के लिए मैं बाबा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के पुस्तकलयाध्यक्ष डा0 सुनील गोरिया,सहायक पुस्तकलयाध्यक्ष ओ. पी. सैनी और पेशेवर सहायक अमित कुमार की सदैव ऋणी रहूंगी।

मैं अपने मित्र गोविंद कुमार, आनन्द कुमार तथा अजय भैया की कृतज्ञ हूँ जो हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते है। मैं अपने माता–पिता, भाई–बहनों का भी आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने समय–समय पर मेरा उत्साह बढाया, साथ ही सहयोग एवम् योगदान प्रदान किया ताकि मैं अपना शोध कार्य सरलता व कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। मैं बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के आर्टस, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों तथा इन स्ट्रीम्स के विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर्स, गेस्ट फैकल्टीज तथा डींस की ऋणी रहूंगी जिन्होने विवेकपूर्ण रूप से मेरे शोध कार्य से सम्बंधित प्रश्नों के उत्तर दिए तथा अपना अमूल्य समय प्रदान किया।

दिनांक–

शोधार्थी

अल्का गौतम

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय, लखनऊ

विषय–सूची

घोषणा–पत्र

प्रमाण–पत्र

आभार

विषय–सूची

तालिका–सूची

क्रम सं0	**अध्यायों का विवरण**	**पृष्ठ सं0**
अध्याय–1	प्रस्तावना	1–15
	समस्या का कथन	16–17
	समस्या का महत्व	17–19
	उद्देश्य	19
	उपकल्पनाएं	19–21
	विधि एवम् कार्यप्राणाली	21–42
अध्याय–2	भारत में शिक्षा नीतियाँ	43–63
	साहित्य समीक्षा	64–75
अध्याय–3	सैन्धान्तिक परिप्रेक्ष्य	76–86
अध्याय–4	निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभाव	88–115
अध्याय–5	निष्कर्ष और सुझाव	116–125
	सन्दर्भ–सूची	126–128
	परिशिष्ट	

तालिका–सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
	विद्यार्थियों से सम्बन्धित प्रश्न	
	जनसांख्यिकीय निरूपण	88–89
4.1	आप किस माध्यम में सहजता/सरलता महसूस करते हैं।	89–90
	* यदि हिंदी माध्यम तो आप मानते है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए। * यदि अंग्रेजी माध्यम तो आप यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए।	89–90
4.2	निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो।	90–91
4.3	आप मानते हैं कि निर्देश का माध्यम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसी माध्यम में होना चाहिए जिसे विद्यार्थी सरलतापूर्वक सीख व समझ सके तथा उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकें।	91
	* यदि हां तो आप हिंदी का समर्थन करते हैं क्योंकि मातृभाषा सीखने, बोलने में सरल होती है तथा संस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां सरलता से संपन्न हो जाती है। *आप अंग्रेजी माध्यम का समर्थन करते हैं।	91–92
4.4	यदि आप हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे।	92–93
	*यदि आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे।	93–94
4.5	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से आपकी शिक्षा बाधित हुई है।	94–95
4.6	उच्च शिक्षा में निदेश के माध्यम अंग्रेजी माध्यम के माध्यम	95

	से शिक्षा दी जाने पर पाठ्य–सामग्री समझ पाते हैं।	
	*यदि हां/नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं।	96
	*उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य–सामग्री समझ पाते हैं।	96–97
	*यदि हां/नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं।	97
4.7	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर आपके Grades पर प्रभाव पड़ा है।	97–98
4.8	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) को समझ पाते हैं।	98
	*यदि नहीं तो आप कक्षा में स्वयं को अलग महसूस करते हैं या अलगाव की स्थिति का सामना करते है।	99
4.9	उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदीभाषी विद्यार्थी स्वयं को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं तथा स्वयं को शिक्षा में कमजोर समझते है।	99–100
4.10	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर सहज महसूस करते हैं।	100
4.11	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम में पढ़ने से विद्यार्थी अपनी बातों, विचारों को सबके सामने आसानी से रख व कह सकता है, ऐसा करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की क्रिया मजबूत होती है।	100–101
4.12	उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण काफी विद्यार्थी उच्च स्तर की शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं।	101–102
4.13	उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निदेश देने पर हिंदी भाषा के विद्याथियों प्रभाव पड़ता है।	102
	*उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है।	102–103
4.14	निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं से वंचित हुए है।	103–104

	*यदि हां/नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अग्रेंजी माध्यम या हिन्दी माध्यम के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है।	104
4.15	आप भाषा आयोग से सम्बंधित अनुच्छेद के बारे में जानते है।	104–105
4.16	आपको पता हैं की भारतीय संविधान में भाषा की बात किस अनुच्छेद, भाग में किया गया हैं।	105
4.17	आपको पता हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में शामिल किया गया हैं।	106
4.18	वर्तमान समय में दो संघीय भाषाएं (हिंदो/अंग्रेजी माध्यम) हैं, आपके विचार से उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम होना चाहिए।	106–107
4.19	जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर) पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए।	107
4.20	जब हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रभाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में लागू करना चाहिए।	108
4.21	भाषा समस्या का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है यदि हम इस समस्या का शैक्षणिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो भाषा समस्या का विचार समाप्त हो जाएगा।	108–109
4.22	वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा/ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उच्च स्तर को शिक्षा पर भाषा विवाद की समस्या उत्पन्न होनी चाहिए।	109–110
4.23	नतियाँ, आयोगों का पढ़ने के उपरांत यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रभाषा विवाद का कारण है यदि इस विवाद का समाधान हो जाए तो भाषा से संबंधित समस्याओं का विवाद समाप्त हो जाएगा।	110
4.24	अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधि है।	111

	विभागाध्क्ष, गेस्ट फैकल्टीज तथा डींस से सम्बन्धित प्रश्न	
	जनसांख्यिकीय निरूपण	112
4.1	कक्षा में निर्देश देने का माध्यम	112-113
	*यदि हिंदी भाषा तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं। *यदि अंग्रेजी भाषा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं।	113-114
4.2	परीक्षा के समय प्रश्नों की भाषा का माध्यम	114-115
4.3	राष्ट्रभाषा (हिंदी भाषा) को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं। *यदि हाँ तो विश्वविद्यालय में उपरोक्त सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं।	115

अध्याय.1

परिचय

अध्याय.1

परिचय

मानव आदिकाल से जो भी अनुभव के माध्यम से सीखता, समझता व ग्रहण करता आ रहा है, वह शिक्षा के द्वारा ही सीखता है। शिक्षा न केवल दक्षता बढ़ाने का साधन है अपितु व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को उच्च बनाने का एक साधन भी हैं। आज का युग वैज्ञानिक युग है। यह भी शिक्षा की ही देन है| शिक्षा जीवन का संपूर्ण सार है। शिक्षा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन है जिससे समाज अपने को निर्मित व परिवर्तित भी करती हैं अर्थात् अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। शिक्षा मानवीय गुणों का विकास करती हैं। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं देती अपितु उसका निर्माण भी करती है। शिक्षा व्यक्ति के चरित्र, विचार, आचरण तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया है। अतः शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है| मनुष्य के अज्ञान को नष्ट कर उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य भी शिक्षा ही करती हैं अर्थात शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन को तार्किक बनाती हैं। शिक्षा का संबंध केवल साक्षरता से ही नहीं है अपितु शिक्षा चेतना की भावना भी जागृत करती हैं। नवजात शिशु असहाय व असामाजिक होता है। शिक्षा ही एक शिशु का विकास करके उसे अपने जीवन में विभिन्न उत्तरदायित्वों को समुचित ढंग से करने के योग्य बनाती है। अत: शिक्षा व्यक्ति को जीवन सागर से जूझने के योग्य बनाती हैं। 'गांधी' के अनुसार--**"**एक अच्छी शिक्षा की कसौटी स्वावलंबन है अर्थात शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए**।"** उनका मानना था कि- मातृभाषा द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। विदेशी भाषा के माध्यम से हम मौलिक कार्यों के अयोग्य हो जाते हैं। जब तक मनुष्य मातृभाषा में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखना, बोलना, पढ़ना नहीं सीखता है तब तक उसके विचारों में स्पष्टता नहीं आती है। मातृभाषा अपने भाव को व्यक्त करने का एक अच्छा साधन है। शिक्षा मानव को समाज के साथ जोड़ने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को तराशा जाता है तथा ज्ञान को व्यवस्थित (Management of education) रूप से रखते हैं तथा संस्कृति का निर्माण करते हैं।

'जॉन डीवी'-- **"**शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रख सके और अपनी सभी संभावनाओं को पूर्ण कर सके|**"** 'दुर्खीम' ने पहली बार शिक्षा को एक विधा के रूप में देखा। उनका मानना था कि- "शिक्षा कैसी भी

हो इसे नैतिकता पर जोर देना चाहिए।" दुर्खीम नैतिक शिक्षा पर बल देते हैं। समाजशास्त्री शिक्षा को, समाज को स्थिर रखने तथा उन्नत करने का साधन समझते है| वे शिक्षा की व्यवस्था का सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यों एवम् सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर करते है| समाजशास्त्री व्यक्ति को दुसरे लोगों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए ही शिक्षा का प्रयोजन मानते है| प्रघटनाशास्त्रियों तथा अंतः क्रियावादियों' का मानना है कि- "शिक्षा समाज को जोड़ती है। यह एक सेतु का काम करती हैं जो शिक्षा और संस्कृति को एक सूत्र में बांधती हैं।" इस प्रकार कहा जा सकता है की शिक्षा व्यक्ति के जीवन के लिए तथा समाज के लिए कितनी उपयोगी है| अतः शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है।

प्रस्तुत शोध में शिक्षा के उच्च स्तर की शिक्षा तथा निर्देश के माध्यम की बात की गयी है|

उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा का क्षेत्र विशेष योग्यता का होता है। उच्च शिक्षा का वास्तविक अर्थ- सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा के ऊपर किसी विशेष, विषद या सूक्ष्म शिक्षा को उच्च शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा विशेषत: विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी विश्वविद्यालयों, लिबरल आर्ट्स कॉलेजो एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में दी जाती हैं। प्रारंभिक एवं माध्यमिक के बाद यह (उच्च शिक्षा) शिक्षा का तृतीय स्तर है। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यवसायिक (Commercial) एवं प्रशिक्षण (Training) आदि आते हैं तथा यह शैक्षिक संरचना तथा शैक्षिक पिरामिड की स्थितिनुसार उच्च शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है। इसे विश्वविद्यालयी शिक्षा भी कहा जाता है। All India Higher Education Sarvey (October,2021) के अनुसार भारत में वर्तमान समय में 1013 विश्वविद्यालय है| भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सार्वजानिक और निजी दोनों प्रकार के विश्वविद्यालय सम्मिलित है| सार्वजानिक विश्वविद्यालयों को भारत के केंद्रीय सरकारों तथा राज्य सरकारों से सहायता मिलती है जबकि निजी विश्वविद्यालय निजी संस्थाओं एवम् सोसाइटी के द्वारा संचालित किये जाते हैं| जिनमें 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिनमें से 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय मानव विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक-एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आते हैं| भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देता है| 40,000 कॉलेज और 11,443 स्टैंड अलोन संस्थान है| 23 प्रोद्योगिकी संस्थान है| ये संस्थान भारत द्वारा स्थापित किये गये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं| डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 2012 में एक एम्स विश्वविद्यालय भारत के रायबरेली में खोला गया| सन् 2014 में मोदी सरकार ने 14 एम्स संस्थानों की भारत के अन्य भागो में निर्माण की नींव

रखी ताकि दूर-दूर के लोगो को बेहतर इलाज की सुविधाएँ प्राप्त हो| सन् 2022 तक हर राज्य में एक एम्स खोलने पर विचार किया|

उच्च शिक्षा जिसके द्वारा समाज व राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। उच्च शिक्षा का उद्देश्य ऐसे विद्वानों का निर्माण करना है जो हमारी राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृतियों, रीति-रिवाजों व परंपराओं की रक्षा व पुनरुत्थान के उचित निर्देशन में सहायक हो। उच्च शिक्षा उच्च स्तर से मानव संसाधनों का निर्माण करती हैं। उच्च शिक्षा किसी राष्ट्र के बहुमुखी विकास का साधन होती है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत आध्यात्मिक शक्तियों तथा मानव समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं का हल खोजा जाता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद- "शिक्षा एक बड़ी शक्ति है इससे वंचित व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्मज्ञान नहीं हो सकता|"

प्रायः शिक्षा के विभिन्न स्तर पर भाषा-सम्बन्धी समस्याएं देखी जाती है जिसका प्रमुख कारण निर्देश का माध्यम है| जिसकी वजह से विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति नही कर पाते है और शिक्षा से वंचित रह जाते है जिस कारण विद्यार्थियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है|

निर्देश का माध्यम

किसी शिक्षण संस्थान में जो भाषा शिक्षण के लिए प्रयोग की जाती है उसे संस्थान की शिक्षण या निर्देश का माध्यम कहते हैं। अधिकांश विकसित देशों में मातृभाषा ही प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निर्देश का माध्यम होती है। भाषा विचार विनिमय का एक निशक्त साधन है। मनुष्य अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया भाषा के ही माध्यम से संपन्न होती है। एक बालक की शिक्षा सदैव मातृभाषा से ही प्रारंभ होती है क्योंकि मातृभाषा पर व्यक्ति का सर्वोत्तम अधिकार होता है। भाषा के प्रकार मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, प्राचीन भाषा| भाषा की समस्या से शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता रहा है। ऐसी स्थिति में देश के शासकों के समक्ष समय-समय पर यह समस्या उजागर होती रही है कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या कोई अन्य भाषा होनी चाहिए। यह समस्या ब्रिटिश शासनकाल काल से ही चली आ रही है|

निर्देश के माध्यम की समस्या का उद्भव

प्राचीन भारत में शिक्षा के माध्यमों का भाषा समस्या पर कोई विवाद नहीं था| आम जनता दैनिक कामकाज में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते थे और उच्च शिक्षा या बौद्धिक परिचर्चाओं में संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। शिक्षा के माध्यम की समस्या ब्रिटिश शासनकाल से प्रारंभ होती है। भाषा-संबंधी सवाल सबसे पहले वैलेजली (1798-1805) के मन में आया। भाषा संबंधी समस्या उपनिवेशवाद से ही हैं। उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी विदेशी सत्ता द्वारा किसी देश पर अपना राजनीतिक नियंत्रण कर उसे सांस्कृतिक व मानसिक तौर पर अपने वश में करना और अपने अनुसार चलाना है, अर्थात शासक द्वारा शासित देश पर अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विचारधारा थोपने से है। साथ ही देश की अस्मिता और पहचान के नष्ट होने से भी हैं। यह भी कहा जा सकता है कि किसी देश की संस्कृति, भाषा को नष्ट कर वहां के लोगों में गुलामी की मानसिकता के बीज बोना है। उपनिवेशवाद का इतिहास 1600 ई. ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होता है। इसकी सोच व्यवसायिक और लूट पर आधारित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा अंग्रेजी थी वह इसे ही देश की भाषा बनाना चाहते थे| उपनिवेशवाद के अंतर्गत पहले अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है फिर धीरे-धीरे भाषा कला संस्कृति पर कब्जा करके अपने हितों को संपन्न किया जाता है। साथ ही उस देश की मानसिकता में बदलाव किया जाता है| मानसिकता के बदलाव की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षा से आरंभ होती है।

डॉ. हर्षबाला शर्मा (2011) ने अपनी पुस्तक "**औपनिवेशिक मानसिकता और भाषा"** में यह बताते हैं कि—"विदेशी भाषा में बच्चों की शिक्षा होने के कारण उस भाषा के सांस्कृतिक चिन्हों का निर्माण बच्चों की मानसिकता में नहीं होता जैसे कि उनकी अपनी भाषा में शिक्षा के कारण उनकी मानसिकता में अपनी भाषा के सांस्कृतिक चिन्हों का निर्माण होता है।" कंपनी ने जिस भाषा नीति को अपनाया उसकी वजह से भाषा-संबंधी विवाद खड़े हो गए। सन् 1834 में लॉर्ड मैकाले के आगमन पर शिक्षा के विभिन्न स्तर के विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को लागू करने की बात की और धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व स्थापित हो गया। (उपनिवेशवाद, 13-17)

यह भाषा अभिजात वर्ग के लिए अधिकांश बोली जाती थी। वह समझ गया था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही शिक्षित किया जा सकता है। इसप्रकार निर्देश के माध्यम को लेकर देश में सन् 1833 में दो भाषाई दल बनाए गए--

1. अंग्रेजी भाषा का समर्थक 2. प्राच्य भाषाओं का समर्थक

सन् 1835 में मैकाले मिनट आया। मैकाले व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे “जो रंग व खून से तो भारतीय हो लेकिन बुद्धि, विचार व नैतिकता से अंग्रेज हो।” अपने मैकाले मिनट के माध्यम से इस देश में एक ऐसा संभ्रांत वर्ग उत्पन्न करने में सफल रहा जो रुचियों, अभिमतों, नैतिकता व बुद्धि के लिहाज से अंग्रेज था। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी भाषा पढ़ाने और निर्देश का माध्यम बनाने की शुरुआत की। इसने सरकारी नौकरियों के लिए शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार मैकाले ने अंग्रेजी मानसिकता व अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एक शिक्षित वर्ग तैयार किया। सन् 1826 में अंग्रेजी शिक्षा को केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित किया गया क्योंकि कंपनी का मानना था कि-- उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों के लोगों के मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। भाषा की समस्या के कारण सन् 1947 में देश विभाजन हुआ। इस प्रकार भाषा विवाद का प्रारंभ लार्ड मैकाले के आगमन से आरंभ होता है। भाषा की मसले पर बहस 12 सितंबर 1949 को 4:00 बजे दोपहर से शुरू हुई और 14 सितंबर 1949 को दिन में समाप्त हुई। संविधान में 14 भाषाओं को स्वीकार किया गया तथा उन्हें राष्ट्रभाषा घोषित किया। संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है|

संविधान द्वारा स्वीकृत सीमा-रेखा 1965 के बाद भी अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में विद्यमान है और तभी से निर्देश के माध्यम की समस्या शिक्षा के विभिन्न स्तर पर व्याप्त है| शिक्षा के विभिन्न स्तर पर निर्देश का माध्यम क्या होना चाहिए यह विषय आज भी विवाद का कारण है और तभी से शिक्षा के माध्यम की समस्या उभरकर सामने आई| स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राष्ट्रीय सरकार को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, निर्देश के माध्यम की समस्या उनमें से एक थी। इस समस्या के समाधान के लिए कई बार भाषायी सर्वेक्षण किये गये|

सन् 1961 में भारत के विभिन्न भाषाओं का सर्वेक्षण करने से पता चला कि-- लगभग 1200 बोलियां तथा भाषाएं प्रयोग की जाती है। “34.4% लोगों की भाषा मातृभाषा हिंदी है, उर्दू और हिंदी के आंकड़े शामिल करने पर 35.7% है। इस देश में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 27.4% थी।” भारत की कुल जनसँख्या का लगभग आधा भाग हिंदी का जानकर है| हिंदी ही हमारी सामाजिक संस्कृति की वाहिका होने में पूर्ण सक्षम है|

विनोबा भावे के अनुसार— "यदि मैंने हिंदी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांवों में जाकर भूदान, ग्रामदान का क्रान्तिपूर्ण संदेश जनता तक नही पहुंचा सकता था|" हिंदी जन-जन की भाषा है|

विस्बे (2017) के अनुसार—"7000 से अधिक ज्ञात जीवित भाषाएं हैं और अधिकांश बच्चे ऐसे वातावरण में बड़े होते हैं जहां एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है|"

2011 की जनगणना के अनुसार— "22 अधिकारिक भाषाओं और 19500 से अधिक मातृभाषाएं हैं| पूरे भारत में बहुभाषी होना आदर्श है इस बात में कोई संदेह नहीं है| इस तथ्य को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मान्यता दी गई है जिसमें बहुभाषावाद और भाषा-शिक्षण के महत्व पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है| इसे मौलिक सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया गया है|"

यूनेस्को ने 2009 में प्रकाशित एक Report "(Atlas of world: language in danger)" में दुनिया भर की भाषाओं पर मडराने वाले खतरे के बारे में बताया और कहा कि—"196 भाषाएं मरने के कगार पर हैं। अमेरिका में 53 भाषाएं मर चुकी हैं और 71 भाषाएं मरने की करीब हैं। दुनिया के भाषा वैज्ञानिक यह मानते हैं कि दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं हैं और जिस तरह से भूमंडलीकरण के दौरान अंग्रेजी की आंधी चल रही है, उस हिसाब से इस सदी के अंत तक 7000 में से आधी भाषाएं मर जाएंगी। पहले वे भाषाएं मरेंगी जो केवल बोलचाल की है। फिर वह भाषाएं मरेगी जिनकी केवल लिपि है और अंत में जिनकी केवल लिपि है, बोली भी जाती हैं तथा प्रिंटिंग भी हैं। इस समय अंग्रेजी दुनिया भर में बोली जाने वाली 7000 भाषाओं में से 2500 भाषाओं के लिए खतरा बनती जा रही है। दुनिया भर में बोली जाने वाली लगभग 90% भाषाएं 2050 तक विलुप्त होने के कगार पर है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)- भारतीय भाषाओं के समुचित ध्यान व देखभाल न करने के कारण देश में पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएं ही है। यूनेस्को ने 197 भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। इसके साथ ही जिन भाषाओं की लिपि नहीं है वह भी लुप्ति के कगार पर है।

न्यूगी तथा थ्योगों का मानना है कि—"भाषाएं न तो कभी बूढ़ी होती हैं और न मरती है। वह अपनी संरचना में किसी तात्विक दोष के कारण आधुनिक युग के लिए अप्रासंगिक कभी नहीं होती। वह तभी गुम होती है जब समाज के प्रमुख प्रभुत्वाशाली वर्ग के पास

उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी ने जो अन्य भाषाओं और संस्कृतियों पर गहरा कहर ढाया है उससे बचना होगा।" यदि भाषा को जीवित रखना है तो उसे बोलने वाले समुदायों को आदर और सम्मान देना होगा जिसके वे अधिकारी हैं। किसी समुदाय की भाषा के निर्माण में कई शताब्दियां गुजर जाती हैं। मानव समुदाय द्वारा निर्मित सभी भाषाएं हमारी सामूहिक सांस्कृतिक धरोहर है| यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें (भाषाओं को) विश्वव्यापी भाषा संहार का सामना न करना पड़े। इसप्रकार भाषाओं को बचाने के लिए अनेक विचारको ने अपने-अपने मत दिए तथा भाषा-सम्बन्धी समस्याओं के बारे में बात की|

उच्च कक्षा में प्रवेश लेने पर पूर्व संस्था में अध्ययन हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा में अंतर होने से विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाषा की समस्या के कारण ही व्यवसायिक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों को इससे संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से कठिनाइयां उत्पन्न होने पर ही छात्रों में असंतोष की भावना का उदय होता है। निर्देश के माध्यम (हिंदी माध्यम,अंग्रेजी माध्यम) के इस दोहरेपन की शिक्षा में विद्यार्थी इस कदर फंसता चला जाता है कि उसमें असंतोष की स्थिति आ जाती है।

यूनेस्को (2016)- लगभग 40% बच्चे ऐसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसे वह नहीं समझ पाते हैं| यह उनके सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालता है| कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में दाखिला कराते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी में दक्षता को बेहतर अवसरों की कुंजी के रूप में देखते हैं| व्यापक स्तर पर निर्देश का माध्यम अंग्रेजी ही चाहते हैं| यह एक व्यापक भ्रांति ही है कि अकादमी विषयों को अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने पर ही कौशल को प्राप्त किया जा सकता है| जब किसी विषय को अंग्रेजी या किसी अन्य अतिरिक्त भाषा में पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते और समझते हैं और दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे परिचित भाषा में विषयों को पढ़ते है| **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ने इस बात पर जोर दिया है कि—**"सभी विद्यार्थियों को सभी भाषाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा| किसी भाषा को अच्छी तरह से सिखाने के लिए उसे उस भाषा को निर्देश का माध्यम या शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है| निर्देश का माध्यम भाषा ज्ञान या अन्य भाषाओं को सीखने में एक सहायक माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है|"

विद्यालयी शिक्षा में निर्देश का माध्यम तथा उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम दोनों एक-दूसरे से अलग है तथा स्वयं में चुनौतीपूर्ण है| उच्च स्तर पर विद्यार्थियों को भाषाई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांशत: उच्च स्तर की शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी माध्यम में ही होता है जो कि विद्यालय या घर की भाषा से बिल्कुल विपरीत होता है| एक बालक की शिक्षा सदैव मातृभाषा से ही प्रारंभ होती है क्योंकि मातृभाषा पर व्यक्ति का सर्वोत्तम अधिकार होता है| अपरिचित भाषा या दूसरी भाषा में अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना कि परिचित या मातृभाषा में सकते हैं। यह विद्यार्थी किस प्रकार आवश्यक कौशल का विकास तथा कौशल को विकसित करते हैं? यह कई देशों में अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है? भारत में यह विषय अत्यधिक प्रासंगिक है|

भारत और अन्य एशियाई देशों में किए गए अध्ययन से पता लगता है कि- "अंग्रेजी भाषा के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की अधिगम प्रतिफल (Learning Outcome) पर Positive Impact पड़ता है।"

Reading Maituruss Conceptual Framework का प्रत्येक घटक यह मानता है कि- "विद्यार्थियों को ऐसी भाषा में पढ़ना सिखाया जाता है जिस भाषा का वे उपयोग करते हैं व जिसे समझते हैं। यह प्रणाली सभी विद्यार्थियों के बीच सीखने को बढ़ावा देने के लिए सीखने के सिद्धांतों के लिए Universal Design को शामिल करती हैं।"

महात्मा गांधी का मानना है कि- "बच्चे की शिक्षा ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो उसके सर्वोत्तम गुणों को उभारे तथा वह शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। वह चाहते थे कि शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषा हो। इस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी के विद्यार्थियों के बीच एक खाई बन गई। नए शासक वर्ग ने व्यवहारिक रूप से अंग्रेजों की भाषा और उनकी संस्कृतियों को ही अपने शासन तंत्र की भाषा के रूप में अपनाया, जिससे शासक तथा शासकों के बीच दूरी बनी रहे। अतः यह स्वीकार्य था कि जिस देश की भाषाएं अलग-अलग होंगी वह देश अर्थव्यवस्था, शिक्षा और संस्कृति के मामले में मजबूत नहीं हो सकता। अतः भाषाएं अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं होती बल्कि उनमें नई संस्कृति को विकसित करने की ताकत भी होती हैं।

छात्र असंतोष की प्रमुख समस्या भाषा (हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा) की समस्या है। सन् 1962 ई. में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी भाषा का प्रयोग करना था जिससे हिंदी राज्यभाषा के

पद पर आसीन हो सके। किंतु दक्षिणवासियों के हिंदी विरोध दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं आया। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार- माध्यमिक स्तर तक राजभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है किंतु उच्च स्तर पर निर्देश के माध्यम की समस्या बनी हुई है कि निर्देश का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए या हिंदी। आयोगों ने मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया है। इस समस्या हेतु यह भी सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40% अल्पभाषी छात्र हैं तो प्रदेश की सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनके लिए उनके ही प्रदेश की भाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करें या शिक्षा ग्रहण कराएं। संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषी भारत में 10% से भी कम है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में अपशिष्ट 90% लोगों के लिए संपर्क भाषा कैसे बन सकती हैं? इसका कारण यह है कि अहिंदी भाषी राज्यों में अधिक है। इसलिए निर्देश या शिक्षा का माध्यम विवाद की समस्या बनी हुई है। दक्षिण प्रांतों में हिंदी की उपेक्षा की गई, तमिलनाडु राज्यों में हिंदी का बहुत विरोध किया गया जबकि उत्तर राज्यों में हिंदी भाषा पर जोर दिया गया। अंग्रेजी पर विशेष जोर नही दिए जाने के कारण अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की ओर आकर्षण बढा और अंग्रेजी भाषा की तरफ भी, साथ ही साथ दोनों भाषाओं व शिक्षा का उचित ज्ञान न होने के कारण शिक्षा की समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप धारण करती चली गई जिसके कारण अनेक राज्य देश को बिखराव, विखंडन की ओर ले जा रहे हैं अर्थात अलगाव की प्रवृत्तियां पनप रही हैं। **हंसराज—**भाषा-समस्या हल होने के बजाय अत्यधिक जटिल व उलझती जा रही है। भाषा-समस्या या विवाद के कारण देश लगभग दो वर्गों में बांटा गया है। दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु की भाषा तमिल, केरल की मलयालम, आंध्र की तेलुगू तथा कर्नाटक की कन्नड़ है। इन राज्यों में विशेष रूप से हिंदी का विरोध बना हुआ है। विशेषता तमिल भाषी हिंदी के अत्यधिक विरोधी हैं। तमिलनाडु आंदोलन सन् 1937 अन्नादुरैई ने किया। चक्रवर्ती रामगोपालचारी के सरकार ने मद्रास प्रांत में हिंदी को लाने का समर्थन किया जिसका विरोध द्रविड़ कषगन ने किया और सन् 1951 में फिर आंदोलन शुरू हुए। हिंदीभाषी प्रदेश हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा बनाने के पक्ष में खड़े हैं वही दूसरी तरफ अहिंदी भाषी प्रदेश (दक्षिणी प्रांत) हिंदी का तीव्र गति से विरोध कर रहे हैं। वह हिंदी को किसी भी रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है, इसलिए भाषा की समस्या विकराल होती चली जा रही है। भाषाओं की दृष्टि से भारत एक अथाह समुद्र है अर्थात एक विशाल देश है। जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भाषा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। धीरे-धीरे अंग्रेजी का वर्चस्व संपूर्ण भारतवर्ष में फैलने लगा। विशेष

रूप से देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति विशिष्ट स्थान प्राप्त करने लगे। हमारे देश में अधिकांशत: अंग्रेजी पढ़े-लिखे व्यक्ति संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं परंतु अधिकांश आम जनता संपर्क भाषा के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे--बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि।

इस प्रकार हमारे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के स्तरों का भी यही हाल है। प्रायः देखा जाता है कि कक्षाओं में यदि अध्यापक अंग्रेजी भाषा में अध्यापन करते हैं तो हिंदीभाषी छात्र विरोध करने लगते हैं तथा हिंदी में अध्यापन करने पर अंग्रेजीभाषी विरोध करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वे पाठ्यक्रम समझ नहीं पाते या उचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते तथा उचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा में हिंदी और अंग्रेजी अनेक भाषाओं और बोर्डो की वजह से एक बहुत बड़ी खाई बन गई है और अंग्रेजी माध्यम को ही कौशल का आधार मान लिया गया है| चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान, गणित और प्रबंधन में हिंदी और भारतीय भाषाओं को अनदेखा किया जाता है तथा ऐसा एहसास कराया जाता है कि हिंदी में इन विषयों को नहीं पढ़ा जा सकता जबकि उत्तर प्रदेश और दूसरे बोर्डो में लाखों विद्यार्थी हिंदी माध्यम से इन विषयों को पढ़ते हैं लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालयी स्तर पर अंग्रेजी में पढाया जाता है| इस प्रकार दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कुछ सीखना, समझना एक कठिन समस्या व चुनौती है। इस समस्या ने धीरे-धीरे अपने पैर विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों तक फैला लिए हैं। यह समस्या निर्देश के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आई जो देश को ही नही अपितु शिक्षा के माध्यम को भी दो भागों में बांटती हैं.. 1. हिंदी माध्यम 2. अंग्रेजी माध्यम

इन छात्रों के भी मध्य एक खाई बन गई है। इस खाई ने समाज को दो वर्गों में बांट दिया है..1.उच्च वर्ग 2.निम्न वर्ग

उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग के बच्चों का आकर्षण केंद्र हमेशा से पब्लिक व कान्वेंट स्कूल ही रहे हैं, जहां पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती हैं। अतः अंग्रेजी माध्यम को ही मुख्य माध्यम रखना चाहते हैं और वे उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। अंग्रेजी भाषा आज प्रभुता संपन्न व्यक्तियों के आचरण का माध्यम है| साथ ही शिक्षक वर्ग की सामाजिक अस्मिता की भाषा अंग्रेजी भाषा बनती जा रही हैं| अतः कहा जाता है कि हिंदी व अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी अत्यधिक सक्षम व विकसित होती चली जा रही है। अंग्रेजी वैज्ञानिक चिंतन

व सूक्ष्म विश्लेषण के लिए अधिक समर्थ भाषा है| यह अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए एक सिद्ध भाषा है| इसके विपरीत निम्न वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं जहां निर्देश का माध्यम हिंदी भाषा है। प्राथमिक स्तर से हिंदी माध्यम में पढ़े होने के कारण वे उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योकि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में निर्देश दिये जाता है जो कि निम्न वर्ग के विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं तथा उच्च स्तर की शिक्षा को बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं।

राम मनोहर लोहिया के अनुसार—"भारत में पूंजी ही नहीं अपितु जाति और भाषा भी वर्ग का निर्माण करते हैं और उत्पादन के साधन बनते है।" इन्होने पाया कि- देश में 23% ही अंग्रेजी बोलने वाले हैं तथा इन लोगों ने देश की विशाल जनसंख्या की नौकरियों पर कब्जा कर लिया है। लोहिया अंग्रेजी भाषा के सर्वाधिक प्रयोग के खिलाफ थे| इसलिए उन्होंने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू किया।

इसी विरोध के कारण विश्वविद्यालयों में निर्देश के माध्यम की समस्या बरकरार है। जिसके कारण हिंदीभाषी प्रदेशों में विद्यार्थियों को हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है जिसे अकादमिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इससे हिंदीभाषी में अंग्रेजी भाषा का विरोध तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विरोध होता रहेगा। अतः हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में यह निम्नलिखित तत्व विशेष रुप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यह समस्या क्षेत्रों तक सीमित न रहकर शिक्षा के स्तरों तक अपना पैर फैला चुकी है। व्यापक स्तर पर इस समस्या को देखा जा सकता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी, बैंकिंग, पत्रकारिता, व्यवसाय यहां तक की कला संबंधी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देने की व्यवस्था शुरू की। देश में ऐसा माहौल बन गया कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़े-लिखे वर्गों के लिए नौकरियों के मार्ग प्रशस्त होते चले गए। इसके फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इन शिक्षा संस्थानों ने अपनी शिक्षा पद्धति, परीक्षा पद्धति व कार्यप्रणाली में अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए रखा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यद्यपि उत्तर देने का माध्यम हिंदी या क्षेत्रीय भाषा हो गया है किंतु अभी भी अंग्रेजी भाषा परीक्षा का एक अनिवार्य विषय बना हुआ है। अधिकांश सरकारी पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कारो में उत्तीर्ण परीक्षार्थी या प्रत्याशी ही नियुक्ति किए जाते हैं| जिसके कारण विद्यार्थियों का रुझान हिंदी भाषा न होकर अंग्रेजी भाषा की तरफ अधिक होता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी और भारतीय भाषा में पढ़ें बच्चों को अंग्रेजी भाषा नहीं आती

इसलिए वे सीमित अवसरों के कारण आधुनिक सुविधाओं में पढ़ें विद्यार्थियों का मुकाबला करने में पिछड़ जाते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं| हिंदी माध्यम के मेधावी विद्यार्थी परीक्षा से पहले ही वंचित कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं| इस प्रकार से विद्यार्थी बेरोजगारी की मार झेलते हैं तथा ज्ञान और कौशल के बावजूद भी उच्च पदों व सम्मान से वंचित हो जाते है| **गुन्नार मिर्डल के अनुसार**—"विश्वविद्यालय की उपाधियाँ सरकारी नौकरियों के लिए पासपोर्ट थी| शिक्षा विद्यार्थियों की नौकरी के लिए, न कि जीवन के लिए तैयार करने के सीमित उद्देश्य से प्रदान की जाती है|" उच्च शिक्षा की प्राप्ति का मात्र एक ही लक्ष्य है विश्वविद्यालय की उपाधि से अलंकृत होकर सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी प्राप्त करना| विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन किये जाने वाले विषयों तथा उपाधियों में अंतर होता है तथा उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच में अंतर होता है जिसके कारण कुछ विद्यार्थी ही सरकारी या गैर-सरकारी पदों पर नियुक्त होते है और अधिकांश बेरोजगारी की मार झेलते रहते है| (तुलनात्मक शिक्षा, 258-60)

उच्च शिक्षा के स्तर पर भाषा समस्या की एक वजह यह भी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज के युग में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि यह भाषा ज्ञान, दक्षता, कौशल को साबित करने की या परखने की एकमात्र कसौटी नहीं है|

हाल ही में कैंब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 4 वर्षीय मल्टीलीला परियोजना ने यह पता लगाया कि—"क्या विद्यार्थी एक ऐसी भाषा के माध्यम से सीखते हैं जो उनकी घरेलू भाषा के समान नहीं है उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनकी घर अथवा विद्यालय की भाषाएं समान है|" अपरिचित भाषा या दूसरी भाषा में अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उतना अच्छा नहीं सीख पाते जितना कि परिचित या मातृभाषा या राजभाषा में सीखते हैं|

MHRD द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दस्तावेज में कहा गया है कि -- "जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम ग्रेड 5, अधिमानत: ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा होगी|" **सेठ गोविंद राम-** "मैं नहीं समझता हूं कि छात्रों को अंग्रेजी अनिवार्य रूप से क्यों पढ़नी चाहिए? मैं अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा के लिखने के विरोध में नहीं हूं किंतु इसे सीखने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए|"

उच्च शिक्षा में 83 कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में निर्देश के माध्यम के अध्ययनों की समीक्षा के बाद यह समझने का प्रयास किया गया कि-- क्या दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अकादमिक विषयों का पढ़ाना, सामग्री पर हानिकारक प्रभाव के बिना अंग्रेजी दक्षता को विकसित करने के लिए फायदेमंद है|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात की इसके साथ ही संस्कृति के संरक्षण एवम् संवर्धन की बात की|

इस देश में इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि राजभाषा अधिकारी बनने के लिए भी अंग्रेजी में स्नातक, परास्नातक डिग्री अनिवार्य बना दी है तथा इसके साथ ही हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले राजभाषा विभाग मात्र एक अनुवाद विभाग बनकर रह गया है| इसके साथ ही हिंदी पत्रकारिता भी अनुवाद पत्रकारिता के रूप में ही विकसित होती चली जा रही है| इसका कारण आज देश में मौलिक शोध का अभाव भी इसलिए है कि प्रोफेसर अंग्रेजी माध्यमों पर ज्यादा जोर देते हैं जबकि विद्यार्थी इस माध्यम का अभ्यस्त नहीं होता है| जिसकी वजह के विद्यार्थी अपनी पूरी प्रतिभा अंग्रेजी भाषा के मापदंडों तथा प्रविधियों को सीखने में लगा देता है| जिसके कारण उन विद्यार्थियों के मौलिक विचार, मौलिक खोज विकसित होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं| ऐसे शोध केवल अंग्रेजी में उपलब्ध होने के कारण शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों, सेमिनारो का मात्र एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं तथा यह शोध हिंदी भाषा या भारतीय भाषा में न होने के कारण आम जनता इनसे (शोध) नहीं जुड़ पाते हैं जिसके कारण ज्ञान तथा उनके उपयोग से वंचित रह जाते हैं|

आजकल सरकार की नीति में एक कमजोर पक्ष दिखाई देता है। वह केवल विद्यार्थियों को शिक्षित न बनाकर साक्षर बनाने पर ही मौलिक जोर दे रहा है। समानता उच्च शिक्षा प्रणाली का यही हाल है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी भाषा (अंग्रेजी भाषा) के प्रयोग को गुणवत्ता का मानक बनाना भी उच्च शिक्षा को अत्यधिक जटिल व दुरुह बना रहा है। हमारी बहुसंख्यक आबादी अंग्रेजी के ज्ञान से वंचित हैं जिसके कारण उच्च शिक्षा एक अनावश्यक अपव्यय के समान है। हमारी उच्च शिक्षा दिन-प्रतिदिन अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर होती चली जा रही हैं क्योंकि जब भाषा बदलती है तो वेशभूषा, विचार भी बदलती हैं। इसी क्रम में हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से वंचित होते चले जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम संबंधी समस्या उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं**-** 1.अंग्रेजी

भाषा का दीर्घकाल से ही माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित होना। 2.भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना।

भारतीय संविधान में इन समस्याओं से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के माध्यम में किस भाषा का प्रयोग किया जाए इस संबंध में भिन्न-भिन्न संस्थाओं में भिन्न-भिन्न नीतियां हैं---

राधाकृष्णन आयोग (1948-49)- "उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। इसमें हिंदी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। साथ ही यह कहा कि- शीघ्रातिशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं को बनाया जाना चाहिए।"

मुदालियर आयोग (1952-53)- "आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेजी अधिक काल तक नहीं चल सकती है तथा यह स्थान शीघ्र ही हिंदी को दिया जाना चाहिए। हिंदी को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय बनाना चाहिए।"

सन् 1955 भाषा आयोग- "बी. जी. खेर की अध्यक्षता में भाषा आयोग ने शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाने का सुझाव दिया। यह भी सुझाव दिया कि सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हिंदी में ले, हो सके तो क्षेत्रीय भाषाओ को माध्यम बनाया जा सकता है।"

सन् 1963 में हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया। भाषायी समस्या को हल करने से पहले यह स्वीकारना होगा कि भारत एक देश है। इसकी केवल एक ही भाषा हो सकती है। उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में एक ही भाषा होनी चाहिए। भाषा संचार का प्रमुख साधन है और इसी के आधार पर राष्ट्रीय पहचान बनती है। भाषा की समस्या का निवारण के लिए अंग्रेजी भाषा को न तो अनिवार्य किया जाना चाहिए और न ही पूरी तरह हटाया जाना चाहिए अर्थात हिंदी के विकल्प के रूप में कोई भी भाषा नहीं होनी चाहिए क्योंकि हिंदी भाषा ही हमारी सहज भाषा है। सन् 1976, 17 मार्च को राजभाषा विभाग ने हिंदी को सरकारी कामकाज में "सरल हिंदी का प्रयोग" की नीति को स्पष्ट किया और 'प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस' पर हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 'प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस' मनाया जाता है।

समस्या का कथन—

समस्या का निर्धारण ही सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है। सामाजिक घटनाएं निरंतर घटित होती रहती हैं परंतु उनमें समस्या क्या है? इसको तर्कबंद करना आवश्यक है अर्थात समस्या का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि उसमें तथ्यगत प्रकाश डाला जा सके। शोधकर्ता को उसी विषय का चयन करना चाहिए जिसमें उसकी विशेष रूचि हो। समाज में घटित घटनाओं को जब हम एक समस्या के रूप में देखते हैं तभी वह घटना अनुसंधान का विषय बनती है| जैसे-- मदिरापान, धूम्रपान, दहेज, बालश्रम आदि। अनुसंधान की समस्या का निरूपण किया जाता है इसलिए वह परिलक्षित होती है। अनुसंधान के उद्देश्यानुसार ही समस्या का केंद्र बिंदु निर्धारित किया जाता है। अनुसंधान की समस्या ऐसी होनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य में आने वाली परिस्थितियों में सुधार लाया जा सके क्योंकि अनुसंधान के लिए शोध न तो शोधकर्ता के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और न ही विषय की समृद्धि के लिए।

शिक्षा का संकट विकराल होता चला जा रहा है अतः यह कहना सर्वथा उचित होगा कि विभेदीकरण और विशेषीकरण की यह प्रक्रिया सकारात्मक रूप से चल रही है। वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार- "माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा को निर्देश का माध्यम स्वीकार किया गया है परंतु उच्च स्तर पर आज भी यह समस्या बनी हुई है कि क्या इस स्तर पर निर्देश का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए? अनेक विश्वविद्यालयों में अधिकांश विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम शिक्षा प्रदान की जा रही है ऐसा हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। इसके विपरीत केंद्र शासित क्षेत्रों व केंद्रीय विश्वविद्यालय में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी ही हैं। नगरपालिका तथा जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील का प्रावधान है जिसका माध्यम हिंदी भाषा है| वहीं दूसरी तरफ 300-1000 मासिक भुगतान वाले निजी क्षेत्रों के अंग्रेजी स्कूल। इतना बड़ा अंतर जहां प्राइमरी स्तर पर है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र की क्या स्थिति होगी यह एक गंभीर समस्या है?

इस प्रकार अंग्रेजी व हिंदी भाषा के मुद्दे में फंसकर निर्देश के माध्यम की भाषा एक गंभीर समस्या बन गई हैं और इस समस्या ने शिक्षा के स्तर को निम्न स्थिति में पहुंचा दिया है। निर्देश के माध्यम के बीच में फंसकर विद्यार्थी उलझकर रह गए है। वह ज्यादातर समय द्विभाषी को सीखने में लगा देते हैं। इसी असमंजस में वह खुद को निम्न समझने लगता है और धीरे-धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है और पतन के मार्ग पर अग्रसर होता चला

जाता है। सरकारी नीतियों और प्रावधानों के कारण एक बड़ी आबादी शिक्षा रोजगार और न्याय से वंचित है तथा उत्पीड़न का शिकार रही है अर्थात शिक्षा, रोजगारो और न्यायप्रणाली को भाषा के अनुरूप बना दिया है जिसका प्रतिनिधित्व देश के संपन्न लोग करते हैं जो कि अधिकतर अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| जिस तरह से शिक्षा नीति और प्रतियोगी परीक्षाओं का ढांचा बना दिया गया है वह पूरी तरह से ग्रामीण और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भाषा - विरोधी है| आजादी के बाद से ही शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं, रोजगारो में हिंदी और भाषाई भाषाओं की उपेक्षा की गई है| हिंदी भाषा में सफलता हासिल करने के बावजूद भी विद्यार्थियों को कई स्तर पर हतोत्साहित होना पड़ता है या किया जाता है| इसके विपरीत अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों या अंग्रेजीभाषी का प्रतिशत 3% से अधिक नहीं है यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम और भारतीय भाषा के माध्यम से प्रतियोगिता की सफलता का प्रतिशत बहुत कम है|

उच्च शिक्षा के स्तर का क्या तात्पर्य था? हमने उच्च शिक्षा के किस स्तर की कल्पना की थी? हमारी क्या अपेक्षाएं थी? क्या वह हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है या नहीं? क्या शिक्षा का ह्रास हुआ है यदि हां तो किस रूप में? क्या अपनी भारतीय संस्कृति, धरोहर में इतनी शक्ति व क्षमता नहीं है कि वह बिना पश्चिमी संस्कृति का सहारा लिए आत्मनिर्भर बना सके? क्या हमारी अपनी भाषा उपयुक्त संवाद के लिए अपर्याप्त हैं? क्या अभिव्यक्ति (Manifestation) का एकमात्र अध्ययन पश्चिमी भाषा ही है? जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान करने वाली हमारी शिक्षा पद्धति स्वयं प्रश्नचिन्ह के घेरे में कैद है। इन्ही समस्याओं का अध्ययन प्रस्तुत शोध में किया गया है|

अध्ययन का महत्व-

शिक्षा वर्तमान एवं भविष्य के लिए अद्भुत निवेश है अर्थात् कहने का आशय यह है कि शिक्षा द्वारा किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक विकास संभव होता है। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के विकास का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है। जितना ही प्राथमिक स्तर की शिक्षा का प्रसार, विकास, प्रगति और उन्नति होगी उतना ही उच्च स्तर की शिक्षाओं की भी होगी| देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण विधानसभा और संसद में न होकर विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में हो रहा है।

भाषा-संबंधी विचार राजनीतिक दृष्टिकोण से न करके यदि शैक्षणिक, सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए तो शायद भाषा-संबंधी समस्या समाप्त हो जाए। यह समस्या विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में निर्देश के माध्यमों के रूप में देखी जा सकती है। जिसका समाधान करना अतिआवश्यक है क्योंकि शिक्षा मानव की ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जो उसके बौद्धिक एवं व्यक्तित्व को विकसित करती हैं, चाहे वह प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो या उच्च स्तर की। यदि विद्यालयों में ही विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति नही कर पायेंगे तो वह अपना तथा देश का विकास ही नहीं कर पायेंगे । वे उच्च स्तर की शिक्षा तो प्राप्त कर सकेंगे परंतु वह सिर्फ डिग्री के लिए या नाममात्र की शिक्षा के लिए होगा। शोध-पत्र के अध्ययन का महत्व इस प्रकार है कि सरकारी, निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में भाषा की विभेदकारी व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में एकरूपता लाई जानी चाहिए इससे दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोनों ही माध्यमो के विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर जीवन में सफल होंगे। भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए| अतः प्रवेश परीक्षा में दोनों ही माध्यमों को वरीयता देनी चाहिए।

सामान्यतया भाषा-संबंधी विषय पर अलग-अलग नीतियों, आयोगो में शिक्षा के माध्यम की बात की गई है तथा समय-समय पर भाषा-संबंधी कार्यक्रम, नीतियां बनाई गई जिससे इस समस्या का समाधान संभव हो सके और विद्यार्थियों को किसी भी स्तर पर इस समस्या का सामना न करना पड़े तथा विद्यार्थी अपने ही माध्यम की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी यह समस्या अभी भी विकराल रूप लिए हुए हैं। भाषा के कारण यह दो माध्यमों (हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम) में बंट चुका है, अर्थात इनके मध्य एक खाई बन गई है। प्रस्तुत शोध में विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, आयोगों के भाषा सम्बंधित सुझाव दिए गये है इसके बाद भी यह समस्या बनी हुई है। निर्देश के माध्यमों का विद्यार्थियों पर तथा उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा वे किस प्रकार इस समस्या से deal करते हैं किन किन समस्याओं का सामना करते है? इसका पता लगाने के लिए यह शोध किया गया है यही इसका महत्व भी है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का पता लगाकर हमारे नीति-नियंता इस समस्या पर विद्यार्थियों के अनुरूप विचार कर सकें और उन्हीं के अनुरूप नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करें ताकि वह भी बिना किसी भाषायिक विवाद के शिक्षा को ग्रहण तथा अपने जीवन को सफल बना सके और देश के विकास, उत्थान और प्रगति में

योगदान और सहयोग प्रदान कर सकें। हमारे नीति-नियंताओ को इस बात पर विचार विमर्श करने होंगे|

उद्देश्य-

उद्देश्य वे लक्षण होते हैं जिन्हें हम अपने अध्ययन से प्राप्त करते हैं। वह पाठक को यह बताते हैं कि शोधकर्ता शोध-कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उद्देश्यों के शब्दों में बहुत ही स्पष्टता, विशिष्टता व सटीकता होनी चाहिए। यह संख्यानुसार सूचीबद्ध किए जाते हैं। उद्देश्यों को लिखते समय कार्य उन्मूलन क्रियाओं/ क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे- पता लगाना, निर्धारण करना, मापना, स्पष्ट करना, अध्ययन करना, आदि।

प्रस्तुत शोध में तीन उद्देश्यों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है--

1. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम) की नीतियों का पता लगाना|

2. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी माध्यम व अंग्रेजी माध्यम) से विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं का पता लगाना|

3. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों का विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाना |

उपकल्पनाएं

मानव स्वभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। जब हम किसी घटना या तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और ऐसा ही क्यों हुआ आदि? इसे ही समझने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष तथ्यों का प्रयोग प्रत्यक्ष तथ्यों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अप्रत्यक्ष तथ्यों को उपकल्पना, परिकल्पना या अभिकल्पना कहते हैं।

अनुसंधान की समस्या या लक्ष्य के अनुसार "किधर" चलाना है और "कैसे" चलना है, इसका पूर्व निर्धारण आवश्यक है अर्थात् शोधकर्ता अपने दिमाग में अनुसंधान की समस्या से संबंधित कुछ उपकल्पनाओं का निर्माण करता है जो कि एक प्रकार से शोध का निष्कर्ष होती हैं। उपकल्पना के आधार पर ही अनुसंधान की दिशा निर्धारित की जाती है। सरल भाषा में एक शोधकर्ता को समस्या के समाधान का पूर्व ज्ञान नहीं होता उसी समस्या के बारे में ज्ञात करने के लिए अनुमान लगाने को ही उपकल्पना कहते हैं। यह एक अस्थाई कथन होता है। उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच परीक्षण योग्य (Testable) समाधान को कहते हैं अर्थात् उपकल्पना के चरों के मध्य संबंध सत्य है या असत्य। इससे शोध को एक दिशा मिलती है।

"बिना किसी प्रत्याशित विचार के हम यह नहीं जान पाते हैं कि हम किन तथ्यों की खोज कर रहे हैं और न ही यह समझ पाते हैं कि हमारी खोज हेतु क्या सार्थक और क्या निरर्थक है।**"** '(एम. आर. कोहेन, 1930)'

"प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है, जिसकी रचना इसके तार्किक अथवा अनुभवपरक परिणामों को निकालने और परीक्षण करने के लिए की जाती हैं।**"** '(वेबस्टर कोश, 1968)'

"प्राक्कल्पना एक अस्थाई समान्यीकरण है, जिसकी प्रमाणिकता का परीक्षण किया जाना बाकी है।" '(लुंडबर्ग, 1951)'

"प्राक्कल्पना परीक्षण की जाने वाले प्रस्थापना है।" '(बोगार्ड्स)'

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपकल्पना किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति या दशाओं के बीच संबंधों को दर्शाता है। इस अंतर्संबंध का अनुभव के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। प्राकल्पना एक अस्थाई अनुमान है। प्रस्तुत शोध में तीन उपकल्पना को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है--

1. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम (हिंदी, अंग्रेजी माध्यम) की नीतियों का विशेष प्रबंध है जिनमें कहीं न कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है और जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है|

2. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी, अंग्रेजी माध्यम) से विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है|

3. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी, अंग्रेजी माध्यम) का विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के परिणाम अच्छे नहीं दिखाई देते है|

कार्यप्रणाली-- सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होने के कारण इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है| सामाजिक अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्यों से प्रेरित होता है| इन उद्देश्यों से हमें सामाजिक जीवन के बारे में उचित ज्ञान की प्राप्ति होती है| यह उचित ज्ञान तभी संभव है जब योजनाबद्ध, व्यवस्थित व वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से शोध किया गया हो| ऐसा इसलिए करना अनिवार्य है ताकि वह (शोधकर्ता) अपने शोध को वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा सिद्ध कर सके|

"जब विज्ञान की आधारभूत बातों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया जाता है उस विधि को Method (विधि) या Methodology (पद्धति) कहते हैं|" '(गुडे एवम् हॉट)'

"पद्धति विज्ञान द्वारा सिद्धांतों की प्रमाणिकता की जांच की जाती है इसमें कैसे के प्रश्न के उत्तर की खोज की जाती है|" (System of logic, 1898)

"Methodology का प्रयोग किसी विज्ञान के तार्किक आधार को ढूंढने के अर्थ में किया जाता है|" '(John Struall Mill)'

Mill ने सत्य की खोज संबंधी रीतियों एवं प्रमाणों की खोज पर बल दिया|

"कार्यप्रणाली आधारभूत तार्किक प्रक्रिया इसके द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं|" '(गुडे वा हॉट)'

"यह वैज्ञानिक कार्यविधि का विश्लेषण है|" '(काफमैन, Methodology of Social Science, 1944)'

"व्यवस्थित शोध के सिद्धांत के रूप को कहते हैं|" '(जी ली मेकिने)'

अर्थात् शोध की संपूर्ण कार्य-प्रणाली को कार्यप्रणाली कहते हैं|

विविध प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक पद्धति से संभव नहीं है इसलिए अनेक पद्धतियों, रीतियों, विधियों तथा उपकरणों का प्रयोग शोध में किया जाता है| अतः यह शोध

की विधियों का विज्ञान है| इन पद्धतियों, रीतियों तथा उपकरणों के माध्यम से ही तथ्यों को एकत्रित, वर्गीकृत, विश्लेषित तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं|

शोध-विधि को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया गया है| शोध कार्य से संबंधित कुछ प्रमुख शोध-प्रविधिओं की सहायता ली गई है जो कि इस प्रकार है---

साक्षात्कार अनुसूची (Interview schedule)—

यह प्रविधि (तकनीकी--यह क्रियात्मकता पर जोर देती है अर्थात तत्वों का संकलन कैसे किया जाए इस बात पर बल देती है? यह साक्ष्य (तथ्य) एकत्रित करने का एक विशिष्ट तरीका है। यह तथ्यों को संकलित व एकत्रित करने में सहायता प्रदान करती है अर्थात यह वह साधन है जिसके माध्यम से साक्ष्य को एकत्रित किया जाता है) का एक उपकरण है। यह प्रश्नों की एक सूची या श्रंखला होती है जिसके आधार पर उपकल्पनाओं का प्रशिक्षण किया जाता है| प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्न-उत्तर की तकनीकी पर आधारित विधियां है। प्रश्नावली को स्वयं सूचनादाता भरता है इसे स्वाभरित प्रश्नावली या डाक प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसमें संरक्षित प्रश्नों (structure questions-वह प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों की भाषा, शब्द, वाक्यांश तथा क्रम का निर्धारण पूर्ण निश्चित होता है) की सूची होती हैं| जैसे- डाक प्रश्नावली, प्रश्नावली अनुसूची|

"एक प्रश्नावली को सामान्यत: डाक द्वारा भेजा जाता है या सूचनादाता को दे दिया जाता है जिसे उसे साक्षातकारकर्ता की सहायता के बिना भरना होता है किंतु जिस उपकरण को प्रत्यक्षत: सूचनादाता को नहीं दिया जाता है उसे सामान्यतः अनुसूची तथा जिसे सूचनादाता से प्रश्न पूछकर साक्षात्कारकर्ता स्वयं भरता है, उसे सामान्यतः साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं।" ‘(के. डी. बैली,1978)’

साक्षात्कार--आमने-सामने की स्थिति में की गई बातचीत जिसके माध्यम से उत्तरदाता के माध्यम से सांझा की गई जानकारी को साक्षात्कारकर्ता द्वारा एकत्रित करना ही साक्षात्कार कहलाता है|

“सूचना एकत्रित करने हेतु अन्वेषक तथा सूचनादाता के बीच होने वाले वार्तालाप को साक्षात्कार कहते हैं|” “(Theodersion and Theodersion, 1970)”

अनुसूची-- अनुसूची भी मूल रूप से प्रश्नावली का ही विशिष्ट रूप है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष साक्षात्कार (आमने-सामने की स्थिति) में किया जाता है इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से

अनुसूची में लिखे प्रश्नों को पूंछकर उनके उत्तर स्वयं भरता है ऐसी प्रश्नावली को सामान्यतया प्रश्नावली-अनुसूची के नाम से जानते है।

"सामान्यत: अनुसूची शब्द (Term) का प्रयोग प्रश्नों के एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने-सामने की स्थिति में पूछे और उत्तर लिखे जाते हैं।" '(गुडे एवम हट्ट)'

"यह गणना की एक विधि है जिसका प्रयोग औपचारिक एवं मानकीकृत (Standardized) गवेषणाओं में विभिन्न प्रकार के परिमाणात्मक तथ्यों (Quantitative Facts) के संकलन हेतु किया जाता है।" '(पी. वी. यंग)'

अतः दोनों में रचना और बनावट की दृष्टि से काफी समानता है किंतु प्रयोग की दृष्टि से भिन्नता है। प्रश्ननावली और अनुसूची दोनों में काफी समानताएं है क्योंकि दोनों में सभी उत्तरदाताओं के लिए एक से ही ढंग से निर्मित प्रश्न होते हैं जो किसी केंद्रीय समस्या या समस्याओं से तार्किक रूप से संबंधित होते हैं। इन दोनों में अंतर है कि प्रश्नावली को शोधकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है जबकि अनुसूची को उत्तरदाता द्वारा भरा जाता है। साधारणत: प्रश्नावली का प्रयोग शिक्षित सूचनादाताओं में किया जाता है जो प्रश्न को पढ़कर स्वयं उत्तर लिख सके। साक्षात्कार अनुसूची शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की सूचनादाताओं के लिए तैयार की जा सकती हैं। प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची दोनों से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण और सारणीयन करके तथ्यों का सांखिकीय विश्लेषण किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में प्रतिबंधित या बंद प्रश्न की सहायता ली गयी है| प्रस्तुत शोध में पूर्ण संचरित या प्रतिबंधित (बंद) प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह निश्चित चुनाव वाले प्रश्न होते हैं जिनमें प्रश्नों के साथ सूचनादाता को कुछ संभावित वैकल्पिक उत्तर सुझाए जाते हैं। सूचनादाता को अपने विचारों से मिलते-जुलते उत्तर को चुनने के लिए कहा जाता है। इन्हें प्रतिबंधित या बंद प्रश्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सूचनादाता की प्रत्युत्तर के दायरे को वैकल्पिक उत्तरो द्वारा सीमित कर दिया जाता है| जैसे –हां, नहीं

शोध कार्य से संबंधित कुछ प्रमुख शोध-प्रविधिओं की सहायता ली गई है| तथ्यों को मुख्यतः दो विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है—

1. प्राथमिक स्रोत   2. द्वितीयक स्रोत

प्राथमिक स्रोत- तथ्यों को मुख्यतः दो विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह तथ्य प्राप्त करने की एक विधि है| प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं/आकडे होती हैं जिन्हें शोधकर्ता प्रथम बार field में जाकर संकलित व एकत्रित करता है इन्हें मुख्यतः प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार तथा अप्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है| शोधकर्ता घटनाओं का आकलन स्वयं करता है और उन व्यक्तियों का उत्तरदाता के रूप में चुनाव करता है जिनके पास सूचनाएं होती हैं| यह विश्वसनीय व प्रमाणिक होती हैं। प्राथमिक स्रोत के आधार पर निर्मित प्रलेखीय सामग्री प्राथमिक प्रलेख/दस्तावेज (Primary Document) कहलाते हैं|

द्वितीयक स्रोत- यह वे सूचनाएं और आंकड़े होते हैं जो शोधकर्ता को आर्टिकल, समाचार-पत्र, डायरी, रिपोर्ट, प्रलेखों, जनमाध्यम द्वारा प्रचारित रिपोर्ट, सरकारी आलेखों के माध्यम से प्राप्त होते है| यह सूचनाएं व आंकड़े शोधकर्ता के न होकर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित व किसी संस्था के होते हैं| इन्हें शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करता है|

"द्वितीयक स्रोत वे विद्यमान अथवा पूर्व संकलित दत्त है जिनका संकलन सामाजिक शोधकर्ता के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नही किया गया है|" '(फरकेस तथा रिचर,1973)'

"यह द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं अर्थात यह प्रथम बार संकलित किए गए तथ्य नहीं होते अपितु अन्य लोगों के द्वारा संकलित मूल तथ्यों के आधार पर निर्मित तथ्य होते हैं।" '(मन्न)'

"इन तथ्यों को प्रयोग करने वाले तथा प्रथम बार संकलित करने वाले लोग अलग-अलग होते हैं।" '(यंग)'

अतः यहां द्वितीयक स्रोत पर निर्मित प्रलय की सामग्री द्वितीयक प्रलेख (Secondary Document) कहलाते हैं।

इसप्रकार शोध-कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ प्रमुख शोध-प्रविधिओं की सहायता ली गई है|

"साक्षात्कार अनुसूची (प्रश्नों की एक सूची) के जरिए आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर उपकल्पनाओं का प्रशिक्षण किया गया है| कुछ निदर्शनों का चुनाव करके शोध-संबंधी सूचनाओं एवं आंकड़ों को संकलित किया गया है| इसके अलावा प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्त्रोत (Field work) एवं द्वितीयक स्रोतों (books, net, articles,

Newspapers, Journals etc) के द्वारा संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है जिसके आधार पर ही शोध के लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है|"

अध्ययन रेखा-चित्र /शोध अभिकल्प

अभिकल्प शब्द का अर्थ रुपरेखा बनाना या नियोजन करना या विवरण को व्यवस्थित करना होता है। **शोध अभिकल्प** अनुसंधान संचालन के लिए तथा लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी योजना बनाता है? जैसे- क्या अवलोकन करना है, अवलोकन कैसे करना है, कब और कहां अवलोकन किया जाना है, अवलोकनो की व्याख्या तथा विश्लेषण कैसे की जानी है आदि?

अतः हम यह कह सकते हैं कि अनुसंधान की अभिकल्पना और प्रक्रिया नियंत्रित वैज्ञानिक जांच से संबंध होती है। किसी भी कार्य को दो प्रकार से संपादित किया जा सकता है--
1.अनियोजित   2. नियोजित

अनियोजित या अनियोजन से तात्पर्य अव्यवस्थित रूप से कार्य करने से हैं। इसमें कार्य करने की कोई सुनिश्चित रूपरेखा या प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और कार्य के लक्ष्य, उद्देश्य, साधन और विधि आदि पर बिना विचार-विमर्श किए तत्काल में कार्य शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत नियोजन या नियोजित से तात्पर्य कार्य करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था और प्रक्रिया से है। जिसमें कार्य को शुरू करने से पूर्व उसके उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन, साधन और कार्यविधि पर सोच विचार करके उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तत्पश्चात कार्य की शुरुआत की जाती है ताकि कार्य के बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो और न ही कार्य को बीच में बन्द करना पड़े। कार्य करने का यह नियोजित तरीका ही हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करने के इसी तरीके को अपनाया जाता है जिसे शोध अभिकल्पके नाम से जानते हैं।

R. L. Acoff ने 'सामाजिक शोध का अभिकल्प (1963) में सबसे पहले अभिकल्प की बात की| उनके अनुसार—"अनुसंधान प्रयत्नों के निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं की योजना बनाना है।" उन्होंने अपने अध्ययन बताया कि-- "एक सुविचारित निर्णयों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिनका शोध के दौरान कार्यान्वयन किया जाना है ताकि कोई

अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने के पूर्व ही उसे नियंत्रित किया जा सके।" एक शोध अभिकल्प किसी भी शोध परियोजना (Research Project) की एक तार्किक, व्यवस्थित एवम् विस्तृत रूपरेखा (Detailed outline) या कार्य योजना है जो यह बताती है कि शोध कार्य को कैसे किया जाएगा ?

किसी विषय पर शोध करने से पूर्व उस विषय की रूपरेखा तैयार करना ही रिसर्च डिजाइन कहलाता है| इसे सामान्य भाषा में शोध कार्य का नक्शा (Blue Print) भी कहते हैं| ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों तथा बाधाओं का पहले से ही अनुमान लगाया जा सके तथा उनका निवारण करने के साथ-साथ लागत, व्यय, सामग्री, अनुमानित संख्या, उपकरण तथा तकनीकी तथा समय के बारे में विचार किया जा सके, ताकि शोध कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके| इसका उद्देश्य शोध को एक निश्चित दिशा देना होता है|

"**शोध अभिकल्प** तथ्यों के संकलन परिमापन तथा विश्लेषण हेतु बनाया गया एक नक्शा (blueprint) होता है|" "(बी.एस. फिलिप्स,1966)"

"एक शोध अभिकल्प एक ऐसी योजना है जो यह बताती है कि तथ्यों का संकलन व विश्लेषण कैसे किया जाएगा?" "(किर्क,1968)"

"अनुसंधान की एक तार्किक एवम् व्यवस्थित योजना तथा उसका निर्देशन होती है|" "(पी. वी. यंग,1977)"

"शोध अभिकल्प शोध की एक योजना, एक संरचना तथा व्यूह रचना होती है, जिसके द्वारा अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर तथा उनके प्रसरण को नियंत्रित किया जाता है।" '(एफ. एन. कार्लिंगर)'

"वांछित जानकारी के संग्रहण और विश्लेषण के लिए विधियों व प्रक्रिया को बताने वाला मास्टर प्लान है।" '(जिक्मंड,1988)'

तथ्यों के संकलन की विधि क्या होगी उसकी विश्वसनीयता का मापन कैसे की जाएगी तथा उनके विश्लेषण के लिए कौन सा तरीका (गुणात्मक,मात्रात्मक) अपनाया जाए इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है? यह शोध कार्य की तार्किक रणनीति होती है ताकि शोध कार्य आसानी से हो सके| इसमें तथ्य संकलन की विधियों तथा उपकरणों पर जोर दिया

जाता है जिसके माध्यम से शोध के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है| यह एक निश्चित प्रक्रिया है नियोजन का अर्थ किसी कार्य को करने से पूर्व उसके लक्ष्य एवं साधनों का निर्धारण करना होता है| यह नियोजन कार्यक्षमता को बढ़ा देता है| इसे अनुसंधान की व्यूह रचना (Research strategy) भी कहते हैं| यह क्या और कैसे का उत्तर जानने के लिए बनाई जाती है अर्थात शोध कैसे की किया जाए, कौन से तथ्यों को कब और कैसे संकलित किया जाए इस बात पर बल देती है? प्रत्येक विषय की अपनी एक विषयवस्तु होती है| जिसका अध्ययन करने के लिए विशिष्ट विधियों, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है....

मात्रात्मक विधि-- इस विधि में सामाजिक तथ्यों का वर्णन संख्याओं के रूप में किया जाता है अर्थात् जो विधियां संख्याओं एवं माप को महत्व देती हैं मात्रात्मक विधि कहलाती है| यह सामाजिक अनुसंधान की वह विधि है जिसमें घटनाओं को संख्यात्मक दृष्टि से मापा जाता है| इस विधि में विचार, मत एवं भावनाओं को मापने का प्रयास किया जाता है| इस विधि को परिमाणात्मक तथा संख्यात्मक विधि भी कहते हैं|

"विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धतिओं, तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्णायन है|" '(लुंडबर्ग)'

उपरोक्त परिभाषा से हम यह कह सकते हैं कि परिमाणात्मक विधि द्वारा तथ्यों की गणना का कार्य किया जाता है तथा उन्हें व्यवस्थित किया जाता है| उन Variables की माप की जाती है जिन्हें गिना या संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है|

गुणात्मक विधि-- इसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उनके गुणों के आधार पर किया जाता है| इस विधि में तर्कशास्त्र का सहारा लिया जाता है| इस विधि में आगमन (सामान्य से विशिष्ट) तथा निगमन (विशिष्ट से सामान्य) विधियों का प्रयोग किया जाता है| गुणात्मक शोध में सटीकता और सूक्ष्मता की कमी होती है| ऐसे चरो की माप करता है जिन्हें संख्याओं में नहीं दर्शाया जा सकता अर्थात् जिनकी माप न की जा सके| जैसे- सुख-दु:ख, अंधविश्वास, घटना, व्यवहार आदि|

मात्रात्मक तथा गुणात्मक विधि में अंतर—

मात्रात्मक अनुसंधान में परिकल्पनाएं अध्ययन के पूर्व बनाई जाती है जबकि गुणात्मक विधि में उपकल्पनाएं या तो अध्ययन के दौरान या अध्ययन के बाद प्रतिपादित की जाती हैं।

1. मात्रात्मक अनुसंधान में अवधारणाओं को परिचालित किया जाता है जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अवधारणाओं को केवल संवेदनात्मक बनाया जाता है।
2. मात्रात्मक अनुसंधान, अनुसंधान अभिकल्पन में अभिकल्प आदेशात्मक होता है जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अभिकल्प आदेशात्मक नहीं होता है।
3. मात्रात्मक अनुसंधान में प्रतिदर्श का नियोजन आधार सामग्री संग्रह की पूर्व किया जाता है जबकि गुणात्मक अनुसंधान में यह आधार सामग्री संग्रह के दौरान किया जाता है।
4. मात्रात्मक अनुसंधान में प्रतिदर्श प्रतिनिधि होता है जबकि गुणात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता है।
5. मात्रात्मक अनुसंधान में सभी प्रकार के मापन, स्केल्स का प्रयोग किया जाता है जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अधिकतर साधारण मापन ही प्रयोग होते हैं।
6. मात्रात्मक अनुसंधान में बड़े अनुसंधान में आधार सामग्री संग्रह करने के लिए साधारण अन्वेषक रखे जाते हैं जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अकेले ही साधारण सामग्री का विश्लेषण कर लेते हैं।
7. मात्रात्मक अनुसंधान में आमतौर पर आगमन सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता हैं जबकि गुणात्मक अनुसंधान में विश्लेषणात्मक समान्यीकरण किए जाते हैं।
8. इसमें रिपोर्टिंग में निष्कर्ष अधिक संकलित होते हैं जबकि गुणात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं होता है।

अतः इसप्रकार "प्रस्तुत अध्ययन रेखा-चित्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान (मिश्रित अनुसन्धान रिसर्च) का प्रयोग किया गया है |"

अध्ययन-क्षेत्र

यह अनुसंधान का मुख्य चरण है| शोध की वास्तविक शुरुआत यहीं से होती है| तथ्यों का संकलन शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर करता है| यह शोध के उद्देश्य क्षेत्र और आकार पर निर्भर करता है| शोध की योजना बनाते समय शोध के क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों के बारे में भी विचार-विमर्श किया जाता है कि शोध का क्षेत्र क्या होगा तथा उस शोध की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या समस्त में से कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है?

प्रस्तुत अध्ययन **"लखनऊ जिले के बाबासाहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय"** में किया गया है| यह विश्वविद्यालय रायबरेली मार्ग पर स्थित है| यह विश्वविद्यालय 250 एकड़ में फैला हुआ है| विश्वविद्यालय की स्थापना 10 जनवरी, 1996 को हुई थी। इस विश्वविद्यालय में एक केंद्रीय पुस्तकालय भी है जिसका नाम गौतमबुद्ध केंद्रीय पुस्तकालय रखा गया है। विश्वविद्यालय में तीन पुरुष छात्रावास (Boys Hostel) तथा तीन महिला छात्रावास (Girls Hostel) हैं। इस विश्वविद्यालय का एक उपरिग्रह परिसर भी है जो अमेठी में है| यह उपरिग्रह परिसर 2016 में स्थापित किया गया था। इस विश्वविद्यालय में 15 School हैं| इन स्कूलों में 40+ विभाग है तथा इन विभागों में शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है| इन विभागों में 4000 से ज्यादा विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करते है|

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निर्देश के माध्यम (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) से होने वाली समस्याएं क्या-क्या है तथा वह इन समस्याओं का किस प्रकार सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और समस्याओं का निवारण करते हैं? इसका पता लगाने के लिए इस क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र के लिए चुना गया है|

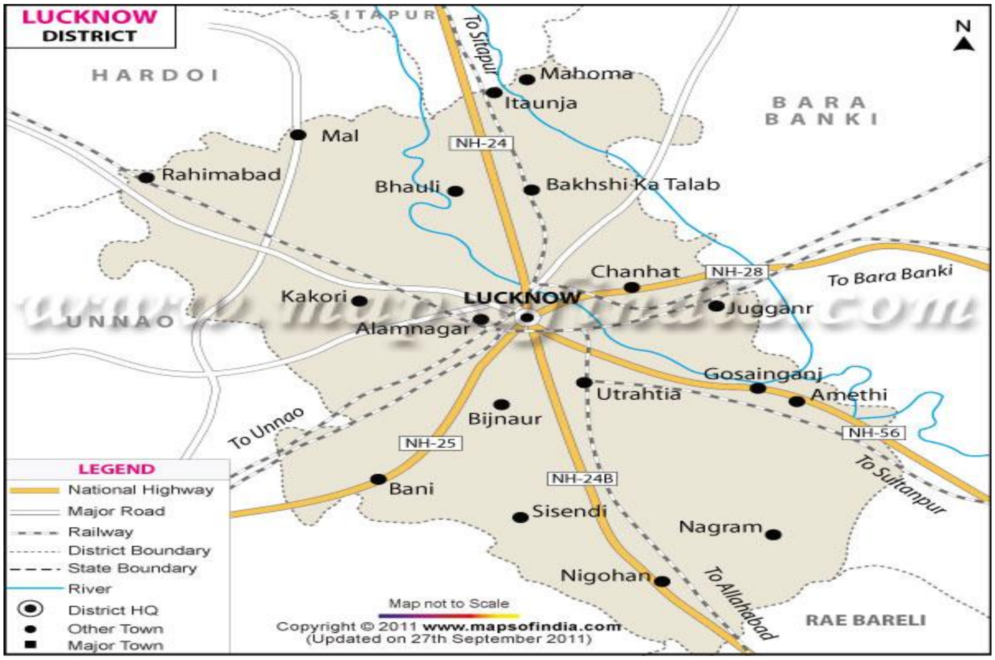

लखनऊ, मानचित्र

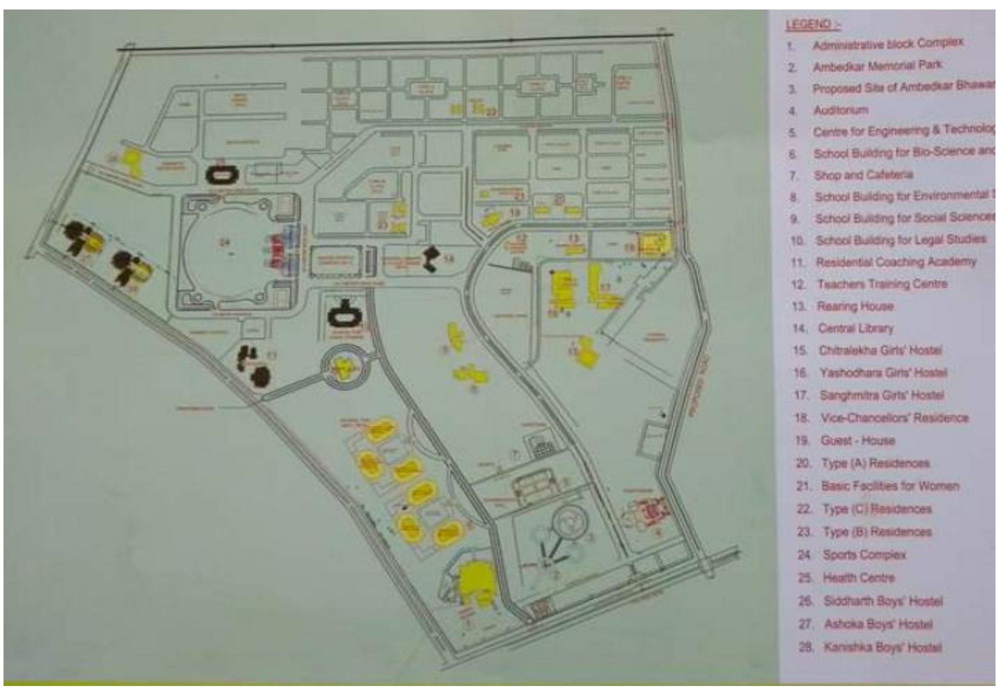

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडर विश्वविद्यालय,लखनऊ

प्रतिदर्श विधि

शोध की योजना बनाते समय शोध के क्षेत्र तथा अध्ययन की इकाइयों के बारे में भी सोच-विचार किया जाता है कि शोध का क्षेत्र क्या होगा और किन क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा या उनमें से कुछ सीमित इकाइयों को चुनकर ही उनका अध्ययन किया जाएगा? इन समस्त इकाइयों का अध्ययन वैज्ञानिक शोध में दो प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है--

1. संगणना विधि   2. प्रतिचयन विधि

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया है|

प्रतिचयन विधि--- प्रतिचयन विधि में शोध क्षेत्र की कुछ प्रतिनिधियों इकाइयों का चयन करके उन चयनित इकाइयों का ही अध्यन किया जाता है|

“किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना प्रतिचयन कहलाता है|” ‘(बोगार्ड्स, 1954)’

“एक विशिष्ट समग्र (Universe) में से एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, प्रकरणों या घटना के चयन की प्रक्रिया को प्रतिदर्श कहते हैं|” ‘(पार्टेन, 1950)’

“प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है|” ‘(गुडे एवं हॉट, 1952)’

“निदर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों व निरीक्षणों को निकाला जाता है|” ‘(फेयरचाइल्ड)’

"एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके।" ‘(मानहीम 1977)’

अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी शोध हेतु एक संपूर्ण समूह में से एक भाग या अंश का चुनाव करना ही प्रतिदर्श कहलाता है|

दो प्रकार के प्रतिदर्श होते है—1. सम्भावना प्रतिदर्श   2.गैर-सम्भावनाप्रतिदर्श

सम्भावना प्रतिदर्श-- प्रस्तुत शोध में सम्भावना प्रतिदर्श का प्रयोग किया गया है| प्रतिदर्श में चयन किए जाने के संयोग (chance) को संभाव्यता कहा जाता है। इस प्रकार के चयन की

यह विशेषता है कि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना बराबर रहती है। संभावनामूलक में समान संभावना या संयोग को महत्व दिया जाता है| इस निदर्शन में पक्षपात रहित व समग्र की प्रत्येक इकाई को समान अवसर दिया जाता है| साथ ही इसमें सर्वाधिक प्रतिनिधिकता पाई जाती है जो एक अच्छे प्रदर्शन की पहली शर्त है।

जैसे- Random Sampling

"ब्लैक एंड चैंपियन,1976" संभावनामूलक प्रतिचयन के प्रयोग की निम्न शर्ते बताई है---

1. अध्ययन क्षेत्र के व्यक्तियों की पूर्ण सूची की उपलब्धता|
2. समग्र की उपयुक्त परिभाषा और उसके आकार का पूर्व ज्ञान|
3. अपेक्षित प्रतिदर्श की मात्रा की निश्चितता|
4. समग्र के प्रत्येक इकाई को चुने जाने का सामान और अवसर|

Systemetic Random Sampling

"बाउले ने 1915" में सर्वप्रथम सामाजिक सर्वेक्षण में इस विधि Random Sampling Method का प्रयोग किया| यह सम्भावना प्रतिदर्श का भाग है| साधारणतया दैव प्रतिचयन में समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का सामान और स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। इस विधि में समभाव्य प्रतिचयन के सभी गुण होते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आसानी से समझा और प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें अभिनति (Bias) के उत्पन्न होने की संभावना अन्य विधियों की अपेक्षा कम रहती है। इस विधि में प्रतिदर्श त्रुटि की मात्रा बहुत कम होती है तथा इसका परिकलन (Calculation) भी सरल होता है। इसमें सर्वप्रथम जनसमूह की संख्या के आधार पर प्रतिदर्श का अनुपातिक आकर निश्चित किया जाता है तथा इकाइयों की सूची निश्चित की जाती है इसमें इकाई का चुनाव एक पूर्ण निश्चित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है| इस प्रतिदर्शन में पूर्व निर्धारित व्यक्तियों की सूची में से प्रत्येक वे व्यक्ति लेकर घटकों को एकत्र करना होता है। सरल शब्दों में-- प्रथम उत्तरदाता को याद्दच्छ रूप से चुना जाता है और फिर प्रत्येक वे व्यक्ति को चुना जाता है। यह प्रयोग में आसान और सरल होता है।

"व्यवस्थित प्रतिदर्शन में प्रतिदर्श इकाइयों का चयन पूर्ववर्ती इकाई के चयन पर निर्भर होता है।" '(मेजर तथा काल्टन, 1971:83)'

"यह समस्त प्रणाली हमारे स्वयं के पूर्वाग्रहों और अभिनतियों से मुक्त होने के कारण एक वस्तुपरक विधि है।" '(कार्लिगर)'

अतः हम यह कर सकते हैं कि यह एक सरल, सुविधाजनक, निष्पक्ष, वस्तुपरक और प्रतिनिधिक प्रतिचयन विधि हैं।

"प्रस्तुत अध्ययन लखनऊ जिले के बाबासाहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों के चयन के लिए Prability Sampling के Systematic Random Sampling Method (व्यवस्थित यादृच्छिक नमूना विधि) विधि का प्रयोग किया गया है|"

प्रतिदर्श आकार---

किसी भी शोध में प्रतिदर्श का आकार या मात्रा क्या होनी चाहिए? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न है और इसका निश्चित उत्तर देना बड़ा कठिन है कि प्रतिदर्श में कितने व्यक्ति रखे जाने चाहिए अर्थात् प्रतिनिधि होने के लिए प्रतिदर्श कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए? जैसे-- कुछ लोगों का मानना है कि सबसे सामान्य आकार समग्र का दसवां भाग है तथा कुछ कहते हैं कि सांख्यिकी निष्कर्ष निकालने के लिए कम से कम 100 व्यक्ति आवश्यक है। सामाजिक शोध के संदर्भ में प्रतिदर्श के आकार/मात्रा का निर्धारण और भी कठिन होता है क्योंकि एक विषय को प्रभावित करने वाले कई कारक/चर होते हैं। एक लघु प्रतिनिधिक प्रतिचयन का प्रयोग कर हम प्रतिदर्श की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। प्रतिदर्श न तो बहुत छोटा न बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रतिदर्श के छोटा होने से उसकी प्रतिनिधित्वता ही समाप्त हो जाएगी जबकि प्रतिदर्श इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह पूरा समग्र ही बन जाए और प्रतिदर्श के प्रमुख गुण कम समय, कम लागत खर्च, और कम श्रम का लोप हो जाए अर्थात् 80% के प्रतिदर्श की कोई महत्ता नहीं होती है।

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 15 School हैं| इन स्कूलों में 40 से अधिक विभाग है| जैसे- साइंस (अंग्रेजी माध्यम), आर्ट्स (हिंदी,अंग्रेजी माध्यम), कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम), इंजिनियरिंग (अंग्रेजी माध्यम) आदि| इन विभागों में 4000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते है| प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न विभागों के 80 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श-

आकार में शामिल किया गया है| जिनमें से 40 छात्राओं तथा 40 छात्रों को प्रतिदर्श के आकार के रूप में चुना गया है| साइंस, इंजिनियरिंग, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ छात्र-छात्राओं को शामिल किया गया है| प्रस्तुत अध्ययन में चयनित विभागों (14) के school के डीन्स, विभागों के प्रोफेसर्स तथा विभागाध्यक्षो/विभागाध्यक्षाओं को भी प्रतिदर्श-आकार के रूप में शामिल किया गया है जिनकी कुल संख्या 24 है|

इस प्रकार प्रतिदर्श-आकार की सहायता से तथ्यों को एकत्रित व शोध को सुचारू रूप से संचालित किया गया है|

आंकड़ा संग्रहण की विधि एवम् विश्लेषण

यह अनुसंधान का मुख्य चरण है| शोध की वास्तविक शुरुआत यहीं से शुरू होती है| तथ्यों का संकलन शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर करता है| यह शोध के उद्देश्य क्षेत्र और आकार पर निर्भर करता है| किसी भी शोध कार्य में तथ्यों के संकलन करने मात्र से ही शोध कार्य की इतिश्री नहीं हो जाती अपितु यह तो शोध कार्य की वास्तविक शुरुआत है। तथ्यों और समंको को एकत्रित करने से भी अधिक महत्वपूर्ण उनका विश्लेषण तथा व्याख्या करना होता है जिसके आधार पर शोध के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। संकलित तथ्यों का कोई महत्व नहीं होता है| यह प्रायः निर्जीव होते हैं| विश्लेषण और व्याख्या के द्वारा ही शोधकर्ता इन निर्जीव तत्वों में प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें सजीव बनाता है अर्थात उन्हें एक अर्थ प्रदान करता है| तथ्यों के आपसी संबंधों को उजागर करने तथा तुलना करने के लिए शोधकर्ता उन्हें वर्गीकृत पर समूहीकृत करता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि शोध के सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचने में सफल हो सके। किसी भी उपकल्पना की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इसी बात पर निर्भर करती है कि उसके संबंध में कितने साक्ष्य उपलब्ध है। तथ्यों के विश्लेषण की विधियों का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वह संकलित तथ्यों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करें तथा संदेह होने पर उन तथ्यों का परीक्षण कर सके। विश्लेषण की विधियों के प्रयोग द्वारा ही वैज्ञानिक संकलित तथ्यो की वास्तविक प्रकृति के संबंध में निर्णय कर पाता है। शोधकर्ता द्वारा एकत्रित डेटा एक Raw material (कच्ची सामग्री) की भांति होता है| इन्ही कच्ची सामग्रियों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तथ्य सामग्री को एक-दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर किसी सैद्धांतिक ढांचे में डाला जाता है|

"जिस प्रकार किसी मकान का निर्माण पत्थरों से होता है उसी प्रकार विज्ञान की रचना तथ्यों से होती है किंतु तथ्यों के संकलन मात्र को उसी रूप में विज्ञान नहीं कहा जाता जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता।" '(पाइनकेयर)'

"पी. वी. यंग ने तथ्यों के विश्लेषण को शोध का सृजनात्मक पक्ष कहा उनके अनुसार तथ्य स्वयं कुछ नहीं कहते वे मूक होते हैं उन्हें व्यवस्थित विश्लेषण द्वारा मुखरित किया जाता है।" '(पी.वी. यंग,1977)'

"विश्लेषण का तात्पर्य शोध प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण, क्रमबद्ध करना, समन्वयक तथा संक्षिप्तीकरण है। विश्लेषण का उद्देश्य तथ्यों को बोधगम्य तथा व्याख्या योग्य बनाना है ताकि शोध समस्याओं के संबंधो का अध्ययन एवं जांच की जा सके।" '(कार्लिंगर)'

अतः हम कह सकते हैं कि तथ्यों का विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या वैज्ञानिक शोध की आधारभूत आवश्यकता है जिसके द्वारा तथ्यों को व्यवस्थित करके एक आकार प्रदान किया जाता है।

यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है....

1. तथ्यों का संपादन (Editing of data)

2. तथ्यों का संकेतन (Coding of data)

3. वर्गीकरण और सारणीयन (Classification & Tabulation)

1.तथ्यों का संपादन

संपादन का अर्थ सूक्ष्म तथा सफलतापूर्वक सामग्री का अनुवीक्षण (minute and careful examination of data) करना है। अनुवीक्षण का उद्देश्य तथ्यों में रह गई अशुद्धियों में सुधार तथा कमियों को पूरा करना है ताकि यथार्थ निष्कर्ष निकाला जा सके। जिस प्रकार किसी अखबार का संपादक किसी रचना को छापने से पहले उसमें आवश्यक काट-छांट अशुद्धियों में सुधार तथा रचना को अद्यतन बनाने का प्रयास करता है ठीक उसी प्रकार एक शोधकर्ता संकलित सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए अशुद्धियों व त्रुटियों की विधिवत जांच करके उनमें आवश्यक संशोधन करता है। इसे ही तथ्यों का संपादन कहते हैं।

2. तथ्यों का संकेतन

संकेतीकरण का अर्थ उत्तरों को संख्यात्मक मूल्यों में बदलना या आधार सामग्री के विश्लेषण में प्रयोग किए जाने के लिए एक चर के विभिन्न वर्गों को संख्या प्रदान करना होता है। संकेतीकरण आमतौर पर प्रश्न तैयार करते समय प्रश्नावली, साक्षात्कार सूची को अंतिम रूप देने के पूर्व तैयार किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्र कार्य पूर्व में संकेत किए गए प्रश्नों के साथ किया जाता है। संकेतीकरण का कार्य संकेत पुस्तक, संकेत सीट और कंप्यूटर कार्ड के प्रयोग से किया जाता है। संकेत पुस्तक यह व्याख्या करती है की प्रश्नावली/सूची में प्राप्त उत्तर वर्गों को किस प्रकार संख्यात्मक संकेत दिए जाए।

"संकेतीकरण वर्गीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। संकेतन द्वारा कच्ची सामग्री को संकेतों में व अंको में बदला जाता है ताकि आसानी से उनकी गणना या सारणीयन की जा सके।" ‘(सैलिज)’

“संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है तथा प्रत्येक तथ्य को उसके वर्गानुसार एक संख्या या संकेत प्रदान किया जाता है। इस प्रकार संकेतों की गणना के द्वारा हमें किसी वर्ग में तथ्यों की कुल संख्या का पता चल जाता है।“ ‘(गुडे एवम् हट्ट)’

3. वर्गीकरण और सारणीयन

संपादन इससे यह निश्चित हो जाता है कि सूची में प्राप्त जो जानकारी है वह शुद्ध है और उसका वर्गीकरण एक उपयुक्त रूप से किया जा चुका है। इसके बाद आधार सामग्री को कुछ सारणियों में एक साथ रखा जाता है और अन्य प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण भी किए जा सकते हैं। सारणी हाथों और कंप्यूटर द्वारा तैयार की जाती है।

वर्गीकरण-- तथ्यों को अर्थ पूर्ण समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यह विभाजन तथ्यों को समानता और विभिन्नता के आधार पर किया जाता है अर्थात् सामान तथ्यों को एक समूह में तथा विभिन्न तथ्यों को उनके समानता के आधार पर अन्य समूह में रखा जाता है। तथ्यों का वर्गीकरण किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण का मुख्य आधार है। तथ्यों के संपादन के बाद विश्लेषण के लिए तथ्यों का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। वर्गीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामग्री की विशाल मात्रा को संक्षिप्त

करने का प्रयास किया जाता है ताकि सामग्री की विशिष्ट प्रकृति स्पष्ट रुप से दिखाई दे सके। इसकी सहायता से शोध सामग्री की आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित आकार प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश अनेक व्यक्तियों द्वारा दिए गए उत्तरों को कम से कम समूहों में वर्गीकृत करके उन्हें सरल बनाना होता है।

"तथ्यों का वर्गीकरण किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक विश्लेषण का मुख्य आधार है।" '(काल्विन स्मिद)'

"वर्गीकरण तथ्यों (वास्तविक और कल्पित) को उनकी समानता और साद्दश्यताओ के आधार पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने की एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता के मध्य पाए जाने वाले गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है।" '(कोन्नौर)'

"वर्गीकरण विभाजन का दूसरा नाम है अर्थात् एक विभाजन अथवा उप विभाजन को ही एक वर्ग कहते हैं।" '(कार्लिंगर)'

सारणीयन-- संपादन तथा वर्गीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि व्यक्तिगत प्रश्न तालिकाओं (प्रश्नावलियों) से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे सही है तथा उन्हें सही तरह से वर्गीकृत कर लिया गया है। इसके बाद सभी प्रश्न तालिकाओं के उत्तर से यह मालूम किया जाता है कि कितने सूचनादाताओं ने प्रश्न का उत्तर हां अथवा ना में दिया है। गणना की यह प्रक्रिया ही सारणीयन कहलाती हैं। किसी भी शोध में सारणीयन वर्गीकरण के बाद किया जाता है। वर्गीकरण के बिना तथ्यों का सारणीयन करना असंभव है। सारणीयन को Column और Row में दर्शाया जाता है। तथ्यों को क्रमबद्ध करने की यह प्रक्रिया ही सारणीयन/ सारणीकरण कहलाती है।

"सारणीयन में मुख्य कार्य गणना ही है ताकि इसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि विभिन्न वर्गों में व्यक्तिगत सूचनाओं की संख्या कितनी है।" '(सैलिज)'

"सारणीयन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण है।" '(कोन्नोर)'

"सारणीयन वर्गीकृत आंकड़ों को सारणी के रूप में संक्षिप्त करने की प्रविधि है ताकि आंकड़ों को सुगमता से समझा जा सके और उसके आधार पर तुलना की जा सके।" '(ग्रेगरी एवं वार्ड)'

यह आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के बीच की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तथ्यों के संकलन के आधार पर ही कारण और प्रभाव की स्थापना की जाती है| इन्हीं संकलित तथ्यों के आधार पर ही भविष्यवाणी (prediction) की जाती है न कि कल्पनाओं के आधार पर| अनुसंधान की समस्या के अनुसार डाटा कलेक्शन के लिए उपयुक्त उपकरण का चुनाव किया जाता है| सर्वेक्षण की विस्तृत योजना बनाने के बाद उपयुक्त विधि द्वारा डाटा को संकलित किया जाता है जैसे- प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, पैमाना द्वारा डाटा एकत्रित करना| डाटा का सही संकलन ही डाटा का विश्लेषण व निर्वचन के लिए आधार बनता है|

सामाजिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण का प्रयोग समाज की असामान्य दशाओं (सामाजिक समस्याओं) के साथ-साथ सामान्य दशाओं (समाज की संरचना, प्रकृति, परिवर्तन, मूल्यों, विचारों, कार्यकारण संबंधों आदि) के अध्ययन के लिए किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण को सामाजिक शोध की एक ऐसी पद्धति माना जाता है जिसका प्रयोग विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध के लिए किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्भव सामाजिक सुधार, उन्नति और कल्याण की भावनाओं के उद्देश्य से प्रेरित था। सर्वेक्षण कौन, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए किए जाते हैं?

“किसी एक समुदाय के संपूर्ण जीवन के किसी एक पक्ष का व्यवस्थित तथा तथ्यपूर्ण विश्लेषण करना ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है| जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, निर्धनता आदि|” ‘(फेयरचाइल्ड, Dictionary of sociology)’

"किसी सर्वेक्षण की योजना, संगठन तथा उसका संचालन किसी व्यापार चलाने के समान है। दोनों के लिए विशेष लगन, चतुराई, प्रबंधन और विशेष अनुभव या उसी प्रकार के कार्य के प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है।" ‘(पार्टेन, 1950)’

"किसी विशिष्ट उद्देश्य से सूक्ष्म रूप से देखने, परखने या निरीक्षण करने की प्रक्रिया सर्वेक्षण कहलाती हैं।" ‘(ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सल कोश, 1955)’

"वास्तविक जानकारी प्राप्त करने हेतु आलोचनात्मक निरीक्षण को सर्वेक्षण कहा जाता है।" ‘(वेबस्टर शब्दकोश)’

"सर्वेक्षण एक सहकारी प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं में आबद्ध तथा कार्यशील तात्कालिक सामाजिक समस्याओं एवं दशाओं के अध्ययन तथा समाधान हेतु किया जाता है।" '(फेयरचाइल्ड, 1955, समाजशास्त्र कोश)'

"सर्वेक्षण किसी समुदाय की दशाओं एवं आवश्यकताओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है।" '(ई. डब्ल्यू. बर्गेस)'

"एक सामाजिक सर्वेक्षण प्रायः व्यक्तियों के एक समूह की रचना, क्रियाओं तथा रहन-सहन की दशाओं की खोज है।" '(सिन पाओ येंग)'

"एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी सामाजिक दशा, समस्या अथवा जनसंख्या के किसी निश्चित उद्देश्यों हेतु वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप में विश्लेषण की एक विधि है।" '(एच. एन. मोर्स, 1924)'

अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते है कि सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग सूचना को एकत्रित करने के लिए किया जाता है| इन एकत्रित तथ्यों का प्रयोग किसी समस्या का कारण जानने, उसका निदान ढूंढने, सामाजिक सुधार और पुनर्निर्माण की कोई योजना बनाने आदि उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। यह एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विश्वासों, विचारों, धाराओं तथा व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा उन्हें प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों तथा पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण व विवेचन करने के लिए डाटा को संकलित व एकत्रित करता है|

"सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर "साक्षात्कार अनुसूची (प्रश्नों की एक सूची) का प्रयोग करके आंकड़ों संकलित व एकत्रित किया गया है| आंकड़ों का विश्लेषण हाथ, पेन, पेंसिल, केलकुलेटर, प्रतिशत और तालिकाओं (Tables) का उपयोग करके अध्ययन के निष्कर्षों को स्पष्ट करने के लिए तैयार किए गया है|"

नैतिक प्रतिपूर्ति

इसमें मनुष्य के कर्तव्यों एवं अकर्तव्यों पर विचार किया जाता है, इसे नैतिक विज्ञान भी कहते हैं क्योंकि यह उचित तथा अनुचित में भेद कराता है| नैतिकता का संबंध अनुसंधानकर्ता के नैतिक कर्तव्यों से हैं|

अतः कहा जा सकता है कि इन मुद्दों का संबंध ऐसे प्रश्न से है जो शोध करते समय शोधकर्ता के लिए क्या उचित है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे उन्हें बचने की आवश्यकता है? तथ्यों के संग्रह उत्तरदाता के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्यों को ध्यान में रखकर किया है जो निम्न है—

1. तथ्यों के संग्रह के दौरान किसी भी उत्तरदाता को जानकारी प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है| तथ्यों के संग्रह के दौरान उत्तरदाताओं की सुविधाओं को पहली प्राथमिकता दी गयी है|
2. शोधकर्ता को उत्तरदाता को शोध से संपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है|
3. शोधकर्ता को उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचना को उसके नाम से सार्वजनिक नहीं किया गया है|
4. किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं दिया गया है|

इसप्रकार प्रस्तुत शोध के कार्य को करने के लिए विभिन्न विधियों एवम् कार्यप्रणालियों का उपयोग किया गया है|

प्रस्तुत अध्ययन की रूपरेखा/प्रस्तावना उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के निर्देश के माध्यम पर आधारित है| प्रस्तुत अध्ययन में यह बताया है कि- भाषा और वर्चस्व का गहरा रिश्ता है| अंग्रेजों ने जहां-जहां अपना वर्चस्व कायम किया वहां-वहां अपनी भाषा का वर्चस्व भी स्थापित किया| बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भाषा अंग्रेजी थी और यह उनके व्यापार की भाषा थी| मैकाले के आगमन पर उसने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो उनके तथा उनके द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच दुभाषिये का काम कर सके| अनेक प्रोद्योगिकी संस्थानों तथा तकनीकों ने भूमंडलीकरण को जन्म दिया| भूमंडलीकरण के विस्तार के साथ ही अंग्रेजी भाषा का तेजी से विस्तार हुआ तथा हिंदी भाषा का ह्रास हुआ| यह भाषा उच्च वर्ग की भाषा थी अर्थात् शासित वर्ग के माध्यम से बोली जाती थी| इस भाषा ने समाज को उच्च तथा निम्न वर्ग में बाँट दिया| भाषा को लेकर कई आन्दोलन हुए जिसके कारण भाषायिक आधार पर देश का विभाजन हुआ| भाषा से सम्बंधित समस्या यही तक सीमित नहीं रही,

इसने स्कूलों, कॉलेजों, तथा विश्वविद्यालयी स्तर तक की शिक्षा पर अपना प्रभाव डाला| निर्देश को दो माध्यमों में विभाजित कर दिया- हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम| शिक्षा के माध्यमों ने विद्यार्थियों को दो वर्गों में भी विभाजित किया है, पहला- उच्च वर्ग, दूसरा- निम्न वर्ग

उच्च शिक्षा पर इस समस्या का प्रभाव अधिक देखा जाता है| उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है जिसका हिंदी माध्यम के विद्यार्थी विरोध करते है क्योंकि वे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होते है| इसप्रकार छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है| अपरिचित भाषा में निर्देश देने पर उनकी शिक्षा बाधित होती रहती है जिससे उनमे ज्ञान, कौशल और बुद्धि की कमी देखी जाती है| उचित ज्ञान की कमी के कारण वे प्रतिष्ठित पदों की प्राप्ति भी नही कर पाते| इसप्रकार धीरे-धीरे शिक्षा का ह्रास होने लगता है| जब किसी वस्तु का स्तर एक बार गिर जाता है तो वह आसानी से अपने पुराने स्तर पर नही आ पाती| अर्थात् कहने का आशय यह है कि शिक्षा का स्तर एक बार गिर जाने पर स्तर ऊंचा नही उठता क्योंकि उस पर ग्रेशम का नियम लागू हो जाता है और शिक्षा का स्तर निरंतर नीचे गिरता चला जाता है, यही हाल उच्च शिक्षा के स्तर का भी है| प्रस्तुत शोध में निर्देश के माध्यम की समस्या तथा उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है और यह बताया गया है कि किसप्रकार विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी भाषा के बीच में फंसकर रह गये है| प्राथमिक स्तर से हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पड़ता है| भाषा की समस्या से किस प्रकार निजात पाने के लिए अनेकों सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के बावजूद भी उच्च शिक्षा के स्तर पर भाषा सम्बंधित समस्या बरकरार है| विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद भी भाषा सम्बंधित समस्या उच्च शिक्षा पर क्यों बनी हुई है और विद्यार्थी किस प्रकार इन समस्याओं के रहते उच्च शिक्षा ग्रहण करते है? इसी का पता लगाने के लिए यह शोध किया गया है यही इस शोध का महत्व भी है? प्रस्तुत शोध में अध्ययन का उद्देश्य तथा उपकल्पनाओं के बारे में भी बताया गया है तथा इसी अध्याय में अध्ययन की सम्पूर्ण संरचना के बारे में बताया गया है जिसे अध्ययन प्रविधि के रूप में शामिल किया गया है| इन्ही अध्ययन प्रविधियों की सहायता से शोध कार्य को पूरा किया गया है|

अध्यायीकरण- इस शोध-प्रबंध में कुल 5 अध्याय है जो इस प्रकार है-

1. प्रस्तावना- प्रस्तुत अध्याय में शोध का परिचय, उसकी समस्या, महत्व, उद्देश्य तथा उप्कल्पनाओं के साथ-साथ शोध की कार्यप्रणालियों के बारे में चर्चा की गयी है|
2. भारत में शिक्षा नीतियां- प्रस्तुत शोध से सम्बंधित नीतियों तथा साहित्य की समीक्षाओं का उल्लेख किया गया है|
3. सैन्धान्तिक परिपेक्ष्य- प्रस्तुत अध्याय में शोध से सम्बंधित सिधान्तों का प्रयोग किया है|
4. निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभाव
5. निष्कर्ष तथा सुझाव

अध्याय.2

भारत में शिक्षा नीतियां

अध्याय.2

भारत में शिक्षा नीतियां

वर्तमान समय में यह विवादित है कि निर्देश का माध्यम (विशेषकर उच्च शिक्षाएं) अंग्रेजी में हो या मातृभाषा, हिंदी हो या क्षेत्रीय भाषाएं हो। दो संघीय भाषा होने के कारण हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लगता है कि हिंदी भाषा को तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को लगता है कि अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम होना चाहिए। दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थी अपने-अपने माध्यम को स्वीकारते है जिनमे वे पढ़ाई करते आये हैं। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजी भाषा के पक्षधर जहां कम नहीं है वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषा के विरोधी भी हैं। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यह निश्चित किया गया कि धीरे-धीरे सन् 1965 तक अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राजकीय कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा परंतु बहुभाषी देश में ऐसा संभव न हो सका। भारत के संविधान में राजभाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए भारत में कहा गया कि – "हिंदी भाषा के प्रसार में वृद्धि करना, विकास करना भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके और अंग्रेजी को सहकारी भाषा का दर्जा दिया गया।"

भाषा की समस्या से शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता रहा है। निर्देश का माध्यम के रूप में किस भाषा का उपयोग किया जाए इस संबंध में अनेकों विवाद तथा विभिन्न संस्थाओं की भिन्न-भिन्न नीतियां हैं ? भारतीय शिक्षा की अनेक समस्याएं है जिनमें से निर्देश का माध्यम भी उन्ही समस्याओं में से एक है| इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय समाज ने, सरकार, समाज-सुधारको एवं राजनीतिज्ञों द्वारा अनेक प्रयत्न किए गए| सरकार ने भारतीय संविधान के अंतर्गत विद्यार्थियों की शिक्षा-संबधी समस्याओं के समाधान के लिए तथा उपरोक्त कथनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयोगों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किये| सरकार ने भारतीय संविधान के अंतर्गत इन समस्याओं के समाधान से सम्बंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये, जो कि इस प्रकार है --

भारत में संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए दो स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है- 1. राज्य स्तर 2. केंद्र स्तर

शिक्षा समाज का विषय है जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व सरकार तथा राज्य का है| शिक्षा प्रशासन के संबंध में अहम भूमिका केंद्र सरकार की है। कुछ विचारक (एम.एन. रॉय, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, के. दामोदरन, पी.सी. जोशी, राहुल सांकृत्यायन) शिक्षा के केंद्रीकरण के पक्ष में थे तथा कुछ विचारक (गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. हुमायूं कबीर, के. एम. श्रीमाली) शिक्षा के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे।

शिक्षा का केंद्रीकरण से अभिप्राय—"शिक्षा के संबंध में केंद्रीय शासन को कुछ निश्चित शक्तियां देकर शेष शक्तियां राज्य को देना|"

शिक्षा का केंद्रीकरण के पक्ष में तर्क --

1. शिक्षा के केंद्रीकरण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में शिक्षा में एकरुपता लाई जा सकती हैं।
2. संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजना का निर्माण किया जा सकता है।
3. एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने के कारण राष्ट्र में सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर मिलेंगे।
4. शिक्षा से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं जैसे- राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता, भाषा, छात्र एवं छात्रा असंतोष इत्यादि का समाधान संभव है।

शिक्षा का विकेंद्रीकरण से अभिप्राय—"शिक्षा के क्षेत्र संबंधित कुछ निश्चित शक्तियां राज्य को देना तथा शेष शक्तियां केंद्र शासन को देना|"

शिक्षा का विकेंद्रीकरण के पक्ष में तर्क –

1. विकेंद्रीकरण स्वयं प्रजातंत्र का आधार है| 'महात्मा गांधी'—"विकेंद्रीकरण होने से सभी क्षेत्र से स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपने यहां शैक्षिक व्यवस्था कर सकते हैं|"
2. विकेंद्रीकरण के द्वारा समाज के सभी वर्गों की शैक्षिक उन्नति संभव है|
3. विभिन्न क्षेत्रों की अपनी संस्कृति और मूल्य होते हैं| शिक्षा के विकेंद्रीकरण के द्वारा इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है|

भारत जैसे राष्ट्र के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण दोनों को सम्मिलित रुप से अपनाया जाना चाहिए| शिक्षा के क्षेत्र में नीति-निर्धारण का कार्य तो केंद्र सरकार का होना चाहिए तथा प्रबंधन एवं संचालन का कार्य राज्य का होना चाहिए|

केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की आवश्यकतानुसार साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए|

शिक्षा को **42वें संविधान संशोधन** द्वारा **राज्य सूची से हटाकर सन् 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची** में शामिल किया गया जबकि उच्च शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखना, जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान देना तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने के लिए केंद्र सरकार दायित्व ग्रहण करेगी। संघ सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख भारतीय संविधान के **Article-7** में किया गया है|

भाषा से संबंधित अनुच्छेद

भाषा आयोग की बात संविधान के **भाग -17** में की गई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है।

1. **Article 343** - भाषा आयोग का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल के तहत यह प्रावधान किया गया है कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी तथा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी ताकि हिंदी को प्रभावी तरीके से बढ़ावा दिया जा सके।

2. **Article 344 -** हिंदी को प्रभावी बनाने के लिए राजकीय भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।

3. **Article 345 -** राज्य की राजभाषा के रूप में हिंदी/ उर्दू भाषा मानी जाएगी।

4. **Article 346 -** एक राज्य का दूसरे राज्यों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान उसकी राजभाषा (हिंदी/अंग्रेजी) में की जाएगी |

5. **Article 347 -** यदि किसी राज्य की जनसंख्या के विशेषानुपात द्वारा यदि कोई

भाषा बोली जा रही है तो उस भाषा को संरक्षित करने के विशेष प्रावधान किए जाएं।

6. **Article 348 -** high court तथा supreme court में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी होगी लेकिन substitute भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग कर सकते है। देश में उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों में कामकाज की भाषा हिंदी व क्षेत्रीय भाषा को लागू करने का प्रावधान है ताकि देश की आम जनता अपनी भाषा में न्याय का अधिकार पा सके।

7. **Article 350 -** व्यथा निवारण (याचिका) के लिए हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते है।

8. **Article 350 (क)-** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा हिंदी होगी।

9. **Article 350 (ख) -** Minorities के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।

10. **Article 351 -** हिंदी को राजभाषा के रूप में ही नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में रखने का संकल्प लिया ताकि हिंदी के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्रकार भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित Articles निम्नलिखित है|

वुड्स डिस्पैच (1854)

'Board of control के प्रधान वुड' ने भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत की जिसे **"वुड का Dispatch"** कहते हैं। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का माध्यम तथा सुधारो आदि पर विचार किया गया था। इस प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को निर्देश का माध्यम बनाने की

सिफारिश की, साथ ही भारतीय भाषाओं को भी निर्देश का माध्यम बनाने तथा विकास के महत्व पर विशेष बल दिया।

1. जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे वे अंग्रेजी और देसी भाषाओं में से किसी को भी शिक्षा का माध्यम बना सकते थे| दोनों भाषाओं को अवसर दिया गया था।

2.सरकारी पदों पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना था जो अंग्रेजी माध्यम से हो।

सन् 1833 -1853 का समय भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए संक्रमणकालीन दौर था| इस काल में शिक्षा का अंग्रेजीकरण हो गया था | **विलियम बेंटिक** ने पाश्चात्य शिक्षा पर बल देकर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। इस नीति को व्यवहारिक रूप '**लोक शिक्षा समिति**' ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने के लिए संस्थानों का पुनर्गठन किया तथा **'1833 के आज्ञा-पत्र'** ने भारत के द्वार सब देशों के मिशनरियों के लिए खोल दिए तथा इन मिशनरियों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल व कॉलेज खोल दिए।

इस प्रकार अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया। **सन् 1854 में भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा** कर दी गई। यह घोषणा-पत्र **वुड के घोषणा-पत्र** के नाम से व्याख्यात हुआ। इस घोषणा-पत्र को "**भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा"** भी कहा जाता है।

कमियां—

1. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहने के कारण गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों को समझने व पढ़ने में कठिनाई होने लगी।
2. इस नीति में मैकाले की दोषपूर्ण नीति (शिक्षा का माध्यम) का अधिक समावेश हुआ।
3. शिक्षकों को नौकरी देना। सिर्फ नौकरी के लिए लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे।
4. भारतीय भाषा का ह्रास एवम् अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ।
5. भारतीय साहित्य की उपेक्षा की गयी|
6. शिक्षा तथा औद्योगिक संस्थाओं में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी को ही बढ़ावा दिया गया।

इसप्रकार '**वुड**' ने भारतीय शिक्षा की अनेकरुपता को समाप्त कर शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास किया।

लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति (1902)

लॉर्ड कर्जन जब भारत का वायसराय बना तो उसने मैकाले की शिक्षा नीति की कटु आलोचना की और कहा कि-- "**मैकाले की शिक्षा नीति देशी भाषाओं के विरुद्ध है।" सन् 1801** में कर्जन ने एक सम्मेलन में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की। **सन् 1902 में कर्जन सर टॉमस रो की अध्यक्षता** में एक **"विश्वविद्यालय आयोग"** की स्थापना की। इस आयोग के सदस्य '**सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं जस्टिस गुरूदास बैनर्जी**' थे। विश्वविद्यालय आयोग का मुख्य उद्देश्य **विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना, संविधान तथा कार्यक्षमता के बारे में सुझाव देना था**। इसका मुख्य कार्य उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित था।

इसप्रकार **सन् 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम** पारित हुआ। विश्वविद्यालय सुधार के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए, 5 वर्ष तक देने कीव्यवस्था की गई। सरकार ने निरक्षरता खत्म करने की नीति पर बल दिया तथा पिछड़े वर्गों को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रबंध किया। अंग्रेजी शिक्षा का स्वरूप पाश्चात्य मॉडल के आधार पर तैयार किया वहीं दूसरी तरफ भारतीयों में इसका विरोध हो रहा था। अंग्रेजी साम्राज्य में भारत को अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों से गुजरना पड़ा। भगवान दीनदयाल के विचारानुसार—"इस नीति के विरुद्ध आम जनता की शिकायत यह थी कि अंग्रेजी के माध्यम से केवल कुछ ही व्यक्ति पश्चात ज्ञान का अर्जन कर सकते थे। साथ ही अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम के कारण भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा था।"

कर्जन पाश्चात्य संस्कृति का उपासक और भारतीय संस्कृति का आलोचक था किंतु शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तथा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर उच्च उच्च शिक्षा के स्तर को सशक्त किया। इस नीति के कारण राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होने से मुसलमानों में यह भय था कि- अंग्रेजी पढ़ने और पश्चिमी विधाओं को जानने से अधर्म बढ़ता है और वे 'काफिर' कहे जा सकते थे। वे अंग्रेजी पढ़ने को ईसाई धर्म स्वीकार करने के समान समझते थे। **'सरसैय्यद'** ने मुस्लिम शिक्षा के लिए एक विशिष्ट शिक्षा संस्था की आवश्यकता पर बल दिया और **सन् 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो यूनिवर्सल कॉलेज** की स्थापना की। सर सैय्यद ने अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष बल दिया क्योंकि यह शिक्षा सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी। इनके अनुसार--" किसी समुदाय या

व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना राजकीय सेवाओं में प्राप्त स्थान से जांचा जा सकता था। अत: यह उच्च शिक्षा पर बल देते थे।"

वर्धा योजना (1937)

1937 ई. में गांधी जी ने अपने हरिजन के अंकों में शिक्षा पर योजना प्रस्तुत की जिसे वर्धा योजना कहा गया। इस योजना को आधारभूत शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, मौलिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) में भारत सरकार ने बेसिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए योजना बनाई। **सन् 1937 में डॉ. जाकिर हुसैन ने वर्धा योजना** में निर्देश के माध्यम के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया-- **"शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो विद्यार्थियों पर अंग्रेजी लाना ठीक नहीं। जब रूस मातृभाषा में ही देश का विकास कर सकता है तो हम क्यों नहीं?"**

सर्जेंट की शिक्षा नीति (1944)

शिक्षा सलाहकार मंडल ने सर्जेंट योजना (सर्जेंट भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार थे) के नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की। सर्जेंट ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जिसे 12 भागों में विभाजित किया। इसमें प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय तक की शिक्षा पर चिंतन किया गया है। **सर्जेंट योजना ने "सैडलर कमीशन"** के सुझावों की पुनरावृत्ति की और अंग्रेजी को द्वितीय अनिवार्य भाषा के रूप में शिक्षा का माध्यम करने का सुझाव प्रस्तुत किया|

इसप्रकार भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)

इस आयोग का गठन **सन् 1948 ई. में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता** में किया गया। **अगस्त 1949** में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। **4**

नवंबर 1948 ई. में भारत सरकार द्वारा इस आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग में कुल 10 सदस्य शामिल थे। इस आयोग को **"डॉ. राधाकृष्णन आयोग"** भी कहा जाता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना तथा सुधार हेतु सुझाव देना था। उच्च शिक्षा के विस्तृत अध्ययन हेतु एक प्रश्नावली तैयार की जिस पर 600 व्यक्तियों ने उत्तर दिया तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, शिक्षाधिकारियों, शिक्षाशास्त्रियों से बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की| इस जानकारी के आधार पर आयोग ने **अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार के समक्ष** प्रस्तुत की| यह रिपोर्ट दो भागों (747 पृष्ठ 18 अध्याय, आंकड़े व प्रश्नोत्तर) में विभाजित है| रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है।

शिक्षा के माध्यम संबंधी सुझाव—

शिक्षा के माध्यम की समस्या पर इस आयोग ने गंभीरतापूर्वक विचार किया--

1. भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाए।
2. हाईस्कूल, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से शिक्षा दी जाए क्योंकि अंग्रेजी भाषा आधुनिक सभ्यता, विचारों, दर्शन एवं विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने तथा भारत में एकता स्थापित करने में सहायक रही है।
3. बाह्य विश्व के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।
4. उच्च शिक्षा का अध्ययन क्षेत्रीय भाषा में रखा जाए। हिंदी भाषा का भी उपयोग किया जा सकता है।
5. हिंदी का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए। इसे देश के सभी भागों में उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए।
6. उच्च शिक्षा का माध्यम धीरे-धीरे अंग्रेजी से हटाकर किसी भारतीय भाषा को बनाया जाए।
7. जो शब्द अन्य स्रोतों से आकर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें आत्मसात करके हिंदी को समृद्ध बनाया जाए।
8. हिंदी व अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली बनाने हेतु सरकार को विशेषज्ञों की बोर्डों का निर्माण करना चाहिए।
9. उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को 3 भाषाओं- क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराया जाए।

10. राष्ट्रभाषा हेतु केवल देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाए तथा इस लिपि के दोषों को दूर किया जाए|

इसप्रकार इस आयोग ने क्षेत्रीय तथा संघीय भाषाओं को उचित स्थान प्रदान कर शिक्षा के माध्यम की समस्या को हल करने का प्रयास किया।

मुदालियर आयोग (1952-1953)

मुदालियर आयोग की दुविभाषा -सूत्र में अंग्रेजी की उपेक्षा के कारण विरोध किया गया। अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने वालों ने हिंदीभाषा का विरोध किया तथा हिंदी भाषा का समर्थन करने वालों ने अंग्रेजी भाषा का विरोध किया| इस तरह से भाषा-समस्या पर विवाद शुरू हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए **सन् 1956 में "केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद" ने त्रिभाषा-सूत्र** को प्रस्तुत किया| केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) अपनी देश की आवश्यकताओं और संवैधानिक अनिवार्यताओ को ध्यान में रखते हुए 13 वी बैठक, जनवरी 1957 में भाषा शिक्षण की समस्याओं पर विचार कर त्रिभाषा-सूत्र तैयार किया| जिसे **"राधाकृष्णन आयोग"** ने पारित किया।

भावात्मक एकता समिति (1961)

भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए "**सन् 1961 में डॉ. संपूर्णानंद की अध्यक्षता में "भावात्मक एकता समिति"** का गठन किया गया| देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए त्रिभाषा-सूत्र का निर्माण किया गया। इस समिति ने भाषा विवाद की समस्या को समाप्त करने के लिए निम्न सुझाव दिए--

1. हिंदी भाषी राज्यों में विद्यर्थियों को दक्षिण भारत की एक भाषा को पढ़ाया जाए ताकि उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों में भावात्मक एकता एवं सद्भावना उत्पन्न हो सके। यह सुझाव दक्षिण भारत में हिंदी का अत्यधिक विरोध के कारण दिया गया।

2. विश्वविद्यालय स्तर पर संपर्क भाषा (हिंदी और अंग्रेजी) का प्रभावशाली अध्यापन किया जाना चाहिए जिससे भावनात्मक एकता स्थापित की जा सके।

राष्ट्रीय एकता परिषद (1962)

"सन् 1962 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद" का गठन किया गया इन्होंने भी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया| हिंदी के विकास एवं संवर्धन के लिए निम्न सुझाव दिए ---

1. अंतर प्रादेशिक विचार - विनिमय के लिए हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने की बात थी|
2. केंद्र सरकार तथा विभिन्न प्रदेश सरकारें संस्थानों को हिंदी प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्रदान करें|
3. अहिंदी भाषी प्रदेशों में केंद्र सरकार निःशुल्क हिंदी की पुस्तकें प्रदान करें।
4. केंद्र सरकार दुवीभाषी पुस्तकें तैयार करें।

कोठारी शिक्षा आयोग (1964 -1966)

इस आयोग का गठन **"4 जुलाई 1964 में डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता"** में हुआ था। इसे **"कोठारी आयोग"** भी कहा जाता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं पहलुओं की जांच करना था। इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूलाधार माना। राष्ट्र के परिपेक्ष में शिक्षा के **5 उद्देश्य, लक्ष्य व कार्य बताए** जिन्हें **"पंचमुखी कार्यक्रम"** की संज्ञा दी।

1. सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता— सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्न सुझाव दिए --

- मातृभाषा अर्थात् प्रादेशिक भाषा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ समय पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

- अंग्रेजी के शिक्षण तथा अध्ययन को विद्यालय स्तर से ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- रूसी भाषा तथा अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के अन्य भाषाओं के अध्ययन के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों में अंग्रेजी को ही देश का माध्यम रखना चाहिए। कुछ समय पश्चात् अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए।
- सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायता हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए।

2. शिक्षा व उत्पादन |

3. शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण |

4. शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास।

भाषाओं के अध्ययन संबंधी सुझाव---

1. हिंदी के माध्यम को प्रोत्साहित करने हेतु संपूर्ण देश के विभिन्न स्थानों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए परंतु किसी को भी हिंदी अध्ययन करने हेतु विवश नहीं किया जाना चाहिए।
2. अहिंदी क्षेत्रों के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में आधुनिक भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जानी चाहिए और छात्रों को अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
3. उच्च शिक्षा के संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए किसी भी भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।
4. शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

शिक्षा के माध्यम संबंधी सुझाव--

1. स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जा सकती है। उच्चशिक्षा के शिक्षकों को क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होना चाहिए।
2. स्नातक स्तर की शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाओं का आधार होना चाहिए।

3. विश्वविद्यालय में शास्त्रीय तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं को अनिवार्य विषयों का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि इन्हें वैकल्पिक विषयों का स्थान दिया जाना चाहिए।

कोठारी शिक्षा आयोग की शिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तात्पर्य-- "शिक्षा के उन सिद्धांतों एवं नीतियों के निर्धारण से है जिनके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है।"

सन् 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के राष्ट्रीय नीति के निर्धारण पर बल दिया। इस शिक्षा नीति ने संपूर्ण भारतीय शिक्षा को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखने का प्रयास किया। शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर एवं भारत सरकार के विचार के पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने का कार्य **"एक संसदीय समिति" को सन् 1967 में सौंपा** गया। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर **सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा** की गई। यह **शिक्षा नीति इंदिरा गांधी (पूर्व प्रधानमंत्री) द्वारा शुरू** की गई|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)

इस शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास पर विस्तृत रूप से विचार किया गया तथा सुधार के निम्न सुझाव दिए--

1. आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्य-सामग्री तथा संदर्भ पुस्तके तैयार कराई जाएंगी।
2. विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए अभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।
3. अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा।
4. अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की सहायता ली जाएगी।
5. हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1979)

भाषा के संबंध में त्रिभाषा-सूत्र को अपनाने के बात की। इस नीति में संस्कृत भाषा को हटाकर उसकी जगह पर उर्दू या किसी आधुनिक भारतीय भाषा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह सुझाव राजनीति से प्रभावित था। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा को महत्व देकर अल्पसंख्यकों को प्रसन्न करना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

यह शिक्षा नीति **'राजीव गाँधी' की अध्यक्षता में** बनाई गयी| इस शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास पर विस्तृत रूप से विचार किया गया तथा सुधार के निम्न सुझाव दिए—

1. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संपर्क भाषा का विकास, पुस्तकों का विविध भाषाओं में अनुवाद और बहुभाषायी शब्दकोशों एवं शब्दावलियों के प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया गया।
2. शिक्षा नीति में समानता की मांग के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की बात की।
3. राजकीय एवं निजी सेवाओं में नौकरी के लिए क्षेत्रीय भाषा में परीक्षाओं का आयोजन करने के बात की तथा यह भी कहा कि उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
4. शिक्षण साहित्य संदर्भ साहित्य आदि को क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाए।

राममूर्ति निरीक्षण आयोग (1990)

यह एक पर्यवेक्षणीय कमेटी है। इस आयोग के 15 **सदस्यों ने MHRD को अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990** में प्रस्तुत की| जिसे **9 जनवरी 1991 में लोकसभा में पेश** किया गया। इस आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी। इस आयोग ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया क्योंकि ऐसा करने पर क्षेत्रीय असमानताएं दूर हो सकती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

2019 में MHRD ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का Draft तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी"** दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 **का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख 'के. कस्तूरीरंगन' की अध्यक्षता** में विशेषज्ञों की समिति ने तैयार की जिसके आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तैयार की गई। उच्चतर शिक्षा मनुष्य और समाज कल्याण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 21वीं शताब्दी की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों का विकास जरूरी है। उच्च शिक्षा व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम, चरित्र का विकास, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, भाषा, व्यवसायिक शिक्षा तथा क्षमताओं को विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं| राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भाषा के माध्यम तथा भाषा के प्रचार-प्रसार, भाषा को संरक्षित एवम् संवर्धन के लिए इस शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि निम्न है--

1. विद्यार्थियों के विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में मूल्यों का एक सेट शामिल किया जाएगा।

2. वर्तमान में भारत में सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित कुछ क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं में भाषा की समस्या एक गंभीर समस्या है। जहां विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय जो स्थानीय भाषा में पढ़ाते हैं वहां विद्यार्थियों की पहुंच सीमित भाषा में है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्थान (Higher Education Institute) स्थापित व विकसित किए जाएंगे जिसमें बहुविषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय हो जो प्राइवेट तथा सार्वजनिक दोनों में विकसित किए जाएंगे| 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशाल बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान हो जो भारत में अधिकतर शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम स्थानीय व भारतीय भाषाओं में प्रदान करती हो तथा जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय भाषाएं, भारतीय भाषाएं

व द्विभाषी होगा। भाषा के चुनाव पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा अर्थात् विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार भाषा का चुनाव कर सकते है|

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सांस्कृतिक स्तर पर भी भाषा की बात की गई है। भाषा नि:संदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएं दुनिया को विभिन्न तरीके से देखती हैं इसलिए मूलरूप से व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता व किस प्रकार से ग्रहण करता है यह उस व्यक्ति की भाषा से ज्ञात होता है? एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन संस्कृति का ही प्रतिबिंब है। अत: संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। जैसे- साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म, परंपरागत कार्यक्रम आदि की सराहना भाषा के बिना संभव नहीं है।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार**--** भारतीय भाषाओं के समुचित ध्यान व देखभाल न करने के कारण **देश में पिछले 50 वर्षों में 220 भाषाएं खो** दी हैं। **"यूनेस्को" ने 197 भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित** किया। इसके साथ ही और भी कई भाषाएं जिनकी लिपि नही हैं लुप्त होने के कगार पर हैं| अत: संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण व प्रचार-प्रसार के लिए संस्कृति की भाषाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करना होगा।

5. भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अधिगम को उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि भाषाएं प्रासंगिक एवं जीवित बनी रहे। इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम, प्रिंट सामग्री की निरंतरता बनी रहनी चाहिए| जैसे- पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडियो, नाटक, कविताएं, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि।

6. भाषाओं के शब्दकोष तथा शब्द भंडार को अधिकारिक रूप से निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए तथा व्यापक स्तर पर भी करना चाहिए ताकि मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं के माध्यम से चर्चा की जा सके।

7. उच्चतर शिक्षा संस्थान तथा उच्च शिक्षा के अधिकारिक कार्यक्रमों में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रमों को

दुभाषी रूप से चलाया जाए। विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा व प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) जिसका लक्ष्य 2018 में 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% तक करना होगा) में बढ़ोतरी हो सके।

8. कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उचित गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित की जाएगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन पुरातत्व, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सृजन किया जाएगा।

9. भारत शीघ्र ही Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI) की स्थापना की जाएगी| जो भारतीय भाषाओं का अनुवाद तथा व्याख्या के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। जिसके माध्यम से उचित गुणवत्ता वाली महत्वपूर्ण लिखित व मौखिक सामग्री (content) उपलब्ध हो सके।

10. अनेक बहुभाषी भाषा और विषय विशेष विशेषज्ञों तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा जिससे भारतीय भाषाओं को प्रसारित व प्रचारित किया जा सके।

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा स्तरों पर शिक्षा के लिए **क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल** दिया| इसी परिपेक्ष में **AICTE (All India Council for Technical Education)** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर के 14 कॉलेजों को (हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, असमिया, पंजाबी, उड़ीसा) 11 क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ चयनित इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति दी।

12. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने हाल ही क्षेत्रीय के में एक उपकरण विकसित किया जो अंग्रेजी के content का 11 भारतीय क्षेत्रीय

भाषाओं में online अनुवाद करता हैं|

Central Institute of English Foreign Languages (CIEFL)

"केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान" मंत्रालय के अधीन विश्वविद्यालय के समान उच्च शिक्षा देने वाला स्वायत्तशासी निकाय है। यह हैदराबाद में स्थित है। शिलांग तथा लखनऊ में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। यह अंग्रेजी शिक्षा में स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा जैसे कई पाठ्यक्रम और दूरवर्ती शिक्षा पत्राचार के माध्यम से शोध चलाता है। यह देश में अंग्रेजी शिक्षण अध्ययन के क्षेत्र में सुधार लाता है। इसके अंतर्गत सरकार की 2 योजनाएं है जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अनुदान दिया जाता है।

1. अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान **|**
2. District center for English को लागू करता हैं ।

हिंदी भाषा का प्रोत्साहन

भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या अधिक है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी का समर्थन किया गया है। हिंदी को व्यवहारिक एवं वैधानिक दृष्टि से भारत की संपर्क भाषा तथा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास एवं प्रसार की विशेष प्रयत्न किए गए हैं जो निम्न हैं--

1. हिंदी के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी अनुदान दिया जाता है।

2. अहिंदी भाषी प्रदेशों में हाई स्कूल के बाद हिंदी का अध्ययन करने पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

3. अहिंदी भाषी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा आदि पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है।

4. केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में वैज्ञानिक विधि द्वारा हिंदी शिक्षण सामग्री एवं सहायक सामग्री (Accessories) के निर्माण के लिए तथा इस संस्थान ने हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दकोष भी प्रकाशित किए।

5. अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा विभाग ने हिंदी लेखकों को पुरस्कार देने की योजना सन् 1983-84 में की। इस योजना के अंतर्गत दो वर्गों में लिखी गई पुस्तकों के लिए 16 पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं तथा प्रत्येक पुरस्कार ₹25000 का होता है।

पहला वर्ग-- साहित्य, कथा, नाटक, संस्मरण, यात्रा वृतांत, निबंध, कविता, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इस वर्ग में 10 पुरस्कार दिए जाते हैं|

दूसरा वर्ग-- पांडुलिपियां (जो भारत की क्षेत्रीय संस्कृति पर लिखी जाती है) इस वर्ग में 6 पुरस्कार दिए जाते हैं।

6. ग्रंथों के हिंदी अनुवाद करने पर भी पुरस्कार की योजना का प्रावधान है।

7. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (Scientific and Technical Terminology Commission) हिंदी शब्दकोश और विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करता है।

8. भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए कुछ प्रशिक्षण संस्थान (Training Institute) भी स्थापित किए गये हैं।

9. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा हिंदी भाषा का प्रचार कर रही है।

10. राज्य प्रशासनिक (State Administrarive) एवं भारतीय प्रशासनिक (Indian Administrarive) प्रतियोगिता परीक्षाओं (PCS, IAS, RO etc.) में हिंदी को भी शामिल किया गया है।

11. 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' हिंदी परीक्षाओं का संचालन करती है। कुछ प्रदेशों

(केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक) में हिंदी का सामान्य ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है।

12. MHRD के अधीन कार्यरत भाषा विभाग और भाषा संस्थान अधिक सशक्त बनाए जाएंगे ताकि भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले कार्यक्रम विकसित किये जा सके। केंद्रीय संस्थान आगरा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, केंद्रीय अंग्रेजी एवम् विदेशी संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली, ये संस्थाएं मिलकर प्रकोष्ठ (Cell) तैयार करेंगी जो भाषा शिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर सके|

13. अहिन्दी छात्रों को हिंदी पढ़ाने/सिखाने के लिए केंद्रीय हिन्दी संस्थान के माध्यम से सरकार विकास को बढ़ावा देती है|

14. संस्थान विदेशी नागरिकों को हिंदी पढ़ाने/सिखाने के लिए प्रतिवर्ष विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाते है|

15. केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिंदीभाषी राज्यों एवम् विदेश स्थित भारतीयों में निःशुल्क पुस्तकों की खरीद एवम् प्रकाशन चलाये जाते है| यह हिंदी के विकास एवम् संवर्धन में लगे गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है|

16. वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिभाषिक शब्दावली आयोग (New Delhi) हिंदी एवम् अन्य भाषाओं के विभिन्न विषयों के शब्दकोषों एवम् शब्दावलियो का निर्माण तथा प्रकाशन करता है|

17. जबलपुर के विश्वविद्यालय ने भारतीय-भाषा संस्थान, भारत सरकार, मैसूर के सहयोग से अगस्त, 1976 में Hindi bridge course pariyojna का क्रियान्वयन किया ताकि विद्यार्थी उचित ज्ञान को प्राप्त कर सके और शिक्षा से वंचित न रहे| यह कम समय में पूरा किया जाने वाला course है इसे Fast learning course भी कहते है| NCERT ने शिक्षा के अधिकार का पालन करते हुए जो विद्यार्थी स्कूल से वंचित हो गये है उनके लिए इस bridge course को तैयार किया| इसमे 200 घंटे श्रवण तथा

नोट्स का प्रावधान है जो hindi to hindi तथा english to hindi करता है| इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन किये गए विषयों और स्नातक में अध्ययन किये जाने वाले विषयों के बीच की खाई को पटना है|

साहित्य की समीक्षा

संपूर्ण अनुसंधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावित अनुसंधान के विषय से संबंधित कुछ लिखित, प्रकाशित सामग्री यदि उपलब्ध है तो उसका अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे- पुस्तके, पत्रिकाएं, मोनोग्राफ्स, प्रतिवेदन आदि। इसके अध्ययन से यह लाभ होता है कि अनावश्यक रूप से अनुसंधान को दोहराने की संभावना कम रहती है। वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि रिसर्च के संबंध में कौन सी स्थापनाएं की जा सकती हैं। जैसे- नगरीय केंद्र से जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है वैसे-वैसे अपराध कम होते हैं। यह एक स्थापना है। साहित्य अवलोकन से ऐसी स्थापनाएं प्राप्त होती हैं। साहित्यावलोकन से अनुसंधानकर्ता का ज्ञान बढ़ता है। यह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाता है तथा वह समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान दे पाता है जिससे शोध कार्य में स्पष्टता आती है। यह अनुसंधान के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। शोध के अंत में साहित्यालोकन के श्रोता को संदर्भग्रंथ सूची में शामिल किया जाता है।

रविंद्र कुमार (1990)- रविंद्र कुमार शिक्षा को मूल्य मानते है। वह मूल्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाते हैं| यही मूल्य परंपरागत होते हैं। शिक्षा नई संस्कृति के अनुकूलन पर जोर देती हैं अर्थात् विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आने पर स्थानीय और क्षेत्रीय मूल्य बदल जाते हैं।

प्रोफेसर सोहनराज तातेड, विद्यासागर सिंह (2019) ने अपने अध्ययन "सैन्धान्तिक शिक्षा की विवेचना" में बताया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं क्योंकि मनुष्य समाज में एक-दूसरे के संपर्क में आकर ही एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होता है। मनुष्य की भाषा का विकास उसके अपने समाज से ही हो पाता है। इसके द्वारा वह अपने विचारों को प्रकट करता है। अतएव भाषा का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। आज कल ज्ञान का जो अभूतपूर्व विस्फोट हो रहा है उसे देखते हुए उच्च शिक्षा को पहले से कही ज्यादा गतिशील होना है और अनजाने अध्ययन क्षेत्रो में निरंतर कदम बढ़ाते रहना है|

डॉ. रामनाथ शर्मा (2006) ने अपने अध्ययन "शैक्षिक समाजशास्त्र" में पाया कि शिक्षा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों को विकसित करने की प्रक्रिया है जबकि समाज मानव सम्बन्धों की एक परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज के विकास में शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं और सामाजिक सम्बन्धों

के स्वरूप को प्रभावित करती है। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए ही समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शैक्षिक समाजशास्त्र को शामिल किया गया है। सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि- शैक्षिक क्षेत्र में समाजशास्त्रीय अध्ययनों की व्यापक संभावनाएं हैं और विद्यालय समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला का कार्य कर सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा के सामाजिक पहलू के विभिन्न तत्त्वों के स्वरूप, महत्व और सामान्य सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की एक सफल कोशिश है। प्रस्तुत पुस्तक निम्न छः खण्डों में शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, प्रकार और कार्य शिक्षा के उद्देश्य भावात्मक एकता और शिक्षा अंतरसंस्कृति अवबोध और शिक्षा राष्ट्रीयता और शिक्षा अंतरराष्ट्रीय और शिक्षा आर्थिक वृद्धि के लिये शिक्षा, समाज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा। शिक्षा के साधन, शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधन, राज्य और शिक्षा, नागरिकता के लिये शिक्षा, प्रजातन्त्र और शिक्षा, नवीन प्रवृत्तियों का शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा में समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा में व्यक्ति और समाज, शिक्षा और समाज, मूल्य और शिक्षा, सामाजीकरण और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा सामाजिक नियंत्रण और शिक्षा आधुनिकीकरण के लिये शिक्षा, शिक्षा के सिद्धान्त, पाठ्यक्रम शिक्षण के मौलिक सिद्धान्त और प्रविधियाँ स्वतन्त्रता और अनुशासन मूल्यांकन और परीक्षा अध्यापकों की समस्याएं आदि विषयों पर चर्चा की गयी है|

मालती शाश्वत, एस. एल. गौतम (2012) ने अपने अध्ययन 'भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास' में बताया कि भारतीय शिक्षा का इतिहास अति प्राचीन है| वैदिक काल से लेकर आज तक भारतीय शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रही हैं| समय के साथ परिवर्तन हो रही सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन एवं संशोधन किए जाते रहे हैं| वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप काफी कुछ बदल गया है अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित नहीं रहा वरन शिक्षा राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है| वर्तमान में शिक्षा का सर्वप्रमुख कार्य मानव संसाधनों का विकास करना है| इस विकास से अन्य सभी संसाधनों के उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है| स्वतंत्रता के उपरांत देश की विकास परियोजनाओं के माध्यम से शिक्षा के विस्तार और उसके स्वरूप को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के प्रयास किए गए हैं| समय-समय पर गठित किए गए विभिन्न शिक्षा आयोग एवं समितियों के द्वारा की गई उन संस्थाओं के अनुरूप शिक्षा में सुधार एवं परिवर्तन किए गए हैं| जहां एक तरफ स्वतंत्र भारत

में शिक्षा का विस्तार तो हुआ परंतु उसकी गुणवत्ता और स्तर में गिरावट होती रही वहीं दूसरी ओर शिक्षा से जुड़ी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई, यह समस्याएं शैक्षिक प्रगति में अवरोध बनी हुई हैं जिनका निराकरण आवश्यक है| प्रस्तुत पुस्तक में भारत में शिक्षा के विकास को प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है तथा साथ ही समस्याओं और उनके समाधान के उपायों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है| इन्होने अपने अध्ययन में भाषा-संबंधी सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान दिया जाना उचित है और अंग्रेजी भाषा को अंतरराष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संपर्क भाषा के रूप में स्वीकारा जाए| त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्र के विकास के लिए अपनाया जाए तदोपरांत नि:संदेह ही भाषा विवाद की समस्या हल हो सकेगी|

नीतू यादव (2014) ने अपने अध्ययन में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल की शिक्षा व्यवस्था की बात है। अपने अध्ययन में पाया कि- प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली सीमित व्यवस्थित रूप से प्रचलित थी आगे चलकर शिक्षा का ह्रास हुआ। विदेशियों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था का अनुपात गिरा दिया। भारतीय शिक्षा को चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो आज भी विद्यमान है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव तोड़कर अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व कायम किया साथ ही पश्चिमी सभ्यता को आकर्षण का केंद्र बनाने की कोशिश की। यहीं से शिक्षा का माध्यम की समस्या उभर कर सामने आई कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देश का माध्यम क्या हो ? समय-समय पर भाषा की समस्या को समाप्त करने के लिए आयोगों, नीतियों, कार्यक्रमों, के द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं|

हरियश राय (2017) ने अपने अध्ययन 'भाषा शिक्षा और औपनिवेशिक दासता' में यह बताया कि भाषा का संबंध सामाजिक एकता, सामाजिक मनोभावों, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ है। इसके साथ ही भाषा का संबंध देश के आर्थिक विकास और देश की आर्थिक गतिविधियों से भी गहरी हैं। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है बल्कि भाषा हमारी निजता, अस्मिता, आत्म सम्मान और सांस्कृतिक सवाल भी है। भाषा में ठोस सांस्कृतिक निहितार्थ भी शामिल होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उपनिवेशवाद से लेकर औपनिवेशिक काल तक भाषा के माध्यम की बात की गई है। साथ ही हिंदी के विस्तार सोशल मीडिया और हिंदी, हिंदी का वैश्विक संदर्भ (विदेशों में हिंदी का प्रचार), सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, अर्थव्यवस्था और हिंदी की विकास यात्रा आदि बातों पर विचार किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक काल में हिंदी के संरक्षण एवं संवर्धन बात की गई है।

मनोज कुमार सिंह (2000) ने अपने अध्ययन "शिक्षा और समाज" में शिक्षा की गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की है| राष्ट्र का विकास उच्च शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिए इन्होने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर बल दिया| कहते है कि- उच्च शिक्षा को गुणवत्ता से जोड़ना चाहिए| इन्होने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा की जाने वाली लापरवाही को उजागर किया| यह भी बताया की इस लापरवाही का विद्यार्थियों के ऊपर कितना गलत प्रभाव पड़ता है| प्रशासन की लापरवाही के कारण जब विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति नही होती तब स्थिति भयावह रूप धारण कर लेती है|

डॉ. हर्षबाला शर्मा (2010) ने अपने अध्ययन 'औपनिवेशिक मानसिकता और भाषा' में बताया कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत पहले अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जाता है और फिर भाषा, कला और संस्कृति को अपने हितों की ओर मोड़ा जाता है और उपनिवेशवाद के हितों के अनुरूप उस देश की मानसिकता में बदलाव किया जाता है। मानसिकता में बदलाव की प्रक्रिया बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से शुरू होती है। विदेशी भाषा में बच्चों की शिक्षा होने के कारण उस भाषा के सांस्कृतिक चिन्हों का निर्माण बच्चों की मानसिकता में नहीं होता जैसे कि उनकी अपनी भाषा में शिक्षा होने के कारण उनकी मानसिकता में अपनी भाषा के सांस्कृतिक चुनाव का निर्माण होता है।

मंजू शर्मा, कृष्ण वीर सिंह ने अपने अध्यनन "शिक्षा के सिद्धांत" में यह पाया कि उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए दूसरी संस्थाओं में प्रवेश लेने पर पूर्व संस्था में अध्ययन हेतु प्रयोग की गई भाषा में अंतर होने से विद्यार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें व्यवसायिक क्षेत्र में भी भाषा-संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि छात्र असंतोष की भावना को जन्म देती है। (शिक्षा के सिद्धांत,155)

आनंद महानंद एवम् ललिता गोस्वामी (2014) ने अपने लेख "इंग्लिश थ्रू फोकटेल्स" में बताया कि भारत जैसे देश में अंग्रेजी सीखना विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है| ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी शुरु से अंत तक हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ते है| जब वे किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसी संस्था से प्रवेश करते है तो उनके निर्देश का माध्यम बदल जाता है और उच्च शिक्षा में निर्देश में माध्यम से डी जाने वाली शिक्षा अंग्रेजी भाषा होती है| हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को अनेक समस्यायों का सामना करना पड़ता है|

एम. एस. गोरे, आई.पी. देसाई (1988) ने अपने लेख "The scope of sociological of education" में यह पाया कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के होते हुए भी निम्न वर्गों के

लोग शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं| आज परिणाम यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी गैर-बराबरी देखी जाती है| समानतया उच्च शिक्षा में वे विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं जिनके माता-पिता उच्च वर्ग के होते हैं| वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ते हैं तथा निम्न वर्ग के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते है जिनका माध्यम हिंदी होता हैं| एक तरफ वे विद्यार्थी है जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर निकले हैं दूसरी तरफ तहसील या तालुका स्तर के कॉलेजों, क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों (Regional University) में स्नातक परीक्षा पास करके निकले हैं| इसका परिणाम यह है कि उच्च वर्ग के छात्र ही ऊंची जगहों पर काम करते है|

कोसेनन (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि कई देश अभी भी राष्ट्रीय अधिकारिक भाषाओं (द्वितीय भाषा) को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिकता देते हैं| यह भाषा वह भाषा नहीं होती जो बच्चे घर पर बोलते हैं|

रविंद्रनाथ श्रीवास्तव (2000) ने अपने अध्ययन "अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान: सिद्धांत एवं प्रयोग" में यह बताया कि सामान्यतय: मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ- उस भाषा से है जो बालक को अपनी माता से प्राप्त होती है। मातृभाषा व्यक्ति के लिए अपने समाज और संस्कृति के भीतर अपना स्थान ढूंढने तथा पाने का मुख्य साधन है इसके साथ ही उसके बौद्धिक व्यापार का आधार भी है। मातृभाषा वास्तव में एक सामाजिक यथार्थ है जो व्यक्ति को अपने भाषाई समाज के व्यापक सामाजिक संदर्भों से जोड़ती हैं और उसकी सामाजिक अस्मिता का निर्धारण करती है| इसी के आधार पर वह अपने समाज और संस्कृति में रहता है और इसी से बौद्धिक विकास के साथ-साथ उसकी संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है| इसीलिए उसकी बौद्धिक चेतना में वृद्धि के लिए मातृभाषा को पढ़ने और लिखने के कौशल सिखाए जाते हैं| इस प्रकार यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि बालक के बौद्धिक एवं भावात्मक विकास में मातृभाषा जितनी उपयोगी एवं सिद्ध होती हैं इतनी कोई अन्य भाषा नहीं होती। अत: कहा जा सकता है कि मातृभाषा संस्थागत यथार्थता है| मातृभाषा के सहारे व्यक्ति अपनी सामाजिक अस्मिता निर्धारण करती है| मातृभाषा को शिक्षा के साथ जोड़कर देखने पर उसे व्यक्ति और समाज से जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

बेनसन (2004), बुहमैन और टुडेल (2007), पिनाक (2009)- इनका मानना है कि शोधार्थी अच्छा तब सीखते हैं या वे अपनी प्रतिभा का कौशल तब दिखा पाते हैं जब निर्देश के माध्यम का माध्यम या शिक्षा की भाषा उनकी मातृभाषा हो|

एम. एल. मित्तल (2012) ने अपने अध्ययन में भाषा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर बल दिया है| यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा के बिना मनुष्य एक पशु के समान है| भाषा का विकास मनुष्य का विकास कहलाता है| विद्यार्थी भाषा के माध्यम से सीखता, समझता व अपने विचारों को दूसरों के सामने रखता है तथा अपने कौशल का विकास करता है|

अरनेस्टो मकारो, सामंथा करल, जूली डियरडेन (2017) अपने अध्ययन में यह बताते हैं कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के निर्देश में अनुसंधान की एक व्यवस्थित समीक्षा की आवश्यकता क्यों है? विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के विश्वासों के जांच के उपरांत यह बताते हैं कि दूसरी भाषा (अंग्रेजी भाषा) के रूप में अंग्रेजी के माध्यम से अकादमिक विषयों को पढ़ाना पाठ्य-सामग्री पर बिना हानिकारक प्रभाव डाले अंग्रेजी दक्षता विकसित करने के लिए फायदेमंद है| साथ ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि English Medium Instruction (EMI) भाषा सीखने के लिए लाभ देता है और न की सीखने में हानिकारक है|

श्रीमती मंजू शर्मा (2020) अपने अध्ययन "भाषा में प्रवीणता: हिंदी और अंग्रेजी" में पाया कि क्षेत्रीय भाषा को प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाना उपयुक्त समझा जा सकता है ताकि प्राथमिक स्तर के अध्ययन को सरल बनाया जा सके परंतु शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना अनुपयुक्त होगा क्योंकि ऐसा करने पर भाषा समस्या और अधिक जटिल हो जाएगी|

मैनेजर पांडेय (2010) अपने अध्ययन 'भाषा और भूमंडलीकरण' में बताया कि औपनिवेशिक दासता को बनाए रखने, मजबूत करने और लोगों तक फैलाने में भाषा निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। समाज के संदर्भ में भाषा के 3 पक्ष होते हैं--

1. संप्रेषण का माध्यम होती है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने समाज का निर्माण

करता है।

2. भाषा का बुनियादी काम मनुष्य को सजग और सचेत करना है।

3. भाषा में मनुष्य अपनी सृजनशीलता को व्यक्त करता है।

मनुष्य जो कुछ रचता है उससे संस्कृतियों का निर्माण होता है। भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। विभिन्न संस्कृतियों के नाम उनकी भाषा से जुड़े हुए हैं। जैसे- बंग्ला संस्कृति या तमिल संस्कृति या जर्मन संस्कृति या रूसी या चीनी संस्कृति आदि। भाषा और संस्कृति लगभग पर्याय की तरह।

सपना चमाडिया, अवनीश (2014) ने अपने अध्ययन 'भाषा का सच' में भाषा की भूमिका के बारे में बताया कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है बल्कि चिंतन प्रक्रिया और विस्तार का हिस्सा भी होती है| उसके नष्ट होने का अर्थ एक समाज, एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र का नष्ट हो जाना है| वह प्रकारांतर से राष्ट्रीय तथा जातीय अस्मिता का प्रतिरूप भी है| इस अर्थ में भाषा उस देश और समाज की विराट ऐतिहासिक धरोहर भी है| अतः उसका संरक्षण और सम्वर्धन एक अनिवार्य दायित्व है|

गाँधी (1921) ने समाचार-पत्र 'नवजीवन' में भाषा के माध्यम की भूमिका के बारे में बताया कि- विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना मैं राष्ट्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं। उनका मानना है कि राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जो सुगम हो ताकि सरकारी अफसर और देश की जनता उसे आसानी से सीख सकते हैं, ताकि वह भाषा सारे देश के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के क्षेत्र में संचार और संवाद का माध्यम बन सके। उनका मानना था कि विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं होना चाहिए। विदेशी भाषा को माध्यम के रूप में सीखने में जो श्रम और समय नष्ट होता है वह मूल ज्ञान को प्राप्त करने में होना चाहिए। उन्होंने अपने अध्ययन नवजीवन में लिखा कि "अगर मेरे हाथों में तानाशाही की सत्ता हो तो मैं आज से विदेशी भाषा के जरिए दी जाने वाली हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा को बंद करवा दूं और सारे शिक्षकों, प्रोफेसरों का माध्यम बदलवा दूं या उन्हें बर्खास्त करवा दूं।

दिलीप सिंह (2011) ने अपने अध्ययन "भाषा का संसार" में बताया कि- भारतीय संदर्भ में अंग्रेजी विजातीय द्वितीय भाषा है| जिस प्रकार हिंदी भाषियों के लिए अंग्रेजी द्वितीय भाषा है वैसे ही भारत के अन्य भाषाई समुदायों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदीतर प्रदेशों में वित्तीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचलन बढ़ा है। हिंदीतर प्रदेशों में प्रांतीय राज्य भाषाओं के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी का नवाचार होता है। भारत

में दो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले परस्पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं।

गुहा (2012) ने अपने अध्ययन में कुछ भारतीय भाषाओं में प्रदर्शन कला और साहित्य में द्विभाषावाद बौद्धिकता की उपस्थिति पर प्रकाश डाला है। कल्याण ने गुहा को अपनी प्रतिक्रिया में अंग्रेजी को 'महानगरीय' और भारतीय भाषाओं को 'संक्षिप्त' के साथ समान करने के बारे में अपनी निरंतर धारणा की ओर इशारा किया। बुद्धिजीवियों के लिए अपनी मूल भाषा में खुद को अभिव्यक्त करना स्वाभाविक है जो उनके समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वह एंग्लो इंडियन की आलोचना करता है जो केवल महानगरीय जीवन, केंद्र सरकार के मामलों, वाणिज्य और उद्योग, एंग्लोफोन डायस्पोरा और पश्चिमी दुनिया की आवाजों और विचारों से जुड़ा है। लोगों की भाषा जाने बिना राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में भाग लेना और प्रभावित करना असंभव है।

योगेश कुमार सिंह (2009) ने अपने अध्ययन तुलनात्मक शिक्षा में यह बताया कि- तुलनात्मक शिक्षा विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों, शिक्षा व्यवस्था, शैक्षिक प्रबंध आदि का सम्यक अध्ययन करती है। आज के आधुनिक युग में तुलनात्मक शिक्षा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक, प्रगति में विश्व को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं विकास करने के अथक प्रयास किये जा रहे हैं। तुलनात्मक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा का कोई तत्व नहीं बल्कि यह शिक्षा पद्धतियों की तुलनात्मक प्रविधि है। इसके अध्ययन से शिक्षा प्रणाली के घटकों, कारकों एवम् तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं विकास करने का प्रयास किया जाता है।

अभय कुमार दुबे (2015) ने अपने अध्ययन 'हिंदी में हम' में बताया कि- हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने का एक आशय यह था कि हिंदी भारतीय संघ के सरकारी कामकाज में राज्यों के बीच परस्पर पत्रव्यवहार व संवाद की भाषा बने। लेकिन जब हिंदी का उपयोग भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में किया जाना था तो हिंदी का आशय उस हिंदी से था जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क का माध्यम बन सके, जो देश के अधिकांश राज्यों में बोलचाल की भाषा हो, जो देश में समाचार माध्यमों और मनोरंजन की भाषा हो, जो देश के बौद्धिक चिंतन की भाषा हो और साथ ही जो देश के राजनीतिक विमर्श की भाषा हो। राजभाषा ऐसी भाषा होगी जिसे सरकारी अधिकारी

आसानी से सीख सके, जो पूरे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्योन्न क्रिया का आपसी माध्यम बनने में सक्षम हो जिसे अधिकांश भारतवासी बोलते है।

यूनेस्को (2016) छात्र अपने माता-पिता से सहायता प्राप्त करने में असमर्थ है क्योंकि वह निर्देश की भाषा को नहीं समझते यदि माता-पिता विद्यालय या कॉलेज या विश्वविद्यालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा से परिचित नहीं है तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक भाषा समूहों के बीच की खाई को मजबूत कर सकता है| सीखने के आकलन के परिणाम बताते हैं कि जब घर और विद्यालय की भाषाएं भिन्न होती हैं तो परीक्षा के अंको पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है|

कोलमैन (2006) ने अपने अध्ययन में बताते हैं कि अंग्रेजी के उपयोग में कठोर वृद्धि से जुड़ी कार्यान्वयन समस्याओं का संकेत दिया तथा उन समस्याओं की वृद्धि दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई इस बात का उल्लेख किया|

USAID (2015) में यह बताया कि- शिक्षा नीति में कोई भी भाषा जिसे विकसित और क्रियान्वित किया जाता है उस भाषा को शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों से जोड़ना चाहिए और सीखने के परिणामों, पहुंच और समानता और भाषा दक्षता के संदर्भ में अपने शिक्षा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश का समर्थन करना चाहिए| सीखने की परिणामों के लाभ के संदर्भ में नीति की निगरानी और मूल्यांकन भी आवश्यक है|

कृष्ण वीर सिंह ने अपने अध्ययन "शिक्षा के सिद्धांत, (पृष्ठ 156)" के कोठारी आयोग में बताया कि छात्रों में असंतोष की जिम्मेदारी किसी एक पक्ष या दल पर नहीं है| इस समस्या का निदान तब तक संभव नहीं है जब तक हर एक छात्र-छात्रा, माता-पिता, अध्यापक एवं राजनीतिक दल अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे।

अरुण कुमार (2015) ने अपने अध्ययन "**आधुनिक शिक्षा एवं दलित"** में बताया कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। शिक्षा के विकास के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नही हो सकती। शिक्षा विकास की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा अच्छे समाज का निर्माण करती है दूसरी ओर अच्छा समाज भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रतिरूपित करता है। भारत जैसे विषमता मूलक समाज में जहां प्रत्येक दृष्टिकोण से पिछड़े दलित वर्ग हैं वहां असमानता की खाई को पाटकर समाज में जागरूकता उत्पन्न कर एकता के सूत्र में पिरोने के लिये शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। इस पुस्तक में दलित वर्ग की शैक्षणिक दशा का सटीक उल्लेख किया गया है। शिक्षा का समग्रता से अवलोकन करने के लिये इसके

सहायक पहलू- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य इत्यादि के परिप्रेक्ष्य का परीक्षण करना आवश्यक है। इसलिये इस पुस्तक में दलित वर्ग के इन सभी पहलुओं की विषद व्याख्या की गई है। दलितों पर शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव क्या हैं? उदारीकरण, भूमंडलीकरण के मानचित्र में दलितों का शैक्षणिक परिदृश्य कैसा है? दलित उत्थान में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में दलितों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों का समाधान तथा संभावनाएं क्या हैं? इत्यादि मुद्दों का समुचित उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है।

द्वितीय अध्याय में भारत की शिक्षा नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है तथा भाषा से सम्बंधित समस्याओं के समाधान के बारे में भी बताया गया है| विभिन्न आयोगों ने भारतीय भाषा, प्रांतीय भाषा, मातृभाषा को प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया है तथा उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा को निर्देश का माध्यम माना है। भारतीय भाषाओं की भी महत्ता पर जोर दिया गया है। परंतु अखिल भारतीय संस्थाओं में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना है। अंग्रेजी शिक्षा पर बल नौकरी प्राप्ति के लिए दिया गया। प्रादेशिक भाषाओं का विकास किया जाए तथा उन्हें उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। भारत विभिन्नताओं का देश है परंतु विभिन्नता में भी एकता होती है। हिंदी भाषा पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य भाषा है। अहिंदी राज्यों में हिंदी (राष्ट्रीय भाषा) को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था तथा अंग्रेजी भाषा को तृतीय भाषा के रूप में अपनाया। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाए तथा हिंदी भाषा के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार की भी बात की। नई शिक्षा नीति, 2020 में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग पर बल दिया अर्थात् क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की बात की| स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना सभी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसप्रकार प्रस्तुत शोध में उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों से विद्यार्थियों को भाषा से सम्बंधित होने वाली समस्याओं का समाधान विभिन्न नीतियों, कायक्रमों के माध्यम से किया गया है|

इसी अध्याय में अध्ययन से संबंधित पूर्व साहित्यों और पहले से किए गए शोध-कार्यों के अध्ययनों की चर्चा की गई है| जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लेखक तथा शोधकर्ता शामिल है, जिनके शोध-पत्रों और पुस्तकों की समीक्षा को इस अध्ययन से संबंधित साहित्यों की समीक्षा के रूप में प्रयोग किया गया है। विभिन्न लेखकों ने अपनी पुस्तकों में इस बात

पर बल दिया कि विद्यार्थियों को उसी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए जो उनके बोलचाल की भाषा है क्योंकि वे उसी भाषा के अभ्यस्त होते है जो वे बचपन से बोलते, सीखते या समझते आ रहे है| शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। विभिन्न विचारक शिक्षा को मूल्य मानते हैं। मूल्य परंपरागत होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं अर्थात् विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आने पर स्थानीय और क्षेत्रीय मूल्य बदल जाते हैं। भाषा का क्या महत्व है इस बारे में भी बताया गया है? भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों तथा समाज का किस प्रकार से सृजन होता है और भाषा किस प्रकार हमारे समाज, राष्ट्र के लिए आवश्यक है इस बात की पुष्टि अनेक लेखकों के माध्यम से की गई है? प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल की शिक्षा व्यवस्था की बात की है कि किस प्रकार अंग्रेजी भाषा के आने पर हिंदी भाषा का ह्रास हुआ तथा उच्च शिक्षा पर भाषा की समस्या का जन्म हुआ और किस प्रकार से हिंदी भाषी विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होती चली गई? भाषा से संबंधित असमानताओं की बात की है| इसप्रकार भाषा से संबंधित अनेक समस्याओं की बात विभिन्न लेखकों द्वारा अपने अध्ययनों में की गयी है जिसका प्रयोग प्रस्तुत शोध में साहित्य की समीक्षा के रूप में किया गया है|

अध्याय.3

सैन्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

अध्याय.3

सैन्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार निश्चित कर दिया जाता है। अनुसंधान की पूरी संरचना अवधारणाओं पर निर्भर करती है। जैसे- अगर अपराध पर शोध करना है तो अपराध की परिभाषा आवश्यक है। अगर इसके प्रभाव पर अनुसंधान करना है तो प्रभाव से क्या समझना है इस बात पर बल देना पड़ेगा अर्थात् अवधारणाओं की सीमित परिभाषा एवं स्पष्टीकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। प्रस्तुत शोध में निम्न विचारको के सैन्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को शोध में शामिल किया गया है--

पियरे बोर्डियू- पियरे बोर्डियू ने समाज में विकास के लिए कई मापदंडों का वर्णन किया है। वह मापदंड किसी विशेष या समाज के लिए अपने प्रस्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास तीन तरह की कुंजी होती है.. 1.सांस्कृतिक पूंजी

2.सांस्कृतिक पुनरुत्थान

3. हैबिटस

सांस्कृतिक पूंजी- समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि (Cultural Deprivation) पर एक सिद्धांत प्रचलित है- "कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्गों की संस्कृति से सदा ऊंची होती हैं।" अर्थात निम्न संस्कृति वाले श्रमिक वर्ग के लोग ही अपनी निम्न संस्कृति के लिए उत्तरदाई या जिम्मेदार होते हैं। कहने का आशय यह है कि निम्न वर्ग के बच्चे ठीक तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिस वजह से उनकी संस्कृति निम्न बनी रहती है। बोर्डियू अपने सिद्धांत में फ्रांस की संस्कृति की विवेचना करते हैं। इस विवेचना में वे शिक्षा पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसे ही बोर्डियू "सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत" कहते हैं। आमतौर पर पूंजी का इस्तेमाल पैसे के लिए किया जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार—"पूंजी होने से धनवानों को शक्ति मिलती है। पियरे बोर्डियू (मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित एक समाजशास्त्री) ने तर्क दिया कि- यह केवल धन नहीं है जो धनी व्यक्ति को शक्ति देता है बल्कि यह सांस्कृतिक संपत्ति/पूँजी भी देता है।

सांस्कृतिक पूंजी से तात्पर्य शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपतियों की संस्कृति से हैं। सांस्कृतिक पूंजी वह होती है जो हमारे समाज,परिवेश से प्राप्त होती हैं। हमारी भाषा और ज्ञानार्जन का माध्यम हमारी "सांस्कृतिक पूंजी" का अहम हिस्सा है अर्थात् जब हमारी सांस्कृतिक पूंजी मजबूत होगी तो ज्ञानार्जन प्रस्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करेगी| यहां संस्कृतिक पूंजी से अभिप्राय भाषा से हैं। भाषा ही मानव की संस्कृति की वाहक है। मानव के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। पियरे बोर्डियू इस बात को स्वीकार नहीं करते है कि उच्च वर्गों की संस्कृति किसी भी अर्थ में निम्न वर्गों की संस्कृति से ऊंची होती हैं। वह कहते हैं कि वास्तविकता में निम्न संस्कृति के लिए निम्न वर्गों का दोष नहीं है। यह दोष शिक्षा पद्धति का है अर्थात् शिक्षा पद्धति इस तरह से बनी हुई है कि वह एक तरह से उच्च वर्गों के लिए ही है। उन्होंने तर्क दिया कि मध्यम वर्ग या धनी माता-पिता के बच्चों के पास ज्ञान, व्यवहार, दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पूंजी होती हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि वह शिक्षा और समाज में सफल हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी-कभी स्कूल, स्कूल में सीखी गयी बातों के बजाय सांस्कृतिक पूंजी का आकलन करते हैं और शिक्षक भी सांस्कृतिक पूंजी को बुद्धिमत्ता के रूप में समझते हैं। यही सांस्कृतिक पूंजी बदले में विद्यार्थियों को सकारात्मकता की ओर ले जाती है या सकारात्मक प्रभाव डालती हैं| यह शिक्षा पद्धति तात्विक रुप से निम्न वर्गों की संस्कृति को हीन दृष्टि से देखती हैं। जब शिक्षा पद्धति उच्च वर्गों के लिए होती है तब परिणाम स्वरूप उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग ऊंची संस्कृति को प्राप्त कर लेते हैं। कहने का आशय यह है कि उच्च शिक्षा से उच्च संस्कृति को प्राप्त करते है और उच्च संस्कृति से अधिक धन या पूंजी कमाते हैं। यही उनकी सांस्कृतिक पूंजी है। इसी संस्कृति में पियरे बोर्डियू ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात की।

सांस्कृतिक पुनरुत्थान- बोर्डियू के अनुसार शिक्षण व्यवस्था का कार्य संस्कृतिक पुनरूत्पादन करना है| शिक्षा उच्च वर्गों की संस्कृति को पुनः बताती हैं| इन उच्च वर्गों में इतनी शक्ति होती है कि वे अपनी संस्कृति को निम्न वर्गों की संस्कृतियों पर थोप देते हैं और निम्न संस्कृतियां उच्च वर्गों की संस्कृतियों को वैधता देती हैं| इस प्रकार निम्न संस्कृतियां उच्च वर्ग की संस्कृतियों को अपना कहती या मानती हैं| यह एक विडंबना का विषय है| बोर्डियू कहते हैं कि- कोई भी संस्कृति ऊंची है नीची नहीं होती है| बोर्डियू इसे ही "सांस्कृतिक पूंजी" कहते हैं क्योंकि यह शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्राप्त की जाती है| वह शिक्षा के माध्यम से ही अधिक धन व शक्ति को प्राप्त कर सकता है| यह सांस्कृतिक पूंजी समान

रूप से समाज में नहीं होती है| कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी गरीब बने रहते हैं और कुछ लोगों की पृष्ठभूमि ही ऐसी होती है कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लाभ ग्रहण करते हैं| वह समाज में पहले से ही ऐसे वातावरण में होते हैं जिस वजह से ज्यादा लाभ उठाते हैं क्योंकि धनिक वर्ग के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में पढ़े हुए होते हैं और अधिक धन का लाभ उठाते हैं| बोर्डियू के अनुसार-- औद्योगिक समाजों की शिक्षा प्रणाली वैध वर्ग असमानताओं के रूप में कार्य करता है| इस प्रकार समाज बराबरी, गैर- बराबरी की श्रेणी में आ जाता है|

अतः कह सकते हैं कि जिनकी सांस्कृतिक पूंजी सशक्त होती है वे हीं शिक्षा के माध्यम से अधिक पूंजी और शक्ति को ग्रहण करते हैं| बोर्डियू मानते हैं कि शिक्षा गरीबी को दूर करने के लिए नहीं होती बल्कि शिक्षा गैर-बराबरी बढ़ाने के लिए होती है अर्थात् मानना है कि गरीब, गरीब ही बने रहते हैं उनकी संस्कृति तथा शक्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती जबकि उच्च वर्गों की संस्कृति का निर्माण बराबर होता रहता है| उच्च वर्गों की संस्कृति और शक्ति को और अधिक उच्च बनाने को ही बोर्डियू "सांस्कृतिक पुनरुत्थान" कहते हैं|

हैबिट्स- अपनी पुस्तक (Repoduction:In education, 1977) में हैबिट्स की अवधारणा दी| बोर्डियू का कहना है कि लोग अपने अनुभव के आधार पर अपना हैबिटस विकसित करते हैं| समयानुसार वे सीख जाते हैं कि अनुभव के आधार पर किन वस्तुओं की उपेक्षा करनी चाहिए व उन्हें कैसे पूरा करना चाहिए व उन्हें प्राप्त करने की विधियां क्या है? प्रत्येक समुदाय व समूह के सामने अपने-अपने अनुभव होते हैं| उन्ही अनुभव के आधार पर हैबिट्स का निर्माण होता है अर्थात कहने का आशय यह है कि उच्च वर्ग या निम्न वर्गों के अपने-अपने अनुभव होते हैं कि उन्हें किस प्रकार से, कैसे और किस विधि द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी है यह उन्हें अनुभव के आधार पर पता होता रहता है| यह वर्ग अपने-अपने habitus के आधार पर शिक्षा, पूंजी व शक्ति को प्राप्त करते रहते हैं| हैबिट्स बनते-बिगड़ते रहते हैं अर्थात् सांस्कृतिक पूंजी को प्राप्त करने की विधियां व तरीके बदलते रहते हैं|

इसप्रकार कहा जा सकता है कि विद्यार्थी (चाहे वह हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेज़ी माध्यम के) अपने पढने के कौशल व अनुभव के आधार पर उचित ज्ञान को प्राप्त कर लेते है| उन्हें पढ़ते-पढ़ते इतना अनुभव हो जाता है कि वे यह सीख जाते है कि किस प्रकार से उन्हें अपनी समस्याओं से बाहर निकलना है और कैसे और किस विधि द्वारा उनका समाधान करके उचित ज्ञान की प्राप्ति

करनी है| उसी ज्ञान के माध्यम से कैसे पूँजी और शक्ति प्राप्त करनी है यह उन्हें अनुभव के आधार पर ज्ञात होता रहता है अर्थात् शिक्षा, पूंजी व शक्ति प्राप्त करने के साधन व तरीके समयानुसार बदलते रहते है| (आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक,2007,पृष्ठ सं.-232-241)

लुई आल्थूजर- लुई आल्थूजर एक फ्रांसीसी विचारक हैं। इसे संरचनात्मक मार्क्सवाद या नव-मार्क्सवादी विचारक भी कहते है। मार्क्सवाद में संरचनावाद और मार्क्सवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। परंपरागत फ्रांसीसी संरचनावाद, सामाजिक जीवन की अमूर्त और मूर्त संरचनाओं को ज्ञात करने में रुचि रखता है जबकि मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था में निहित बुराइयों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। यह दोनों विचारधाराएं सम्मिलित होकर नव-मार्क्सवाद को जन्म देती हैं। नव-मार्क्सवाद को लेवी स्ट्रॉस ने विकसित किया। नव-मार्क्सवाद पूंजीवाद की वास्तविक संरचना का अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। पूंजीवाद में राज्य, विचारधारा, अर्थव्यवस्था तीन मूल घटक है। नव-मार्क्सवादी आर्थिक कारकों के साथ-साथ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन करते हैं क्योंकि यह मूल संरचना के महत्वपूर्ण घटक है। नव-मार्क्सवादी ऐतिहासिक एवं अनुभवी अध्ययन पद्धतियों को पर्याप्त नहीं मानते वे अन्य पद्धतियों द्वारा अध्ययन पर बल देते हैं। मार्क्सवाद द्वंदात्मक जबकि संरचनावाद विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है तथा संरचनावाद वर्णनात्मक विश्लेषण करता है। नव-मार्क्सवाद में इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था की वास्तविक संरचनाओं का अवलोकन करता है। मार्क्सवाद आर्थिक निर्धारणवादी को महत्वपूर्ण मानते हैं| वे अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था मानते हैं जिसमें बदलाव आने पर ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। यह उचित नहीं कि सामाजिक परिवर्तन में जैविक, राजनैतिक, वैचारिकी और अन्य महत्वपूर्ण कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। मार्क्सवाद इतिहास पर अधिक बल देते हैं जबकि संरचनावादी समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह वर्तमान के अध्ययन से ही अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

आल्थूजर, मार्क्स को संरचनावादी विचारक मानते हैं। इन्होंने मार्क्स की "दास कैपिटल" तथा "इकनोमिक एंड फिलोसोफिकल मैनवेष्ट" को अपने अध्ययन का आधार माना है। आल्थूजर ने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। इनका मानना है कि—"समाज का निर्माण एवं उद्विकास अर्थव्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था और वैचारिकी के तत्वों की अंतःक्रिया के द्वारा होता है।" इनका मानना है कि-- सभी समाजों का विकास एक समान न

होकर असमान रूप से होता है। इन्होंने सामाजिक संरचना के निर्माण में मार्क्स के द्वंदवाद को शामिल किया। आल्थूजर ने मार्क्स के सिद्धांतों के विकास के रूप में संरचनात्मकता को रखा। इसका केंद्र बिंदु मार्क्स का सिद्धांत था। इसलिए इसे संरचनात्मक (संरचनावाद का उद्गम, दुर्खीम) मार्क्सवाद कहते हैं।

मार्क्स का मानना है कि-- "जब आधार में परिवर्तन होता है तो अधिसंरचना में भी परिवर्तन होता है।" अल्थूसर इस बात को स्वीकार नहीं करते। वह मार्क्स के इस कथन को आर्थिक निर्धारणवाद से जोड़ते हैं और कहते हैं कि—"विचारधारा और राजनीति जैसे अधिसंरचनात्मक तत्वों को आर्थिक आधार नहीं माना बल्कि विचारधारा और राजनीति को अर्थव्यवस्था की दशाओं के रूप में मानते हैं। वह उत्पादन के तरीकों की अवधारणा को अर्थव्यवस्था, विचारधारा और राजनीति के संबंधों की अभिव्यक्ति मानते हैं।" संरचनावादियों का मानना है कि--"समाज आर्थिक विचार को और राजनीतिक व्यवहारों का एक व्यवस्थित सम्मिश्रण है।" इस प्रकार प्रस्तुत शोध में आल्थूजर के संरचनात्मक मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। मार्क्सवादी कहते हैं कि—"उत्पादन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है| उत्पादन के साधन पुराने होकर समाप्त हो जाते हैं|" जैसे- खेती करने के पहले के साधनो के तरीके और अब के साधनों के तरीकों में अंतर| अतः उत्पादन के साधन बनते और बिगड़ते रहते हैं| इस पर आल्थूजर संरचना (संस्कृति) के रख-रखाव की बात करते हैं और कहते हैं कि- "संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी निरंतरता को बनाए रखती हैं।" आल्थूजर संरचना के रख-रखाव को भाषा से जोड़ते हुए कहते हैं कि-- परिवार स्कूल ऐसे उपकरण होते हैं जो संरचना के रख-रखाव के लिए सहायक होते हैं, जो किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं| जैसे- राज्य का नियंत्रण, वर्ग की प्रभुता। ये सामाजिक संरचना का पुनः उत्पादन करती हैं। सामाजिक संरचना की निरंतरता की बात की। मार्क्सवादी पुनः उत्पादन की अवधारणा देते हुए कहते हैं कि—"सामाजिक संरचना अपनी निरंतरता बनाए रखती है जबकि आल्थूजर का मानना है कि सामाजिक संरचना के पुनः उत्पादन में अधिसंरचना का विशेष योगदान होता है।" अधिसंरचना स्वयं नहीं बनती बल्कि इसके लिए राज्य और संस्थाओं को कार्य करना पड़ता है।

आल्थूजर ने "विचारधारा और वैचारिकी राज्य उपकरण" (पेरिस की क्रांति 1960 के बाद) 1971 में एक निबंध में राज्य और उनके उपकरणों की बात सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में की और कहा कि—"सामाजिक संरचना के लिए किस तरह युगों-युगों तक अपने आप को बनाए रखती है।" यहां हम निर्देश के माध्यम में प्रयुक्त होने वाली भाषा की संरचना तथा

उसके संरक्षण के परिपेक्ष्य में देखेंगे। आल्थूजर के सामाजिक संरचना के पुनः उत्पादन को मार्क्सवादियों ने कहा कि-- अधिसंरचना दो प्रकार की होती है 1.दमनात्मक राज्य उपकरण 2.वैचारिकी राज्य उपकरण

मार्क्सवादियों के अनुसार-- आधुनिक समाज पूंजीवादी होते हैं। वर्ग रेखाओं के साथ संरचित होते हैं। ऐसे समाज दो प्रमुख वर्गों में विभाजित होते हैं 1. सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग) 2. बुजुर्आ वर्ग (पूंजीपति वर्ग)

अभिजात वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और उन पर नियंत्रण करता है जो अधिशेष मूल्य निकालने के लिए श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं| पारंपरिक मार्क्सवादी इस संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को समझते हैं| शिक्षा कुलीन वर्ग द्वारा नियंत्रित होती है और स्कूल को अधिसंरचना का केंद्रीय हिस्सा बनाते हैं जिसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग वैचारिकी नियंत्रण को बनाए रखते हैं| सबसे पहले लुई आल्थूजर ने तर्क दिया कि—"राज्य शिक्षा वैचारिकी राज्य तंत्र का हिस्सा है|" सरकार और शिक्षा लाखों बच्चों को विचारों के एक समूह के साथ इंजेक्शन देकर जनता को नियंत्रित करती हैं जो लोगों को उनके शोषण से अनजान रखते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आसान बनाते हैं| आल्थूजर के अनुसार शिक्षा दो तरह से वैचारिकी राज्य तंत्र के रूप में कार्य करती हैं|

1. यह एक सामान्य विचारधारा को प्रसारित करता है जो यह बताता है कि पूंजीवाद न्याय संगत और उचित है| समाज को व्यवस्थित करने का प्राकृतिक और निष्पक्ष तरीका और वैकल्पिक प्रणालियों को अप्राकृतिक और तर्कहीन के रूप में चित्रित करना।

2. स्कूल विद्यार्थियों को अपने भविष्य की भूमिकाओं को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

पूंजीवाद का जन्म 1890 के दशक में हुआ। मानना है कि पूंजीवाद पूरी दुनिया में अपना विस्तार करता है तथा उनकी अपनी सत्ता को कायम करता है। पूंजीवाद से ही भूमंडलीकरण की व्यापक चर्चा शुरू हुई जो अपने साथ प्रौद्योगिकी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां को लाया। भूमंडलीकरण पूंजी के वर्चस्व को बढ़ाने और अपना मुनाफा अधिक से अधिक करने का एक ऐसा मंच है जहां विकसित देश विकाशशील देशों में अपना बाजार फैला कर एक ऐसा प्रभुत्व वर्ग तैयार करते हैं जो सिर्फ उन्हीं के हितों, लाभों को बाजार के विकास तथा विस्तार तथा व्यापारिक सफलता को देखते हैं। पूंजीवाद में प्रत्येक वस्तु का संबंध लाभ से

होता है| पूंजीवाद का उद्देश्य देश के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करके लाभ कमाना है।

मार्क्स का मानना है कि-- पूंजीवाद पूरी दुनिया में अपना विस्तार करके अपनी सत्ता स्थापित करता है| पूंजीवादी देशों ने दूसरे देशों में आकर अपने उपनिवेश कायम किए हैं या सिर्फ उनकी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से ही संभव हो सकता था| पूंजीवाद समाज में बना रहना उनके वर्चस्व का बना रहना था जो कि उनके हित/लाभ में था। आल्थूजर का मानना है कि- "पूंजीवादी समाज के अधिक समय तक चलने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन के तरीके का पुनर्निर्माण किया जाए| यह कार्य वैचारिकी राज्य उपकरण (शिक्षा संस्थान, संचार के साधनों तथा शिक्षा) के द्वारा संभव है।

मैनेजर पांडे (हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक) का मानना है कि-- भूमंडलीकरण ही उपनिवेशवाद है या उपनिवेशवाद शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला, मीडिया जैसे माध्यमों के जरिए लोगों की मानसिकता पर अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश करता है| यह कार्य भाषा के ही माध्यम से संभव हो सकता है| अतः भाषा ही निर्णायक भूमिका अदा करती है। उपनिवेशवाद अपनी भाषा अंग्रेजी को चलाना चाहता था। पूंजीवादियों का मानना है कि- वह दूसरी भाषा तभी स्वीकार करता है जब तक उस भाषा से लाभ हो तथा उनके हितों की पूर्ति होती रहे अर्थात् पूंजीवादी को सिर्फ अपने हित एवं लाभ से मतलब होता है उनके लिए भाषा का विकास कोई मायने नहीं रखता|

इस प्रकार उपनिवेशवाद अपनी जरूरतों के हिसाब से अंग्रेजी भाषा का निर्माण करता है| उपनिवेशवाद अंग्रेजी भाषा के विस्तार के साथ जुड़ा है| अंग्रेजी सत्ता की भाषा रही है और अंग्रेजी का संबंध शिक्षा और रोजगार से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। इस देश में ज्यादातर हिंदीभाषी हैं फिर भी यह सत्ता की भाषा न बन सकी| ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में उपनिवेशवाद मजबूत हुआ और इसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा और अधिक मजबूत होती चली गई। पूंजीवाद ने जहां अपना साम्राज्य स्थापित किया वही अपनी भाषा (अंग्रेजी) का प्रचार-प्रसार भी किया| साम्राज्यवाद ने लोगों के मन में इस बात को जन्म दिया कि-- अंग्रेजी ही विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है और इसी भाषा के माध्यम से रोजगार संभव है| साम्राज्यवादी भाषा ही अल्पसंख्यक अभिजात शोषक वर्ग को जन्म देती हैं अर्थात् यह भाषा एक शोषण के रूप में कार्य करती हैं| अभिजात वर्ग इस भाषा का उपयोग आम जनता से दूरी बनाने के लिए करते हैं| यह असमानता की खाई उत्पन्न करती हैं| इसने हिंदी

व अन्य भाषाओं को अनुवाद की भाषा बना दिया है| प्रायः विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में भी भाषा विभाग ने शिक्षा के माध्यमों को दो माध्यमों (हिंदी, अंग्रेजी मध्यम) में विभक्त कर दिया है| जिससे उनके मध्य माध्यमों को लेकर खाई बन गई है| अंग्रेजी वर्ग स्वयं को उच्च वर्ग का मानता है, उसने अहंकार को जन्म दिया। जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उन्हें दलित, पिछड़ा समझता है। दूसरी ओर अंग्रेजी आम जनता के लिए कठिन व जटिल भाषा है| अंग्रेजी न जानने के कारण आम जनता में हिंसा और आत्मग्लानि की भावना विकसित होती है| इसलिए शासक वर्ग तथा आम जनता निम्न वर्गों के बीच फासला बनाए रखने के लिए अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जिससे उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के बीच खाई बन गई। विकास की नई पूंजीवादी संस्कृति, भाषाई उपसंस्कृति में बदल चुकी हैं। जिसके कारण न केवल लोकभाषा वरन सामाजिक जीवन मूल्य भी प्रभावित हुए हैं|

मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि स्कूल वर्ग असमानता को पुनः उत्पन्न करते हैं| मध्यवर्ग अपनी सांस्कृतिक पूंजी इस्तेमाल करके सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में प्रवेश करते हैं ताकि वहां अच्छी शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए आगे बढ़े। इसके विपरीत श्रमिक वर्ग के विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे वहां शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते और नौकरियों को प्राप्त नहीं कर पाते। इस तरह से उच्च वर्ग मध्यम वर्ग और अधिक उच्च तथा निम्न व श्रमिक वर्ग और अधिक निम्न वर्ग होता चला जाता है। उच्च वर्ग (शासित), निम्न वर्ग (शोषित वर्ग) का शोषण करता है| इस प्रकार से वर्ग असमानता को देखा जा सकता है।

मार्क्सवादियों का तर्क है कि- वास्तव में कक्षा की पृष्ठभूमि तथा पूंजी निर्धारित करती है कि विद्यालयों में कितनी अच्छी शिक्षा मिलती हैं| लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि स्कूल योग्यता के मिथक को फैलाते हैं| स्कूल में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि सभी विद्यार्थियों के पास सफल होने की एक समान मौके होते हैं| हमारे ग्रेड्स हमारे प्रयास और क्षमता पर निर्भर करते हैं लेकिन पूंजीपति वर्ग अपनी सांस्कृतिक पहुंची का लाभ उठाकर बेहतर विद्यालय, ग्रेड्स तथा नौकरी लेने में सक्षम है| इस अन्याय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, इसे सांस्कृतिक पूँजी का उत्पादन भी कह सकते हैं| इस प्रकार यदि हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारी अपनी गलती हैं| यह व्यवस्था को वैध (न्यायोचित) ठहराता है क्योंकि हमें लगता है यह उचित है जबकि ऐसा नहीं है। स्कूल योग्यता को वैध मानते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को शीर्ष पर पहुंचने के लिए समान अवसर मिलते हैं जो कि एक मिथक है|

जो लोग शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं वह पुरस्कारों के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने यह योग्यता के आधार पर हासिल किया है। "बाउल और गिटिंस" का तर्क है कि—"शिक्षा और व्यवसाय में पुरस्कार योग्यता पर नहीं बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं।" किसी व्यक्ति का वर्ग या मूल या पूंजी जितनी ऊंची होगी उसके शीर्ष योग्यता, शीर्ष नौकरी प्राप्त करने की संभावना उतनी अधिक होगी। इनका मानना है कि स्कूल ऐसे संस्थान है जो वर्ग असमानता को वैध बनाते हैं। आल्थूजर का दावा है कि हमारी व्यक्तिपरकता संस्थागत रूप से निर्मित होती है, इसे Interpolation के रूप में संदर्भित किया जा सकता है| यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संस्कृति के मूल्यों का सामना करते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं| हमारे विचार हमारे अपने नहीं हैं| हमें स्वतंत्र विषयों के रूप में प्रक्षेपित किया जाता है ताकि हम उन लोगों को प्रस्तुत कर सके जो हमें अधीन करते हैं| इसका अर्थ है कि हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हम स्वतंत्र हैं और उत्पीड़ित नहीं है, जो कि सत्य नहीं है| मार्क्सवादी नारीवादी का मानना है कि—"महिलाएं और लड़कियां एक उत्पीड़ित वर्ग हैं क्योंकि लड़कियां अपने जीसीएसई अध्ययन के लिए कौन से विषय चुन सकती हैं। समाजशास्त्र, कला और अंग्रेजी साहित्य जैसे विषय लड़कियों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिसे स्त्री विषय माना जाता है| यह लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि लड़कियां मुक्त है लेकिन उनके लिए विषय निर्धारित किए गए हैं। लड़कों को विज्ञान, गणित और डिजाइन और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है जिन्हें आमतौर पर पुरुष विषय कहा जाता है।"

आल्थूजर मानते हैं कि पूंजीपति वर्ग दमनकारी राज्य उपकरण (पुलिस, सेना, फौज, अदालत आदि) तथा वैचारिकी राज्य उपकरण (शिक्षण संस्थान, मीडिया, परिवार, धर्म, संगठन आदि) दोनों का उपयोग करके अपनी सत्ता बनाए रखते हैं| यह मजदूर वर्ग के विद्यार्थियों का शोषण करने के लिए तैयार किया जाता हैं| शिक्षा वैचारिकी राज्य तंत्र का हिस्सा है जो पूंजीवादी व्यवस्था को सही ठहराने के लिए शासक वर्ग की विचारधारा को अपनाती है। इसप्रकार शिक्षण संस्थान बुजुर्आ वर्ग और अभिजात्य वर्ग की विचारधारा को फैलाती है और सर्वहारा वर्ग को झूठी चेतना में रखती है। प्रकार्यवादी सिद्धांतों का यह मानना है कि-- शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है और यह एक निष्पक्ष व्यवस्था है। जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि- यह एक पूंजीवादी मिथक है| इसे ही "झूठी चेतना" कहते हैं। पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए झूठी चेतना आवश्यक है| यह सर्वहारा वर्ग को नियंत्रण में रखता है और विद्रोह करने और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने से

रोकता है। पूंजीवाद पूंजी के मालिकों को श्रमिकों का शोषण करने की अनुमति प्रदान करता है। शिक्षा पूंजीवादी शासक वर्ग के बच्चों को भी सत्ता के पदों के लिए तैयार करती हैं। शिक्षा अधिसंरचना का हिस्सा है। (अधिसंरचना में सामाजिक संस्थान, परिवार, शिक्षा, समाज के धार्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं (यह आयाम भूमि, मशीन, पूंजीपति और सर्वहारा को दर्शाते हैं) जिससे समाज को दो वर्गों- शासक और शासित वर्गों ,बुजुर्गों और सर्वहारा वर्गों के मध्य सामाजिक वर्ग संघर्ष का जन्म होता है| पूंजीपति शासक वर्ग ने शिक्षा को अपने हितों की पूर्ति के लिए संस्था के रूप में बनाया। उत्तर आधुनिकतावादियों का कहना है कि– "शिक्षा बच्चों को अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने और समाज में अपना स्थान खोजने की अनुमति देती है|" मुद्दा स्वयं शिक्षा नहीं है बल्कि यह है कि शिक्षा का उपयोग संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है| पूंजीपति शासक वर्ग ने शिक्षा को अपने हितों की पूर्ति के लिए एक संस्था के रूप में बनाया ताकि वह सर्वहारा वर्गों पर अप्रत्यक्ष तरीके से शासन तथा उनका शोषण कर सकें|

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। पियरे बोर्डियू ने बताया कि किस प्रकार सांस्कृतिक पूंजी का इस्तेमाल करके उच्च वर्ग अपनी प्रस्थिति को बनाये रखते है? समाज में विकास के लिए कई मापदंडों का वर्णन किया, जो समाज के प्रस्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इस मापदंड को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के पास तीन तरह की कुंजी होती हैं, जिसे पियरे बोर्डियू सांस्कृतिक पूंजी, संस्कृतिक पुनरुत्थान और हैबिटस के रूप में परिभाषित किया। सांस्कृतिक पूंजी के संदर्भ में भाषा की बात करते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार सांस्कृतिक पूंजी का इस्तेमाल करके उच्च वर्ग के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं जिससे उनकी संस्कृति उच्च बनी रहती है तथा निम्न वर्ग के बच्चे उचित शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं जिससे इनकी संस्कृति निम्न बनी रहती हैं क्योंकि उनके पास सांस्कृतिक पूंजी का अभाव होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उच्च वर्गों की संस्कृति सदैव निम्न वर्गों से ऊंची रहती हैं। सांस्कृतिक पुनुरुत्थान के संदर्भ में पियरे बोर्डियू अपने सिधांत में यह बताते है कि शिक्षण व्यवस्था का कार्य संस्कृतिक पुनुरुत्पादन करना है। किस प्रकार उच्च वर्ग संस्कृति का इस्तेमाल करके निम्न वर्गों पर अपनी संस्कृति को थोपकर अपनी संस्कृति और अधिक उच्च बनाते है? ऐसा वे शिक्षा के माध्यम से ही संभव कर पाते हैं। पियरे बोर्डियू सांस्कृतिक पूंजी को समाज की असमानता का कारण मानते है| वे कहते है

कि शिक्षा समाज में गैर-बराबरी बढ़ाने के लिए होती है। हैबिट्स के संदर्भ में यह बताते हैं कि विद्यार्थियों को यह मालूम होता है कि उन्हें किस साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है अर्थात किस विधि और साधन का प्रयोग करके अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखना है?

आल्थूजर मार्क्सवादी विचारक हैं इन्होंने समाज के निर्माण एवं विकास तीन तत्वों की अंतःक्रिया की बात की, इसमें इन्होंने अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और वैचारिकी को शामिल किया है| इनका मानना है कि समाज का विकास असमान रूप से होता है। वे अधिसंरचना को विचारधारा और राजनीति को अर्थव्यवस्था की दशाओं के रूप में जोड़कर देखते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार उपकरणों का उपयोग करके संरचना (संस्कृति-भाषा) का रखरखाव किया जा सकता है, जो किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। उपकरण सामाजिक संरचना की निरंतरता में सहायक होते है। सामाजिक संरचना के संदर्भ में विचारधारा और वैचारिकी राज्य उपकरण के बात की कि किस प्रकार पूँजीवाद में अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार कर उसे सशक्त बनाकर विद्यालयों को उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग की श्रेणी में विभाजित किया| उन्होंने पूँजी के माध्यम से वर्ग असमानता पर भी बल दिया है तथा यह भी बताते है कि किस प्रकार स्कूल झूठी चेतना को फैलाकर शोषण करते है?

इसप्रकार पियरे बोर्डियू और लुई आल्थूजर के सिधांतो को प्रस्तुत शोध में सैन्धान्तिक परिप्रेक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है|

अध्याय.4

निर्देश के माध्यम का विद्यार्थियों पर प्रभाव

जनसांख्यिकीय निरूपण

लिंग/उत्तरदाताओं की संख्या	पुरुष	40
	महिला	40
औसत आयु	छात्र	19-26
	छात्रा	19-23
जाति	अनारक्षित	21
	अनुसूचित जाति	39
	अनुसूचित जनजाति	3
	पिछड़ा वर्ग	15
निवास स्थान/पूर्व शिक्षा का माध्यम	ग्राम	50/हिंदी माध्यम
	शहर	30/अंग्रेजी माध्यम
घर के सदस्यों का माध्यम	महिला उत्तरदाता (40)	हिंदी माध्यम
	पुरुष उत्तरदाता (40)	हिंदी माध्यम

संकेत- प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संग्रहण तथा विश्लेषण के लिए उत्तरदाताओं की संख्या के रूप में 40 महिलाओं तथा 40 पुरूषों को शामिल किया गया है जिनमें छात्रों की औसत आयु 19-26 वर्ष तथा छात्राओं की औसत आयु 19-23 वर्ष है| जिन्हें जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिनमें अनारक्षित की संख्या 21, अनुसूचित जाति की संख्या 39, अनुसूचित जनजाति की संख्या 3 तथा पिछड़ा वर्ग की संख्या 15 है। विद्यार्थियों के निवास स्थान तथा पूर्व शिक्षा के माध्यम के बारे में भी दर्शाया गया है जिनमें ग्रामीण में निवास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 है जिनके पूर्व शिक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम था क्योंकि

इनकी प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में हुई है तथा नगर में निवास करने वाले छात्रों की संख्या 30 है जिनके निर्देश का माध्यम अंग्रेजी माध्यम है जिनकी प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा कॉन्वेंट्स स्कूलों से हुई है| इन विद्यार्थियों के घर के सदस्यों के माध्यम के बारे में भी पता लगाया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 100% विद्यार्थियों के घरों में हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है| उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है कि उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित होते है| अतः प्राप्त आकडों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बहुलता देखी जाती है| यह भी कह सकते है कि उच्च स्तर में अंग्रेजी माध्यम की अपेक्षा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है| साथ ही यह भी पता चलता है कि चयनित 80 उत्तरदाताओं में से सिर्फ 30 उत्तरदाता ही अंग्रेजी माध्यम के है अर्थात् अंग्रेजी भाषा के जानकर हिंदी भाषा से कम है|

तालिका संख्या 4.1

आप किस माध्यम में सहजता/सरलता महसूस करते हैं..........

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हिंदी माध्यम	48	60
B	अंग्रेजी माध्यम	32	40
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.1: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से ज्यादा विद्यार्थी हिंदी माध्यम में सहजता/सरलता महसूस करते हैं जिनकी प्रतिशतता 60% है जबकि आधे से कम विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में सहजता/सरलता महसूस करते हैं जिनकी प्रतिशता 40% अर्थात् हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कम है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी में सहजता/सरलता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वे सरकारी स्कूलों में पढ़े होते है जिनके निदेश का माध्यम हिंदी भाषा है तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में सहजता /सरलता महसूस करते हैं क्योंकि वे कॉन्वेंट्स स्कूलों के पढ़े हुए होते है जिनके निदेश का माध्यम अंग्रेजी भाषा है|

* यदि हिंदी माध्यम   तो आप मानते है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए....

* यदि अंग्रेजी माध्यम तो आप यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हाँ	48	60
B	नहीं	20	31.25
C	शायद	12	15
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.1: यह दर्शाती है कि समस्त प्राप्त उत्तरदाताओं में से आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए जिनकी प्रतिशतता 60% है| वही आधे से कम अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी भाषा के पक्ष में नही है जिनकी प्रतिशतता 31.25% है तथा कुछ विद्यार्थी दोनों माध्यमों के पक्ष में है जिनकी प्रतिशतता 15% है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्देश का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए जिससे अधिकांश विद्यार्थी परिचित हो| विद्यार्थियों ने अपने-अपने माध्यम को उच्च शिक्षा में निर्देश के रूप में स्वीकार किया है|

तालिका संख्या 4.2

निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो.....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	75	93.75
B	नहीं	5	6.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.2: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो जिनकी प्रतिशतता 93.75% है तथा कुछ विद्यार्थियों का मानना है कि निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा में होनी नहीं चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो जिनकी प्रतिशतता 6.25% है| यह विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा के पक्ष में थे| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है|

तालिका संख्या 4.3

आप मानते हैं कि निर्देश का माध्यम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसी माध्यम में होना चाहिए जिसे विद्यार्थी सरलतापूर्वक सीख व समझ सके तथा उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकें..........

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	80	100
B	नहीं	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.3: यह दर्शाती है कि दोनों माध्यमों के समस्त विद्यार्थियों का मानना है निर्देश का माध्यम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसी माध्यम में होना चाहिए जिसे विद्यार्थी सरलतापूर्वक सीख व समझ सके तथा उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकें| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी भाषा को निर्देश के रूप में स्वीकार किया क्योंकि वे इसी माध्यम में सीखते, समझते व शिक्षा ग्रहण करते आ रहे है|

* यदि हां तो आप Hindi भाषा का समर्थन करते हैं क्योंकि मातृभाषा सीखने, बोलने में सरल होती है तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां सरलता से संपन्न हो जाती है......

* आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	60	75
B	नहीं	20	25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.3: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी हिंदी भाषा का समर्थन करते है जो यह मानते है कि मातृभाषा सीखने, बोलने में सरल होती है तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां सरलता से संपन्न होती है जिनकी प्रतिशतता 75% है तथा आधे से कम विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं क्योंकि उनके निर्देश का माध्यम अंग्रेजी माध्यम है| उनकी इसी भाषा में दैनिक गतिविधियां सरलता से संपन्न होती है| अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी का विरोध तो नहीं करते लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में अन्तर्राष्ट्रीय देशो के बीच अपनी संस्कृति तथा धर्मो का प्रचार-प्रसार व देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विदेशी व्यापार के लिए अंग्रेजी का समर्थन करते है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो जिस भाषा का अभ्यस्त होता है वो उसी माध्यम में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों को आसानी से संपन्न कर सकता है|

तालिका संख्या 4.4

यदि आप हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं तो अंग्रेजी भाषा   के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	20	25
B	नहीं	60	75
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.4: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से हिंदी भाषा का समर्थन करने वाले लगभग एक तिहाई विद्यार्थियों का मानना है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे जिनका प्रतिशत 25% है क्योंकि उनका मानना है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे है जिन्हें दोनों भाषाओ का ज्ञान होता है| अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि कुछ विद्यार्थी प्रारम्भ से ही अंग्रेजी माध्यम के पढ़े हुए होते है जिन्हें हिंदी भाषा नहीं आती है या कुछ विद्यार्थी दूसरे राज्य के होते है जिनकी क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, ऐसे विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते| अतः यह कहा जा सकता है कि अपरिचित भाषा होने के कारण विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता|

* यदि आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे.........

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	55	68.75
B	नहीं	25	31.25
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.4: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से जो अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने वाले अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने पर वे शिक्षा ग्रहण कर पाते है क्योंकि उच्च शिक्षा में निर्देश अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही दिया जाता है फिर भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते है| उच्च स्तर की शिक्षा में ज्यादातर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बहुलता देखी जाती है कही न कही वे दोनों माध्यमों को समझते है| जिनका प्रतिशत 68.75% है| अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता अधिक होती है| वही एक चौथाई से ज्यादा, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों का मानना है कि हिंदी माध्यम के कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते है क्योंकि अंग्रेजी भाषा उनके लिए अपरिचित भाषा होती है जिसे वे बिल्कुल भी समझ नही पाते है जिनका प्रतिशत 31.25% है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपरिचित भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते है|

तालिका संख्या 4.5

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी माध्यम/ अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से आपकी शिक्षा बाधित हुई है.......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	55	68.75
B	नहीं	20	25
c	कभी-कभी	5	6.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.5: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से ज्यादा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 68.75% है, मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से उनकी शिक्षा बाधित हुई है| ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च शिक्षा में निर्देश अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाता है और उनकी पूर्व शिक्षा का माध्यम हिंदी माध्यम था| वही एक तिहाई से कम विद्यार्थियों, जिनका प्रतिशत 25% है उनकी शिक्षा बाधित नही हुई है क्योंकि वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी है जो प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी

भाषा में शिक्षा ग्रहण करते आये है, वही कुछ विद्यार्थी ऐसे है जिन्हें दोनों ही भाषाएँ नहीं समझ आती है क्योंकि वे सुचारू रूप से अपनी शिक्षा की निरंतरता को नहीं बनाये रख पाते है तथा कुछ विद्यार्थियों को अंग्रेजी न समझ आने से कारण वे शिक्षा को बीच में ही छोड़कर चले जाते है| इस प्रकार उनकी शिक्षा बाधित हुई है, जिनका प्रतिशत 6.25% है, उनकी शिक्षा कभी-कभी बाधित होती है| अतः यह कहा जा सकता है कि दूसरी भाषा का ज्ञान न होने के कारण दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होती है|

तालिका संख्या 4.6

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य-सामग्री को समझ पाते हैं......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	22	27.5
B	नहीं	48	60
c	कभी-कभी	10	12.5
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.6: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से लगभग एक तिहाई विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य-सामग्री समझ जाते हैं क्योंकि वे कान्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए होते है जिनके निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है और उच्च शिक्षा में भी निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है, जिनका प्रतिशत 27.5% है| आधे से अधिक विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य-सामग्री नही समझ पाते हैं क्योंकि वे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होते है जिनके निर्देश का माध्यम हिंदी भाषा है, जिनका प्रतिशत 60% है| एक चौथाई से भी कम विद्यार्थी उच्च शिक्षा के निर्देश के माध्यम को समझने की कोशिश करते है जिनका प्रतिशत 12.5% है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में अग्रेजी भाषा में निर्देश देने पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज्ञान की प्राप्ति नही कर सकते|

* यदि हां/नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	अनुवाद विधि का	50	62.5
B	किसी व्यक्ति का	2	2.5
c	अन्य का	28	35
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.6: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश जो पाठ्य-सामग्री नहीं समझ पाते अनुवाद विधि का सहारा लेते है| अंग्रेजी अनुवादिक भाषा है| प्रायः हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पाठ्य-सामग्री को समझने के लिए गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते है, जिनका प्रतिशत 62.5% है| बहुत की कम विद्यार्थी कक्षा में किसी व्यक्ति का सहारा पाठ्य-सामग्री को समझने के लिए लेते है जिसका प्रतिशत 2.5% है तथा शेष विद्यार्थी पाठ्य-सामग्री को समझने के लिए किसी किताब, एप का सहारा लेते है जिसका प्रतिशत 35% है| इसप्रकार अतः प्राप्त आकडों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर हिंदी माध्यम के ही विद्यार्थी गूगल ट्रांसलेट का सहारा हिंदी में किताबों के न मिलने के कारण लेते है| इसका कारण कक्षा में पाठ्य-सामग्री न समझ आना भी होता है|

* उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य - सामग्री समझ पाते हैं....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	58	72.5
B	नहीं	22	27.5
c	कभी-कभी	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.6: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थियों का मानना है कि वे उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य-सामग्री समझ पाते है, जिसका प्रतिशत 72.5% है| एक तिहाई से ज्यादा विद्यार्थी पाठ्य-सामग्री नही समझ पाते है, जिसका प्रतिशत 27.5% है| विपरीत माध्यम से शिक्षा देने पर विद्यार्थी पाठ्य-सामग्री नही समझ पाते हैं| पाठ्य-सामग्री न समझने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कही अधिक है| अतः प्राप्त आकडों के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के है जो हिंदी भाषा के पक्ष में है| विपरीत माध्यम से शिक्षा देने पर विद्यार्थी पाठ्य-सामग्री नही समझ पाते हैं|

* यदि हां/नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	अनुवाद विधि का	0	0
B	किसी व्यक्ति का	5	6.25
c	अन्य का	75	93.75
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.6: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 6.25% है, उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य-सामग्री न समझ पाने के कारण व्यक्तियों की सहायता लेते है तथा आधे से ज्यादा विद्यार्थी पुस्तकों की सहायता से पाठ्य-सामग्री को समझ लेते है|

तालिका संख्या 4.7

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर आपके ग्रेड्स पर प्रभाव पड़ा है.....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	48	60
B	नहीं	32	40
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.6: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से ज्यादा विद्यार्थियो के ग्रेड्स पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम बदलने के कारण उनकी शिक्षा सुचारू रूप से नही चल पाती जिससे उन्हें याद करने में मुश्किल होती है जिसके कारण वे पाठ्य-सामग्री को रटकर परीक्षा देते है, जिनका प्रतिशत 60% है| वही आधे से कम जिनका प्रतिशत 40% है, उनके ग्रेड्स पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्योंकि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है| अतः कहा जा सकता है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की अपेक्षा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के ग्रेड्स कम आते है|

तालिका संख्या 4.8

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) को समझ पाते हैं....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	32	40
B	नहीं	48	60
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.8: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से कम जिनका प्रतिशत 40% है, विद्यार्थी निर्देश के माध्यमों को समझ पाते हैं जिनमे अंग्रेजी व दोनों भाषायों का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी शामिल है तथा आधे से ज्यादा जिनका प्रतिशत 60% है, नही समझ पाते हैं क्योंकि उनकी भाषा में अंतर होता है| वे अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी भाषा को समझते है|

* यदि हाँ/नहीं तो आप कक्षा में स्वयं को अलग महसूस करते हैं या अलगाव की स्थिति का सामना करते हैं...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	48	60
B	नहीं	32	20
c	कभी-कभी	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.8: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से अधिक जिनका प्रतिशत 60% है, विद्यार्थी कक्षा में पाठ्य-सामग्री से सम्बंधित उचित ज्ञान न मिलने के कारण तथा प्रश्न पूंछे जाने पर जवान न देने के कारण स्वयं को अलग महसूस करते हैं या अलगाव की स्थिति का सामना करते हैं तथा एक तिहाई विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 20% है, ऐसा कुछ महसूस नही करते हैं|

तालिका संख्या 4.9

उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदीभाषी विद्यार्थी स्वयं को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं तथा स्वयं को शिक्षा में कमजोर समझते है..

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	20	25
B	नहीं	60	75
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.9: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से 25% विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने हिंदीभाषी विद्यार्थी

स्वयं को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं तथा स्वयं को शिक्षा में कमजोर समझते हैं तथा अधिकांश विद्यार्थियों जिनका प्रतिशत 75% है, उनको ऐसा नही लगता क्योंकि वे इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते| भारत की शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन ही इस प्रकार किया गया है कि विद्यार्थियों में असंतोष की भावना का जन्म हो|

तालिका संख्या 4.10

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा दिए जाने   पर सहज महसूस करते हैं..........

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	32	20
B	नहीं	48	60
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.10: यह दर्शाता है कि 100% में एक चौथाई विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 20% है, निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर सहज महसूस करते हैं तथा आधे से ज्यादा विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 60% सहज महसूस नही करते हैं| अतः कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को उसी भाषा में निर्देश देना चाहिए जिस भाषा के वे अभ्यस्त होते है या जिस माध्यम में सहज महसूस करते है|

तालिका संख्या 4.11

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों हिंदी/अंग्रेजी माध्यम के माध्यम में पढ़ने से विद्यार्थी अपनी बातों, विचारों को सबसे सामने आसानी से रख व कह सकते है, ऐसा करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की क्रिया मजबूत होती है.......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	80	100
B	नहीं	0	0
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.11: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से समस्त विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपने-अपने माध्यमों में पढ़ने से अपनी बातों, विचारों को सबसे सामने आसानी से रख व कह सकते है, क्योंकि यह उनकी अपनी भाषा होती है जो वह बचपन से सीखता, समझता व बोलता चला आ रहा है| विद्यार्थियों को उनके ही माध्यम में शिक्षा देने पर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की क्रिया मजबूत होती है|

तालिका संख्या 4.12

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण काफी विद्यार्थी उच्च स्तर की शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	10	12.5
B	नहीं	70	87.5
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.12: यह दर्शात है कि 100% विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 12.5% है, उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम के कारण शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते है जिसका कारण पाठ्यक्रम को तथा अंग्रेजी भाषा को न समझ पाना है तथा आधे

से अधिक जिनकी प्रतिशतता 87.5% है, विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम के कारण विद्यार्थी उच्च स्तर की शिक्षा को बीच में नही छोड़ते हैं क्योंकि जरूत पड़ने पर कक्षा में निर्देश दोनों भाषाओं में भी दिया जाता है जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी पाठ्य-सामग्री समझ सके और उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे|

तालिका संख्या 4.13

उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है.....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	सरकात्मक	0	0
B	नकारात्मक	70	87.5
c	कोई नहीं	10	12.5
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.13: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से अधिक जिनका प्रतिशत 87.5% है, विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसा करने से वे उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते है जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती रहती है तथा कुछ विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 12.5% है, विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दोनों भाषाओँ का ज्ञान होता है इसलिए इनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव ही पड़ता|

* उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	सरकात्मक	0	0
B	नकारात्मक	70	87.5
c	कोई नहीं	5	6.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- संकेत- तालिका संख्या 4.13: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से आधे से अधिक जिनका प्रतिशत 87.5% है, विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनका अध्यापन अंग्रेजी भाषा में होता आया है तथा हिंदी भाषा के ज्ञान से अपरिचित होते है| कुछ विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 12.5% है, विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर अंगेजी माध्यम के विद्यार्थियों पर कोई प्रभाव नही पड़ता है क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दोनों भाषाओँ का ज्ञान होता है इसलिए इनकी शिक्षा पर कोई प्रभाव ही पड़ता|

तालिका संख्या 4.14

निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं से वंचित हुए है.......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	68	85
B	नहीं	12	15
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.14 यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं से वंचित हुए है चाहे वह हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो या अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी| ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी या अंग्रेजी अनिवार्य होता है तथा एक चौथाई से कम 15% विद्यार्थियों का मानना है कि निर्देश के माध्यमों के कारण उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं से वंचित नही हुए है क्योंकि इन्हें दोनों भाषाओँ का ज्ञान है| अतः कह जा सकता है की दू भाषाओँ का ज्ञान आवश्यक है प्रवेश परीक्षाओं के लिए|

* यदि हां/नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	80	100
B	नही	0	0
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.14: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से समस्त विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा व प्रवेश परीक्षाओं से वंचित हुए है उनका मानना है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दोनों भाषाओँ का ज्ञान होना आवश्यक है तभी हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे और प्रवेश परीक्षाओं को पास कर सकेंगे|

तालिका संख्या 4.15

आप भाषा आयोग से सम्बंधित अनुच्छेद के बारे में जानते है......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	35	43.75
B	नहीं	45	56.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.15: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से 43.75% विद्यार्थी भाषा आयोग से सम्बंधित अनुच्छेद के बारे में जानते है| उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में भाषा आयोग को अनुच्छेदो का उल्लेख अनुच्छेदो 343-351 में किया गया है तथा 56.25% भाषा आयोग से सम्बंधित अनुच्छेद के बारे में नही जानते है|

तालिका संख्या 4.16

आपको पता हैं की भारतीय संविधान में राजभाषा की बात किस अनुच्छेद, भाग में की गयी हैं......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	35	43.75
B	नहीं	45	56.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.16: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से 43.75% विद्यार्थी भारतीय संविधान में भाषा के अनुच्छेद तथा भाग के विषय में जानते है| उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में राजभाषा की बात भाग-17 में अनुच्छेद 343 में की गयी है तथा 56.25% विद्यार्थियों में ज्ञान की कमी के इस विषय में जानकारी नहीं है|

तालिका संख्या 4.17

आपको पता हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में शामिल किया गया हैं..

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	35	43.75
B	नहीं	45	56.25
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.17: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से 43.75% विद्यार्थियों को ज्ञात है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया हैं तथा साथ ही यह भी बताया की उच्च शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किया गया है| 56.25% विद्यार्थियों को ज्ञात नही है|

तालिका संख्या 4.18

वर्तमान समय में दो संघीय भाषाएं (हिंदी और अंग्रेजी भाषा) हैं, आपके विचार से उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम होना चाहिए........

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हिंदी भाषा	58	85
B	अंग्रेजी भाषा	22	27.5
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.18: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थी जिनका प्रतिशत 85% है, का मानना है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी भाषा होना चाहिए तथा 43.75% विद्यार्थियों का मानना है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए| अतः का सकते है कि दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी भाषा का चयन कर उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम के रूप में रखने की बात की| वे उसी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाहते है जो उनके लिए उपयोगी है तथा जिस माध्यम में वे उचित ज्ञान का अर्जन कर सके|

तालिका संख्या 4.19

जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर) पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	80	100
B	नहीं	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.19: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से समस्त विद्यार्थियों का मानना है कि जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर) पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए| ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी निर्देश के रूप में उसी भाषा को चाहता है जो उसकी प्रारंभिक स्तर की भाषा रही हो| विद्यार्थी अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा एवम् प्रांतीय भाषा में ही अपने कौशलों का विकास कर जीवन में सफल बनता है| अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर) पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं|

तालिका संख्या 4.20

जब हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रभाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में लागू करना चाहिए....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	61	76.25
B	नहीं	0	0
c	शायद	19	23.75
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.20: यह दर्शाता है कि 100% विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थियों जिनका प्रतिशत 76.25% है, मानना है कि जब हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रभाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में लागू करना चाहिए| शिक्षा की नीतियों तथा आयोगों ने भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग पर बल दिया है| 23.75% विद्यार्थियों का ऐसा नहीं मानते उनका मानना है कि निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता पड़ती है| बिना इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नही किया जा सकता|

तालिका संख्या 4.21

भाषा समस्या का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है यदि हम इस समस्या का शैक्षणिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो भाषा समस्या का विवाद समाप्त हो जाएगा....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	72	90
B	नहीं	0	0
c	शायद	8	10
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.21: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से 90% विद्यार्थियों का मानना है कि भाषा समस्या का शैक्षणिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से भाषा समस्या का विवाद समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि इस समस्या ने शिक्षा के स्तर को निम्र बना दिया है और शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे गिरता जा रहा है तथा 10% विद्यार्थियों का मानना है कि शायद ही भाषा समस्या का विवाद समाप्त हो सके क्योंकि एक तरफ हिंदी भाषा के पक्षधर है वही दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा के भी पक्षधर है जो समय-समय पर भाषा से सम्बन्धित असंतोष की भावना को उत्पन्न करते रहते है

तालिका संख्या 4.22

वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा/ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है| उच्च स्तर की शिक्षा पर भाषा विवाद की समस्या उत्पन्न होनी चाहिए...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	0	0
B	नहीं	80	100
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.22: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से सभी विद्यार्थियों का मानना है कि वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा/ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है अतः उच्च स्तर की शिक्षा पर भाषा विवाद की समस्या उत्पन्न नही होनी चाहिए परन्तु अहिन्दी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का विरोध तथा हिंदी क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा के विरोध होता आया है| भाषा के आधार पर कई देश विभाजित हो गये| शिक्षा भी वो वर्गों में विभाजित होकर रह गयी है| हिंदी को राष्ट्रभाषा/ राजभाषा का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद शायद ही भाषा से सम्बंधित समस्या का समाधान हो सके|

तालिका संख्या 4.23

नीतियों, आयोगों को पढ़ने के उपरांत यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रभाषा विवाद का कारण है यदि इस विवाद का समाधान हो जाए तो भाषा से संबंधित समस्याओं का विवाद समाप्त हो जाएगा...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	20	25
B	नहीं	60	75
c	शायद	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.23: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से एक तिहाई विद्यार्थियों का मानना है कि नीतियों, आयोगों को पढ़ने के उपरांत यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रभाषा विवाद का कारण है यदि इस विवाद का समाधान हो जाए तो भाषा से संबंधित समस्याओं का विवाद समाप्त हो जाएगा| अधिकांश विद्यार्थियों जिनका प्रतिशत 75% है, का मानना है कि यदि नीतियों, आयोगों को पढ़ने के उपरांत इस समस्या से निजात मिल सकती थी तो अब तक मिल जाती यूं भाषायिक आधार पर देश का विभाजन न होता और न ही भाषा को लेकर आन्दोलन होते और न ही विद्यार्थियों में भाषा को लेकर असंतोष की भावना का उदय होता|

तालिका संख्या 4.24

अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधि है...

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	अनुवाद विधि	80	100
B	व्याख्या विधि	0	0
कुल संख्या		80	100

संकेत- तालिका संख्या 4.24: यह दर्शाती है कि 100% विद्यार्थियों में से समस्त विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा को अनुवाद विधि मानते है क्योंकि ज्यादातर अनेक भाषओं का अंग्रेजी माध्यम में ही अनुवाद किया जाता है| इस प्रकार अंग्रेजी भाषा एक अनुवादिक विधि है|

विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षा, प्रोफेसर्स, गेस्ट फैकल्टी तथा डीन से सम्बंधित प्रश्न

जनसांख्यिकीय निरूपण

विभागों की संख्या	14
विभागों की विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षया की संख्या	5
प्रोफेसर्स की संख्या	11
गेस्ट फैकल्टीज की संख्या	3
डींस की संख्या	5

प्रस्तुत सारणी में उच्च शिक्षा तथा निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) का विद्यार्थियों तथा उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के जानने के लिए कुल 14 विभागों के विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षया, प्रोफेसर्स, गेस्ट फैकल्टीज तथा डींस को प्रस्तुत शोध में शामिल किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पाठ्य-सामग्री समझ में आती है या नही, यदि नही आती तो क्या उन्हें समझाया जाता है? इसी बात का पता लगाने के अलग-अलग विभागों, जिनमे विभागाध्यक्ष/विभागाध्यिकाओ की संख्या 5, प्रोफेसर्स की संख्या 11 गेस्ट फैकल्टीज की संख्या 3 तथा डींस की संख्या 5 को प्रस्तुत शोध में शामिल किया है|

तालिका संख्या 4.1

कक्षा में निर्देश देने का माध्यम......

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हिंदी भाषा	1	4.16
B	अंग्रेजी भाषा	5	20.83
c	मिश्रित भाषा	18	75
कुल संख्या		24	100

संकेत- तालिका संख्या 4.1: यह दर्शाती है कि सम्पूर्ण में से एक चौथाई जिनका प्रतिशत 4.16% है, कक्षा में निर्देश हिंदी भाषा के माध्यम से देते है| यह हिंदी विभाग से सम्बंधित है तथा आधे से ज्यादा निर्देश अंग्रेजी भाषा में देते है जिनका प्रतिशत 20.83% है| ऐसा मानना है कि कुछ विषयों (साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, गणित) को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाया जाना चाहिए| अधिकांश विभागों में जिनका प्रतिशत 75% है उनमें मिश्रित भाषा में निर्देश दिए जाते है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी माध्यम के होते है| उनकी पूर्व शिक्षा का माध्यम भी हिंदी भाषा ही था उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है जिससे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी नहीं समझ पाते है, इस स्तर पर आके उन्हें भाषायिक समस्या का सामना न करना पड़े इसीलिए मिश्रित भाषा में निर्देश दिए जाते है ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके और शिक्षा से वंचित न रहे|

* यदि हिंदी भाषा तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं........

* यदि अंग्रेजी भाषा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं........

संकेत- उपरोक्त तालिका तालिका संख्या 4.1: यह दर्शाती है कि सिर्फ हिंदी विभाग में शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा है| हिंदी विषय होने के कारण इसे हिंदी भाषा में ही पढ़ाया जाता है| कुछ विषयों के शब्दों का उच्चारण बहुत कठिन होता है इसलिए उन्हें अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाता है जैसे- साइंस के विषय, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि| जिनका प्रतिशत 20.83% है| उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है इसलिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को और शिक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नही करना

पड़ता है| जैसा कि कहा गया है कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश दिये जाते है| उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते है जिनकी पूर्व शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होती है| उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम बदलने से उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़े तथा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी पाठ्य-सामग्री को समझ सके, इसलिए अधिकांश विभागों में निर्देश मिश्रित भाषा में दिए जाते है, जिनका प्रतिशत 75% है| इसप्रकार कह सकते है कि अध्यापकों द्वारा दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों को भाषा से सम्बंधित समस्या होने पर समझाया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित न हो या शिक्षा को लेकर उनमे असंतोष की भावना का उदय हो|

तालिका संख्या 4.2

परीक्षा के समय प्रश्नों की भाषा का माध्यम.....

क्रम संख्या	उत्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हिंदी भाषा	1	4.16
B	अंग्रेजी भाषा	18	75
c	मिश्रित भाषा	5	20.83
कुल संख्या		24	100

संकेत- तालिका संख्या 4.2: यह दर्शाती है कि हिंदी विषय होने के कारण प्रश्नों की भाषा का माध्यम हिंदी भाषा रखी जाती है, जिसका प्रतिशत 5% है| आधे से ज्यादा विभागों में प्रश्नों की भाषा का माध्यम अंग्रेजी भाषा रखी जाती है जिसका प्रतिशत 75% है| मानना है कि पाठ्य-सामग्री को पढ़ते-पढ़ते विद्यार्थी सामग्री के शब्दों को समझने लगते है और वो प्रश्नों की भाषा का माध्यम भी समझ लेते है| जिन विद्यार्थियों को प्रश्न नही समझ आता है उन्हें विद्यार्थियों द्वारा पूंछे जाने पर अध्यापकों द्वारा समझा दिया जाता है| कुछ विभागों में प्रश्नों की भाषा का माध्यम मिश्रित भाषा रखी जाती है जिसका कारण यह है कि कुछ विद्यार्थी कक्षा में

प्रश्न पूंछने में झिझक महसूस करते है जिस कारण वे प्रश्न का उचित उत्तर नही लिख पाते है| यह भी बताते है कि अध्यापक विद्यार्थियों के जरूरत के हिसाब से भी प्रश्नों की भाषा का माध्यम मिश्रित भाषा रखते है, ताकि प्रश्नों की भाषा को समझने में उनका समय न बर्बाद हो|

तालिका संख्या 4.3

राष्ट्रभाषा (हिंदी भाषा) को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं...

* यदि हाँ तो विश्वविद्यालय में उपरोक्त सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं.....

क्रम संख्या	उत्तरदाता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
A	हां	24	100
B	नहीं	0	0
कुल संख्या		24	100

संकेत- तालिका संख्या 4.3: यह दर्शाती है समस्त विभागों के अध्यापकों ने बताया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रभाषा (हिंदी भाषा) को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए कार्यक्रमों जैसे- हिंदी दिवस (14 सितम्बर), सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन विश्वविद्यालयी स्तर पर किया जाता हैं| कुछ विभागों में हिंदी में सेमिनार, क्विज, वर्कशॉप भी कराए जाते है तथा मार्च के महीने में हिंदी पखवाडा का आयोजन किया जाता है जिसमें लेक्चर, पत्र, संवाद, नोटिंग फाइल्स आदि हिंदी भाषा के ही माध्यम से किये जाते है| हिंदी विभाग में मातृभाषा दिवस तथा साहित्यकारों के जन्मदिन भी मनाये जाते है| यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है|

अध्याय.5

निष्कर्ष तथा सुझाव

अध्याय.5

निष्कर्ष तथा सुझाव

प्रथम अध्याय में प्रस्तुत शोध परिचय से संबंधित है इस अध्याय में अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की महत्त्व, अध्ययन की समस्या, उद्देश्य एवं उपकल्पनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई हैं| अध्याय में यह जानने का प्रयास किया कि उच्च स्तर पर निर्देश के माध्यम की समस्या का किस प्रकार हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सामना करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। औपनिवेशिक काल से ही भाषा की समस्या चली आ रही है उसने न केवल देश को, समाज को दो वर्गों तथा शिक्षा को भी माध्यमों में विभाजित कर दिया है, खासकर की उच्च शिक्षा के स्तर को क्योंकि यह शिक्षा का अंतिम स्तर होता है और इस शिक्षा के माध्यम से जीवन की सफलता का रास्ता निकलता है| प्रथम अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से निर्देश ले रहे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों पर तथा उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव नही पड़ता है| उच्च शिक्षा के स्तर पर उन्हें भाषायिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनकी शिक्षा बाधित होती रहती है| उचित ज्ञान न मिलने के कारण वे समाज के साथ सामंजस्य स्थापित नही कर पाते है जिससे वह सम्मानित पदों की प्राप्ति नही कर पाते और बेरोजगारी की मार झेलते रहते है| इसी अध्याय में अध्ययन की संपूर्ण संरचना को शोध प्रवृत्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है जिसके माध्यम से शोध-कार्य को सुचारू रूप से पूरा किया गया है।

द्वितीय अध्याय सरकारी नीतियों के बारे में चर्चा की गई है| निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सरकार की नीतियां तथा कार्यक्रम शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है जो कि इस समस्या का समाधान करती रहती हैं| अनेक सरकारी नीतियों तथा आयोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक नीतियों का क्रियान्वयन भाषायिक सर्वेक्षण के आधार पर किया ताकि भविष्य में इस समस्या का सामना ना करना पड़े| आयोगों और नीतियों में कोई ना कोई कमी के कारण इस समस्या का उचित समाधान ना हो सका| इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न आयोगों तथा नीतियों ने क्षेत्रीय भाषाओं को ही निर्देश के माध्यम के रूप में स्वीकारा तथा भारतीय भाषाओँ के संवर्धन एवम् संरक्षण की बात की| संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिए जाने पर भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है जिससे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के मध्य एक खाई बन गई है| भाषा की समस्या के

कारण विद्यार्थियों पर तथा उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है किस तरह से वे इस समस्या को झेलते है? नीति निर्देशक किस प्रकार से भाषा की समस्या का समाधान कर सकते है| इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया गया तथा इसमें कहा गया कि उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में निर्देश देने की बात की इसके साथ ही यह भी कहा कि बिना किसी दबाव के विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार भाषा का चयन कर सकते है| यह भी सुझाव दिया कि क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम पर प्रतिष्ठित करने से शिक्षा में माध्यम जैसी समस्या को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति इसी के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है इसलिए सभी स्तर पर इस निर्देश के माध्यम के रूप में अपनाया जाना अपनाया जाए| भारतीय भाषाओँ के संवर्धन एवम् संरक्षण के लिए निम्न सुझाव दिए|

इसी अध्याय में प्रस्तुत शोध से संबंधित विभिन्न शोधकर्ताओं तथा लेखकों के द्वारा लिखित साहित्यों की साहित्य की गई है| जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा प्रांतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात पर बल दिया है| कई लेखक इस बात पर भी बल देते है कि हिंदी विद्यार्थियों को अंग्रेजी ही क्यों सीखनी चाहिए अंग्रेजी भाषी को हिंदी क्यों नही? प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन से यह कहना उचित होगा कि विद्यार्थियों को अपरिचित भाषा में शिक्षा देना न्यायोचित है या नहीं? अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्यार्थियों को उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए जिस भाषा के वो अभ्यस्त होते है|

तृतीय अध्याय में शोध से समन्धित समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई हैं। इस अध्ययन में उपयुक्त सिद्धांतों में संघर्षवादी परिपेक्ष्य को अपनाया गया है। जिसमें बोरदुउ तथा आल्थूसर के सिद्धांतों को उपयोग में लाया गया है। दोनों के सिधांतो को शिक्षा/भाषा के सन्दर्भ में समझने का प्रयास करेंगे| प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च वर्ग सांस्कृतिक पूंजी (शिक्षा) का उपयोग करके अच्छी शिक्षा, पद व शक्ति को प्राप्त कर अपनी प्रस्थिति को समाज में कायम रखते है क्योंकि यह उन्ही के अनुरूप कार्य करती है और निम्न वर्ग का शोषण करते रहते है| बोरदुउ सांस्कृतिक पूंजी (शिक्षा) को गरीबी दूर करने का साधन नहीं बल्कि समाज में असमानता फैलाने का साधन मानते है| इसी सांस्कृतिक पूंजी के माध्यम से सांस्कृतिक पुनुरुथान पर बल देते है| उनका मानना है कि हैबिट्स के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी इस बात का अभ्यस्त हो जाता है कि किन साधनों का प्रयोग करके उसे शिक्षा प्राप्त करनी है। आल्थुजर सिद्धांत में सांस्कृतिक पुनुरुत्पादन की बात करते हैं और कहते हैं कि उत्पादन के साधन पुराने हो

जाने पर नए साधनों का निर्माण होता रहता है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है।

आल्थूजर अपने पूंजीवाद की वास्तविक संरचना के अध्ययन में बताते हैं कि जब इसमें परिवर्तन आता है तो ही समाज में परिवर्तन आता है| आल्थूजर मानते हैं कि समाज का विकास तथा उद्विकास एक समान ना होकर असमान रूप से होता है इसके लिए वे स्कूल को जिम्मेदार मानते है| किस प्रकार संरचना के रखरखाव में उत्पादन के साधनों का योगदान होता है? वह कहते हैं कि उत्पादन के साधन बनते बिगड़ते रहते हैं अर्थात उत्पादन के साधन पुराने होकर नष्ट हो जाते हो जाते हैं, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है| संरचना के रखरखाव के संदर्भ में संस्कृति (भाषा) को देखते हैं| आल्थूजर अपने राज्य उपकरण में बताते है कि किस प्रकार पूंजीपति वर्ग अपनी संस्कृति का उपयोग करके अधिक से अधिक धन, शिक्षा एवम् शक्ति को बढ़ाते रहते है| संरचना के रखरखाव में वे स्कूल को उपकरण के रूप में उपयोग करते है और निम्न वर्गों को बिना पता चले उनका शोषण करते रहते है और निम्न वर्गों को लगता है उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वे उच्च संस्कृति (शिक्षा, धन, शक्ति) नही प्राप्त कर सके, इसे ही आल्थूजर झूठी चेतना कहते है| हमें विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा शोषण नहीं किया जा रहा है लेकिन नव-मार्क्सवादी नारीवाद का मानना है कि विषयों का अलग चुनाव करके अर्थात महिलाओं के लिए अलग विषय तथा पुरुषों के लिए अलग विषयों का चुनाव करके उन्हें एक प्रकार से शोषित ही किया जाता है। स्कूल को गैर बराबरी का साधन मानते है | इसप्रकार आल्थूजर के सिधान्तों को शोध में शामिल किया गया है|

चतुर्थ अध्याय में शोध से सम्बंधित आकडों का विश्लेषण किया गया है तथा उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम से विद्यार्थियों पर तथा उनकी शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को आकडों के माध्यम से विश्लेषित कर निर्देश प्राप्त किये गये है जो इस प्रकार है...

1. विद्यार्थियों की पूर्व शिक्षा जिस माध्यम में होती है उसी माध्यम में भी सहजता व सरलता महसूस करते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में निर्देश की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारते हैं क्योंकि वह प्राय: सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए होते हैं जिनके निर्देश का माध्यम हिंदी भाषा होती है तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाते है क्योंकि वह कॉन्वेंटस स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं जिनके

निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होता है। दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी अपनी ही भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

2. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम वही होना चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती है| अतः अधिकांश विद्यार्थियों ने हिंदी माध्यम को निर्देश के माध्यम के रूप में स्वीकार किया क्योंकि हिंदी भाषा उनकी राज्यभाषा है और अधिकांश जनता इस भाषा की जानकार है और वह दैनिक कार्यों में इसी भाषा का उपयोग करते हैं प्रयोग करते हैं।

3. दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपनी भाषाओं के माध्यम से अध्ययन करने पर सफलतापूर्वक सीख व समझ सकते हैं तथा उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। राजभाषा हिंदी होने के कारण अधिकांश विद्यार्थियों की प्रारंभिक शिक्षा हिंदी भाषा के माध्यम से ही आरंभ होती हैं जिसके कारण अंग्रेजी भाषा के समर्थकों की संख्या हिंदी भाषा के समर्थकों की अपेक्षा बहुत कम है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी भाषा का विरोध तो नहीं करते लेकिन उनका मानना है कि अंग्रेजी भाषा के बगैर धार्मिक राजनैतिक, गतिविधियां संपन्न नहीं की जा सकती क्योंकि आज भूमंडलीकरण के दौर में अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच अपनी संस्कृति तथा धर्मों का प्रचार-प्रसार अंग्रेजी भाषा के में ही किया जा सकता है क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी है ना कि हिंदी। आज राजनीतिक क्षेत्र में भी अंग्रेजी की महत्वता देखी जा सकती हैं| देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने तथा विदेशों से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है| ज्यादातर विद्यार्थी अपने देश में ना रह कर विदेशों में जाकर नौकरी के सपने देखते हैं इससे वह अंग्रेजी का समर्थन तथा उसके अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं।

4. दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों को अपरिचित भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। अपरिचित भाषा के माध्यम से निर्देश दिए जाने पर ना तो विद्यार्थी अंग्रेजी सीख सकते है और ना ही हिंदी। विद्यार्थी निर्देश के माध्यम की भाषा में उलझ कर रह जाते हैं और उचित ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों का विद्यार्थियों पर नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है।

5. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने के कारण तथा उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाने पर हिंदी माध्यम के

विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होती रहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वह पाठ्य-सामग्री को नहीं समझ पाते हैं और पाठ्य-सामग्री को समझने के लिए ज्यादातर विद्यार्थी अनुवाद विधि तथा पुस्तकों का सहारा लेते हैं। अंग्रेजी एक अनुवाद विधि हैं। प्रायः विद्यार्थियों द्वारा हिंदी पुस्तकों के ना मिलने पर तथा अंग्रेजी पुस्तकों की बहुलता के कारण अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इसलिए अंग्रेजी भाषा अनुवाद विधि कहते हैं| कुछ विद्यार्थी न तो हिंदी समझ पाते हैं और न ही अंग्रेजी ऐसे विद्यार्थी शिक्षा को बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं। इस प्रकार उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों के माध्यम से इनकी शिक्षा बाधित रही हैं। कॉन्वेंटस स्कूल के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हें हिंदी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने पर असुविधा होती हैं| अंग्रेजी माध्यम के ज्यादातर विद्यार्थी पुस्तकों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से वे पाठ्य-सामग्री नही समझ पाते जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित होती रहती है।

6. उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम से निर्देश दिए जाने पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के ग्रेड्स कम आते है। विषय को ना समझ पाने के कारण ज्यादातर विद्यार्थी रटने की क्रिया या नकल का सहारा लेते हैं। पाठ्य-सामग्री को रटने से समझ तो लेते हैं परंतु उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं जिसके कारण उनके ग्रेड्स कम आते है। इस प्रकार विद्यार्थी परीक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाते हैं परंतु उनकी सृजनात्मक शक्ति, मौलिकता की क्षति होती रहती है।

7. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के माध्यम से निर्देश देने पर मुख बधिर होकर चुपचाप सुनते रहते हैं तथा अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसका उत्तर न बताने के संदर्भ में वह स्वयं को हीनभावना की दृष्टि से देखते हैं। ज्यादातर विद्यार्थी इसके लिए स्वयं को जिम्मेदार न मानकर शिक्षा की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि प्राथमिक स्तर पर तो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से निर्देश देने की बात की गई है परंतु उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश का माध्यम बदलने के कारण वे उचित ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं कर पाते हैं परंतु स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके।

8. दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर सहज महसूस करते हैं क्योंकि वह पाठ्य-सामग्री को समझ पाते हैं तथा शिक्षकों के प्रश्नों के जवाब दे सकते है तथा अपनी बातों, विचारों का आदान-प्रदान आसानी कर सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि विद्यार्थी जिस भाषा के अभ्यस्त होते हैं उसी भाषा में सहज महसूस करते हैं। दोनों ही माध्यमों के विद्यार्थियों ने यह स्वीकार किया कि विपरीत भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे न तो पाठ्य-सामग्री को समझ पाते हैं और न ही उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं।

9. प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्देश के माध्यमों के कारण उच्च शिक्षा को प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षा से वंचित हुए है क्योंकि कुछ प्रवेश परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को ही अनिवार्यता दी गई है तथा कुछ प्रवेश परीक्षाओं में हिंदी भाषा को किसी भाग में शामिल किया गया है। इसके आधार पर यह कह सकते है कि उच्च शिक्षा की प्राप्ति तथा नौकरियों के लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है।

10. वर्तमान समय में दो संघीय भाषाएं (हिंदी और अंग्रेजी) होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी हिंदी भाषा को उच्च शिक्षा में निर्देश के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं| उनका कहना है कि जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते, अपने कौशल का विकास करते हैं शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए। राष्ट्रभाषा होने के कारण अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा में हिंदी भाषा को ही निर्देश की रूप में लागू करना चाहते हैं। यदि राजभाषा का शैक्षिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो भाषा समस्या का विवाद समाप्त हो जाएगा क्योंकि वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है इसलिए उच्च शिक्षा तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देश का माध्यम हिंदी भाषा होना चाहिए। यदि राष्ट्रभाषा के विवाद को समाप्त दिया जाए तो भाषा से संबंधित विवाद भी समाप्त हो जायेगा।

उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों से विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं से अध्यापक/अध्यापिका भाषा से संबंधित समस्याओं का निदान कैसे करते हैं, यह जानने का प्रयास किया गया है?

1. जैसा कि कहा गया है कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होती है लेकिन ज्यादातर विभागों में विद्यार्थियों को मिश्रित भाषा के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। कुछ विषयों की वर्तनी, उच्चारण अत्यंत कठिन

होने के कारण उन्हें हिंदी भाषा में नहीं पढ़ा जा जैसे-मेडिकल इंजीनियरिंग गणित और साइंस।

2. आंकड़ों के सन्दर्भ से यह निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्य-सामग्री को पढ़ते-पढ़ते विद्यार्थी शब्दों को जानने लगते हैं इसलिए प्रश्नों की भाषा का माध्यम अंग्रेजी भाषा ही रखा जाता है| जिन विद्यार्थियों को प्रश्नों की भाषा का माध्यम नहीं समझ आता है उन्हें विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने पर अध्यापकों द्वारा समझा दिया जाता है ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी प्रश्नों के उचित जवाब लिख सकते हैं और अच्छे ग्रेडस पा सके|

3. राष्ट्रभाषा को संरक्षित व संगठित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस अन्य जाता है| कई विभागों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, सेमिनार, क्विज आदि का आयोजन किया जाता है तथा मार्च के महीने में हिंदी पखवाड़े का आयोजन जिसमें पत्र संवाद, नोटिंग, फाइल्स,पत्रावली आदि हिंदी के माध्यम से ही संचालित किये जाते है| इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के संरक्षण एवम् संवर्धन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं|

सुझाव

शिक्षा हेतु लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक होता है| विश्वविद्यालय के लक्ष्यविहीन शिक्षा राष्ट्र, विद्यार्थी तथा समाज पर गलत प्रभाव डालती है| इसलिए शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक हो गया है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्र की संपन्नता और समाज के कल्याण (जो विद्यार्थियों द्वारा ही संभव है) कि बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ किताबों में ही बंद होकर रह जाएंगी| विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबध्य नही रह सकते| समाज के बढती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्य में परिवर्तन करना आवश्यक है।

इस अध्याय में अध्ययन के उपरांत निकाले गए निष्कर्षों तथा अध्ययन से संबंधित सुझावो का विवरण इस प्रकार है---

1. हिंदी किसी भी देश की भाषा नहीं है अपितु पूरे भारत की भाषा है। उसे अखिल भारतीय रूप देने के लिए उसकी शब्दावली को मजबूत बनाना होगा। विद्यार्थियों को हमारे प्राचीन मूल्यों, संस्कृतियों से परिचित कराना चाहिए। जिनसे संस्कृतियों का समावेश हो ऐसे कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित किये जाने चाहिए। भाषा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए निर्देशन कार्यक्रम को चलाने चाहिए ताकि अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो सके और विद्यार्थी अपनी भाषा-संबंधी समस्याओं को एक-दूसरे के समक्ष बिना संकोच के रख सकें ताकि विद्यार्थी अपनी भाषा के माध्यम से अपनी समस्याओं का उचित निवारण पा सकें। शिक्षक की प्रक्रिया को प्राकृतिक व अर्थपूर्ण बनाने के लिए मातृभाषा को शिक्षा का सशक्त माध्यम बनाया जाना चाहिए।

2. पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषा, संपर्क भाषा तथा अंग्रेजी भाषा का इस प्रकार समावेश हो कि किसी प्रकार का क्षेत्रीय विवाद ना खड़ा हो। आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण प्रांत पुनर्गठन कमीशन ने भाषा के आधार पर अलग-अलग राज्यों के निर्माण को स्वीकार किया है, जिसके कारण भाषावाद की समस्या और गंभीर होती चली गई। निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा होना चाहिए जो संपूर्ण भारतवासियों के लिए सुगम, सरल व सहज हो फिर चाहे वह मातृभाषा हो, राजभाषा हो, प्रादेशिक भाषा हो या स्थानीय भाषा। भाषा ऐसी होनी चाहिए ताकि भारत का विभाजन ना हो भाषाई आधार पर तो

बिल्कुल नहीं। इसप्रकार क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के पद पर प्रतिष्ठित करने से शिक्षा के माध्यम संबंधित समस्या को दूर किया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा में दूसरों के विचारों को समझ सकता है और अपने विचारों को भलीभांति रख सकता है। अतः शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर निर्देश का माध्यम व्यक्ति की राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, राजभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं होनी चाहिए।

3. प्रवेश परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराना चाहिए ताकि हिंदी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को समान अवसर प्राप्त हो। दुर्भाग्यवश अंग्रेजी आज भी परीक्षा का माध्यम बनी हुई है अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाएं इसी माध्यम द्वारा संचालित की जाती है नागरिकों में यह मानसिकता उत्पन्न हो गई है कि हिंदी क्यों सीखे? अत: परीक्षा में हिंदी विषय को शामिल किया जाए इसके अतिरिक्त परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिंदी माध्यम में भी प्रश्नो को शामिल किया जाए। सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में भाषा की विभेदकारी व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा में एकरूपता लाई जानी चाहिए। इससे दोनों माध्यमों के विद्यार्थियों पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर जीवन में सफल होंगे भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्रीय भर्तियों, राज्य भर्तियों, भारतीय सेना न्यायालय आदि में होने वाली नियुक्तियों में अंग्रेजी ज्ञान की अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए तथा नियुक्तियों को क्षेत्रगत विषयगत और आवश्यक ज्ञान को ही परख कर नियुक्ति की जानी चाहिए चाहे वह ज्ञान जिस भी भाषा में हो क्योंकि भाषा ही साध्य एवं साधन है। अर्थात भाषा ही सीखने और सिखाने की वस्तु है।

4. अन्य भाषाओं के साहित्य से हिंदी को अनुवादित शब्द प्रायः अस्वाभाविक होते हैं| अतः हिंदी में अनुवाद का कार्य उन्हें सौंपा जाए जिन्हें उस भाषा का ज्ञान हो जिस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। समय-समय पर देवनागरी लिपि में पर्याप्त संशोधन किया जाना चाहिए हिंदी को पूर्णतया सुगठित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए।

संदर्भग्रंथ-सूची

1. "तातेड सोहनराज, सिंह", "विद्यासागर", 2019, "सैद्धांतिक शिक्षा की विवेचना", भाग- 1, पारीक बुक डिसट्रीब्यूटर्स, जयपुर।
2. “कुमार,अरुण”,2015,”आधुनिक शिक्षा एवम् दलित”,रावत प्रकाशन,जवाहर नगर, जयपुर|
3. “पाठक, पी. डी.”, 2006,”भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं”, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा|
4. "शाश्वत, मालती एवं गौतम, एल एस", "भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास", आलोक प्रकाशन, लाउदर रोड, इलाहाबाद|
5. "यादव,नीतू",2014,"भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास", यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
6. “राय,हरियश”,2017, ”भाषा शिक्षा और औपनिवेशिक दासता”, ईशा ज्ञानदीप, शालीमार बाग़, नई दिल्ली|
7. “सिंह, दिलीप”, 2011,”भाषा का संचार”, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. “दुबे, कुमार अभय”,2015,”हिंदी में हम”, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. “गुप्ता, एस.,अग्रवाल जे. सी.,2014,”उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा”,शिप्रा प्रकाशन,अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|
10. “डॉ. दोमडिया डी. एम.”,2014,”भारतीय शिक्षा का इतिहास”,रावत प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली।
11. “डॉ,सिंह,सतनाम”,2011,”शिक्षा के मूल सिधांत और प्रमुख शिक्षा नीति”,अर्जुन प्रकाशन,अंसारी रोड, दरियागंज|
12. "कुमार, तपन", 2011, "शिक्षा का माध्यम भाषा की समस्या", नेशनल बुक ट्रस्ट वसंत कुंज, दिल्ली|
13. "कुमार, गोस्वामी, प्रो. कृष्ण", 2018, "शिक्षा के माध्यम की भाषा मातृभाषा", देशबंधु प्रकाशन, गुरुग्राम, दिल्ली|
14. "मित्तल एल. एम.", 2012, "हिंदी शिक्षण", पियरसन सीरीज इन एजुकेशन, नई दिल्ली।
15. “सिंह, कुमार योगेश”,2009,“तुलनात्मक शिक्षा” यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|

16. “यादव सिंह, डॉ. वीरेंद्र”,2014,“भारत की उच्च शिक्षा:चुनौतियां एवम् समाधान की दिशाएं”, अल्फ़ा प्रकाशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|
17. “गुप्ता, स्वरूप गोविन्द”,2009,“भारतीय भाषाओं का अंतर्संबंध”,न्यू रायल बुक कंपनी, बाल्मीकि मार्ग लालबाग, लखनऊ|
18. "शिक्षा और सीखने का माध्यम: बहुभाषावाद के साथ संतुलन खोजना", 2020, इंडिया टुडे वेब डेस्क, नई दिल्ली।
19. “शर्मा,देवेन्द्रनाथ”, 2014, ”राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं एवम् समाधान”, लोकभारती प्रकाशन, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद|
20. "सिंह, डॉ. जोगा", 2015, "शिक्षा ज्ञान -विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और विदेशी भाषा शिक्षण: मातृभाषा बनाम अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई", साहित्य कुंज प्रकाशक|
21. “डॉ. अश्वनी", 2018, "हिंदी भाषा शिक्षण", डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस पब्लिकेशन, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद|
22. "जीत, योगेंद्र", "हिंदी भाषा शिक्षण", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा|
23. "फिलभार, ब्राउन", 1993, "Research and Innovation on home and school Language issues
24. “दोषी, एस.एल.”, 2007, “आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक”,रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, जयपुर|
25. “पाठक, पी. डी.”, 2006, “भारतीय शिक्षा और उनकी समस्याएं”, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा| ".
26. “आहूजा, राम”, 2015, ”सामाजिक अनुसन्धान”, रावत पब्लिकेशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|
27. “डॉ. महाजन, धर्मवीर, डॉ. महाजन कमलेश”, 2018, ”सामाजिक अनुसन्धान का प्रणाली विज्ञान”, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर नई दिल्ली|
28. “रावत हरिकृष्ण**”,** 2013, “सामाजिक शोध की विधियां”, रावत पब्लिकेशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|
29. "प्रो. अग्निहोत्री, रमाकांत", 2009, "भारतीय भाषाओं का शिक्षण", राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, खजूर रोड, करोलबाग, नई दिल्ली|
30. “मुखर्जी, आर. एन.”, 2009, “सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय”, विवेक प्रकाशन, दिल्ली|

31. “डॉ. शर्मा, वासुदेव”, 2014, “शिक्षा अनुसन्धान एवम् सांखिकीय”, अल्फ़ा प्रकाशन, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली|

32. "डॉ. बसु, दुर्गादास", 2013, "भारत का संविधान एक परिचय", 10वां संस्करण, संपादकीय बोर्ड प्रकाशक।

33. "एमएचआरडी", "भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020.

34. http://punjabiuniversity.academia.edu/jogasingh/papers.

35. https://www.studysmarter.de/en/explanations/social/studies/education-with-methods-in-context/marxist-theories-of-education

36. https://revisesociology.com/2016/04/02/assess-marxist-view-education-in-society

37. https://thesimplehelp.com/essay-on-new-education-policy-in-hindi

परिशिष्ट

विद्यार्थियों से सम्बंधित सामान्य जानकारियां

क्रम सं.	विद्यार्थी का नाम	आयु	लिंग	जाति	संस्था का नाम /विभाग / स्कूल	शैक्षिक योग्यता/ शिक्षा का माध्यम	शैक्षिक योग्यता / शिक्षा का माध्यम	निवास स्थान	छात्रावास का नाम	माता का नाम/शैक्षिक योग्यता/व्यवसाय/आय	पिता का नाम/शैक्षिक योग्यता/व्यवसाय/आय	घर में सदस्यों की संख्या/शैक्षिक योग्यता/ माध्यम

प्रश्नावली अनुसूची

1. आप किस माध्यम में सहजता / सरलता महसूस करते हैं.........

a. हिंदी माध्यम b. अंग्रेजी माध्यम

* यदि हिंदी माध्यम तो आप मानते है कि उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी भाषा होनी चाहिए.....

a. हां b. नहीं c. शायद

* यदि अंग्रेजी माध्यम तो आप यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए..........

a. हां b.नहीं c.शायद

2. निर्देश का माध्यम ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो अधिकांश जनता द्वारा बोली जाती हो.....

a. हां b. नहीं

3. आप मानते हैं कि निर्देश का माध्यम शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उसी माध्यम में होना चाहिए जिसे विद्यार्थी सरलतापूर्वक सीख व समझ सके तथा उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकें...........

a. हां b.नहीं

* यदि हां तो आप Hindi का समर्थन करते हैं क्योंकि मातृभाषा सीखने, बोलने में सरल

होती है तथा संस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां सरलता से संपन्न हो जाती है......

a. हां b.नहीं

* आप अंग्रेजी माध्यम का समर्थन करते हैं...

a. हां b. नहीं

4. यदि आप हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे.........

a. हां b.नहीं c.शायद /संभवत:

* यदि आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी उचित ज्ञान की प्राप्ति कर सकेंगे..........

a.हां b. नहीं c. शायद /संभवत:

5. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने से आपकी शिक्षा बाधित हुई है.......

a. हां b.नहीं c. कभी-कभी

6. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दी जाने पर पाठ्य सामग्री समझ पाते हैं......

a. हां b.नहीं c.कभी-कभी

* यदि हां/नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं.......

a.अनुवाद विधि का b.किसी व्यक्ति का C.अन्य का

* उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम हिंदी माध्यम के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर पाठ्य

सामग्री समझ पाते हैं.....

a.हां b.नहीं c. कभी-कभी

* यदि हां/ नहीं तो आप सहारा/सहायता लेते हैं..........

a. अनुवाद विधि का b. किसी व्यक्ति का c. अन्य का

7. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने पर आपके Grades पर प्रभाव पड़ा है.....

a. हां b. नहीं

8**.** उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) को समझ पाते हैं............

a.हां b.नहीं

***** यदि नहीं तो आप कक्षा में स्वयं को अलग महसूस करते हैं या अलगाव की स्थिति का सामना करते हैं..........

a. हां b. नहीं c. कभी कभी

9. उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदीभाषी विद्यार्थी स्वयं को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं तथा स्वयं को शिक्षा में कमजोर समझते हैं..........

a.हां b. नहीं

10. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर सहज महसूस करते हैं..........

a.हां b. नहीं

11. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के माध्यम में पढ़ने से विद्यार्थी

अपनी बातों, विचारों को सबसे सामने आसानी से रख व कह सकता है, ऐसा करने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की क्रिया मजबूत होती है.......

a.हां b. नहीं c.शायद

12. उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण काफी विद्यार्थी उच्च स्तर की शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं....

a. हां b. नहीं c. शायद

13. उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से निर्देश देने पर हिंदी भाषा के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है.....

a. सकारात्मक b. नकारात्मक c.कोई नहीं

* उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम के माध्यम से निर्देश देने पर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ता है......

a.सकारात्मक b. नकारात्मक c. कोई नहीं

अथवा

* उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) को पूरी तरह लागू करने पर हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा.....

a. सकारात्मक b. नकारात्मक c. कोई नहीं

14. निर्देश के माध्यमों (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) के कारण उच्च शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रवेश परीक्षाओं से वंचित हुए है.......

a. हां b.नहीं

* यदि हां/नहीं, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए अंग्रेजी माध्यम या हिंदी माध्यम के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है......

a.हां   b. नहीं   c.शायद

15. आप भाषा आयोग से सम्बंधित अनुच्छेद के बारे में जानते है**......**

a.हां   b. नहीं

16. आपको पता हैं की भारतीय संविधान में भाषा की बात किस अनुच्छेद, भाग में किया गया हैं......

a.हां   b. नहीं

17. आपको पता हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में शामिल किया गया हैं....

a.हां   b. नहीं

18. वर्तमान समय में दो संघीय भाषाएं (हिंदी/अंग्रेजी माध्यम) हैं, आपके विचार से उच्च शिक्षा में निर्देश के माध्यम होना चाहिए........

a. हिंदी भाषा   b. अंग्रेजी भाषा

19. जिस भाषा में विद्यार्थी ज्यादा सीखते हैं, अपने कौशल का विकास करते हैं, शिक्षा के प्रत्येक स्तर (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर) पर निर्देश का माध्यम उसी भाषा में होना चाहिए....

a. हां   b. नहीं

20. जब हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है तो शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर राष्ट्रभाषा को निर्देश के माध्यम के रूप में लागू करना चाहिए....

a.हां   b.नहीं   c.शायद

21. भाषा समस्या का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है यदि हम इस समस्या का शैक्षणिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो भाषा समस्या का विचार समाप्त हो जाएगा....

a. हां   b. नहीं   c. शायद

22. वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा/ राजभाषा का दर्जा प्राप्त है| उच्च स्तर की शिक्षा पर भाषा विवाद की समस्या उत्पन्न होनी चाहिए...

a. हां   b. नही

23. नीतियों, आयोगों को पढ़ने के उपरांत यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रभाषा विवाद का कारण है यदि इस विवाद का समाधान हो जाए तो भाषा से संबंधित समस्याओं का विवाद समाप्त हो जाएगा......

a.हां   b. नहीं   c. शायद

24. अंग्रेजी भाषा शिक्षण विधि है......

a. अनुवाद विधि b. व्याख्या विधि

विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षया, गेस्ट फैकल्टी तथा डींस से सम्बंधित प्रश्न

1. कक्षा में निर्देश देने का माध्यम......

a.हिंदी भाषा b.अंग्रेजी भाषा

* यदि हिंदी भाषा तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं........

a.हाँ b.नहीं

* यदि अंग्रेजी भाषा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को समझाया जाता हैं........

a.हाँ b.नहीं

2. परीक्षा के समय प्रश्नों का भाषा का माध्यम**.....**

a.हिंदी भाषा b.अंग्रेजी भाषा c. मिश्रित भाषा

3. राष्ट्रभाषा (हिंदी भाषा) को संरक्षित व संवर्धित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं...

a.हाँ b.नहीं

* यदि हाँ तो विवि में उपरोक्त सम्बंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं.....

a.हाँ b.नहीं

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का डंका

पहली बार हिंदी में भी जारी होंगी संयुक्त राष्ट्र की सूचनाएं, भारत के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

नयी दिल्ली, 11 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये घोषणा शुक्रवार को की गई। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा भी शामिल की गई हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। भारत ने इस फैसले कि सहारना की है। इसके अलावा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच मुख्य हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है, जिसमें बांग्ला और उर्दू का भी जिक्र है। हम इन बदलाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा- भारत 2018 से संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समाचार और मल्टीमीडिया कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रसारित करने और मुख्य बनाने के लिए फंड भी दे रहा है। हिंदी को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए हैं। इसके लिए 2018 में हिंदी ञ ह परियोजना शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाना और दुनिया भर में हिंदी बोलने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेट देना था। तिरुमूर्ति ने 1 फरवरी, 1946 को पहले सत्र में अपनाए गएसंयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 13(1) का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि दुनिया के लोगों को इसके लक्ष्य के बारे में पूरी जानकारी न हो। उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद को सही मायने में अपनाया जाए और भारत इसे हासिल करने में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करेगा।